खण्ड-296, अंक-3
शुक्रवार, 18 चैत्र, शक संवत् 1894
(7 अप्रैल, 1972 ई0)

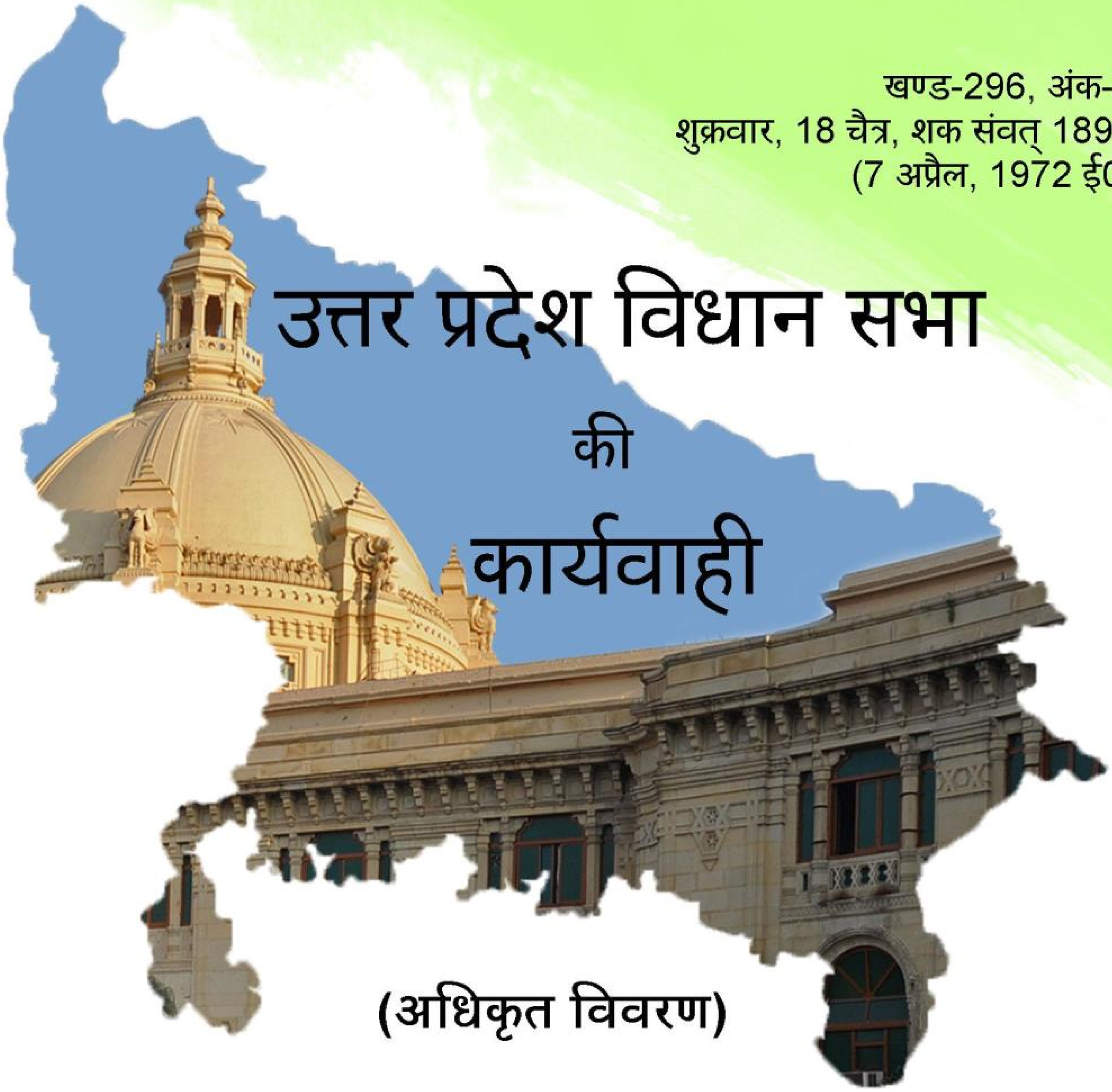

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 296 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1972

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	235–239
प्रश्नोत्तर	239–269
सदन में दर्शक दीर्घाओं से पर्चे फेंकने की घटनाओं को रोकने की मांग ..	269–275
छितौनी बांध टूटने से सम्बन्धित केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री की रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गई)	276
प्रतिनिहित विधायन समिति का दशम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	276–277
यू० पी०, पी०डब्लू०डी० (आई०बी०) ट्यूबवेल टेक्निकल इम्पलाईज एसोसियेशन की मांगों के सम्बन्ध में वक्तव्य	277–280
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	281–287
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) विधेयक, 1972 (विचारोपरान्त पारित)	287–326
उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) विधेयक, 1972 (विचारोपरान्त पारित)	326–352
सदन का समय बढ़ाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	352–353
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972 (विचारोपरान्त पारित)	353–357
कतिपय समितियों के परिवर्तित निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना ..	357
दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे फेंकने के दोषी व्यक्तियों को दण्ड ..	358–360
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	360–361
नत्थियां	362–363

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, 7 अप्रैल, 1972

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—362

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यू प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दूबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
श्री अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ सिंह, श्री
उदयप्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमाकान्त सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार नाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री

गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रप्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह जदेव, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, राजा
चिरंजीलाल, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह, 'कृष्ण' श्री
तेज बहादुर, श्री
त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुउद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्त, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री

बब्बन सिंह, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला बाराणसी)
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भाभी यादव, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मलिखान सिंह, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोती लाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजमंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
रामकुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिल इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
राम दुलार मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री

रामप्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम बचन, श्री (जिला आजमगढ़) (रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम बिलास पाण्डेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामभूरत सिंह, श्री
रामसेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजय पाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिंड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सन्तराम, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखवीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरज लाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबु बुल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—सूचना राज्य मंत्री, श्री पुरुषोत्तमदास टंडन भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 7 अप्रैल, 1972

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

तकावी लिपिकों की सेवायें

** 1—श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने कई हजार तकावी लिपिकों की सेवायें 30 मई, सन् 1972 से समाप्त करने की नोटिस दी है? क्या यह सत्य है कि इन कर्मचारियों ने मन्त्री के घर पर 11 अप्रैल, 1972 से धरना देने की सूचना मन्त्री को दी है? यदि हां, तो इनकी छटनी रोकने के लिये सरकार कौन-सा पग उठा रही है?

सामुदायिक विकास राज्य मन्त्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

30 मई, 1972 से तकावी लिपिकों की सेवायें समाप्त करने का नोटिस नहीं दिया गया है। अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् ने मेरे निवास स्थान पर 11 अप्रैल, 1972 से 'क्रमिक धरना' प्रारम्भ किये जाने की सूचना 1 अप्रैल, 1972 को दी है। जब 30 मई, 1972 से तकावी लिपिकों की छटनी नहीं की जा रही है तो उसके रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री रामगोपाल सण्ड—

मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है बड़ा भ्रमपूर्ण है। एक ओर मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि कर्मचारी परिषद् के अध्यक्ष ने एक नोटिस दी है पहली तारीख को, और विधिवत् दी है, कि 11 तारीख से उनके बंगले के समक्ष क्रमिक धरना देंगे अर्थात् लगातार देंगे, मैं विनम्रतापूर्वक जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने नोटिस दी है उसमें कौन-कौन सी मांगें लिखी हैं?

श्री उपाध्यक्ष--

30 मई, 1972 से छटनी नहीं की जा रही है तो रखने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--

क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि 30 तारीख से नहीं कर रहे हैं तो कब कर रहे हैं, कोई तिथि निश्चित है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मान्यवर, छटनी करने का कोई कार्यक्रम इस समय नहीं चल रहा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

छटनी का कोई कार्यक्रम इस समय नहीं चल रहा है, यह हम मान रहे हैं। क्या सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई योजना है जिसमें छटनी होगी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

छटनी करने का प्रश्न नहीं है, बल्कि जो लिपिक पिछले समय हटा दिये गये हैं उनको फिर से खपाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

श्री रामगोपाल संड--

माननीय मन्त्री जी कृपया यह बताएं कि जो भूख हड़ताल की नोटिस दी गई है उसके अन्दर क्या कर्मचारियों ने अपनी कुछ मांगें भी रखी हैं, और वे मांगें क्या हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जो नोटिस स्टेट एम्प्लाइज ज्वाइंट काउंसिल की तरफ से मिली है, उसमें दो बातें हैं। एक तो यदि छटनी समाप्त न हुई और छटनी शुदा कर्मचारियों को सेवा में बहाल न किया गया तो क्रमिक धरना की कार्यवाही की जायगी ?

श्री नित्यानन्द स्वामी--

इस नोटिस के आधार पर क्या कुछ लोगों की छटनी हो चुकी है, जिनको वापस लेने के लिये कहा गया है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

434 कनिष्ट लिपिकों के जो पद समाप्त किये गये थे, 144 लिपिकों को फिर से रख लिया गया है। शासन ने आदेश कर दिया है कि शेष 190 लिपिकों को जैसे-जैसे स्थान होते जायं उनको विभिन्न विभागों में खपा लिया जाय।

श्री रामगोपाल सण्ड--

मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि 190 को निकाला जा चुका है जो अब तक नहीं रखे गये, आप उनको कितने दिनों के अन्दर रख लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह कैसे ?

श्री रामगोपाल सण्ड--

कैसा विरोधाभास है। पौने तीन सौ लोगों को प्रश्न पूछने के बाद रख लिया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

आप सोच कर पूछिये।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि उन्होंने नोटिस नहीं दिया लेकिन उनके विभाग ने ऐसी नोटिस दी है जो हर जिले के तकाबी लिपिकों को पहुंची है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, सभी विभागों की सूचना तो नहीं है। जहां तक सामुदायिक विकास विभाग का सम्बन्ध है उसकी तरफ से कोई नोटिस नहीं दी गई है।

श्री हरी शंकर शर्मा, एडिशनल डाइरेक्टर शिक्षा विभाग की सेवा अवधि

**2—श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि एडिशनल डाइरेक्टर, शिक्षा विभाग (श्री हरी शंकर शर्मा) की सेवा अवधि 58 वर्ष तक पूर्ण हो गई है और अब सरकार उससे अधिक बढ़ाने का विचार कर रही है जबकि उनकी चरित्र पंजिका भी ठीक नहीं है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है सदन को सूचित करने की व्यवस्था करेंगे ?

बित्त राज्य मन्त्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

28 अप्रैल, 1972 को 58 वर्ष की अवधि पूर्ण होगी।

जनहित में उन्हें पुनर्योजित (reappoint) किया गया है।

चरित्र पंजिका अच्छी है।

योग्य अधिकारी हैं स्वास्थ्य भी अच्छा है। विभाग में अनेक पदों के कार्य का लम्बा अनुभव है। माध्यमिक व प्राइमरी शिक्षा का पुनर्गठन व माध्यमिक शिक्षा परिषद् का विकेन्द्रीयकरण आदि महत्वपूर्ण कार्यों के संचालन हेतु योग्य, अनुभवी व वरिष्ठ अधिकारियों की शिक्षा विभाग को आवश्यकता है।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

श्री शर्मा की एक्सटेंशन देने के फलस्वरूप कितने लोगों का हक मारा जा रहा है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

यह एक्सटेंशन नहीं है, रिएम्पलायमेंट है। वर्तमान परिस्थिति में यह आवश्यक समझा गया, इसीलिये शासन ने यह कदम उठाया है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फर नगर)—

प्रदेश में बढ़ती हुई बेकारी और पूर्व प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुये केवल तकनीकी लोगों को ही एक्सटेंशन दिया जाता है तब कौन सी विशेष परिस्थितियां थीं जिनके आधार पर नान तकनीकी आदमी को 58 वर्ष की आयु से अधिक होने पर भी एक्सटेंशन दिया गया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इस संबंध में शासन द्वारा प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा की एक रूपरेखा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्राइमरी शिक्षा को शासन अपने हाथ में लेने जा रही है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही 10 लाख के लगभग लड़के माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं में बैठते हैं। वह भी शिक्षा विभाग के लिये समस्या है। इसलिये माध्यमिक शिक्षा परिषद की आवश्यकतानुसार विकेंद्रीयकरण की जरूरत है। इन चीजों को कार्यान्वित कराने के लिये एक योग्य, अनुभवी तथा उच्च पद पर आसीन व्यक्ति की सेवाओं को एक साल के लिये रिएम्पलायमेंट के रूप में ले लिया गया है।

श्री राम करन सिंह

अभी शिक्षा विभाग में जो 20 लाख रुपये सुरक्षा फंड में जमा किये गये थे उनमें चार लाख रुपये का घपला इन्होंने किया था, क्या इस प्रकार की सूचना सरकार को है?

शिक्षा मंत्री (डाक्टर रामजी लाल सहायक)—

शासन के पास कोई सूचना नहीं है, यह गलत है।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

हरि शंकर शर्मा आज से 4 वर्ष पहले माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव थे और एक साल में उनका वहां से तबादला हो गया क्योंकि वहां के कार्य को संभाल नहीं सके थे। इस प्रकार क्या यह सही नहीं है कि सरकार जो कार्य उनको देने जा रही है वह उनकी क्षमता के बाहर है।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

उनकी पूर्व सेवाओं को देखते हुए ऐसी अपेक्षा की जाती है और ऐसा विश्वास है कि वह उस कार्य के करने में सक्षम होंगे और शासन को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किये।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि उनकी सेवाओं को देखते हुए उनकी पुनर्नियुक्ति की गयी है तो क्या शिक्षा विभाग में कोई भी ऐसा अच्छा अधिकारी नहीं है जो इस कार्यभार को संभाल सके ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मान्यवर यह इस समय शिक्षा विभाग में अतिरिक्त शिक्षा निदेशक के पद पर हैं। माध्यमिक शिक्षा और हायर सेकेंडरी एजूकेशन में उनकी लम्बी सेवाओं के कारण उनके अनुभवों के लाभ की आवश्यकता सरकार को है। इसलिये यह सुविधा उनको दी गयी।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि शर्मा जी को एक्सटेंशन देने के अलावा कुछ और आफिसर्स को भी इस विभाग में ऐक्सटेंशन देने की बात सरकार सोच रही है?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रिएम्पलायमेंट और एक्सटेंशन में फर्क है। 58 के बाद एक्सटेंशन न देने की निश्चित नीति सरकार की है।

श्री रामकरन सिंह—

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि क्या शिक्षा विभाग से सुरक्षा कोष में कोई पैसा दिया गया तो इस पर उन्होंने कहा कि इस तरह की सूचना उनके पास नहीं है। तो क्या शिक्षा विभाग से कोई पैसा इकट्ठा ही नहीं हुआ ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, रुपया इकट्ठा किया गया और 16 हजार कुछ रुपया माननीय मुख्य मंत्री जी को दिया गया तो मेरे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है कि रुपया इकट्ठा हुआ हो और कम दिया गया हो। मान्यवर, एक-एक पाई का हिसाब रखा गया है और जितना रुपया इकट्ठा हुआ है उतना ही दिया गया है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं जानना चाहता हूं कि जो सरकार ने पुनर्नियुक्ति की है और एक्सटेंशन नहीं दिया है तो उसमें जो सेवा की शर्तें होती हैं उनको तथा अन्य उपलब्धियों को सरकार ने मान लिया है ? तो इन दोनों में क्या अन्तर है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, पुनर्नियुक्ति में जो वार्षिक वृद्धि होती है वह नहीं दी जाती है और साथ ही इसी बीच में यदि कोई प्रोन्नति की बात आये तो वह भी उनको नहीं मिलेगी ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो इन्हीं हरिशंकर शर्मा की तरह अन्य काम करने वाले लोग हैं यदि उनकी चरित्र पंजिका अच्छी हो तो उनकी भी पुनर्नियुक्ति की जाती है ·····

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आप सुझाव दे रहे हैं ।

श्री रामधारी शास्त्री—

सुझाव मैं नहीं दे रहा हूं मान्यवर, क्योंकि ये एक्सटेंशन नहीं दे रहे हैं और बैक डोर से पुनर्नियुक्ति कर रहे हैं तो क्या यह सरकार की नीति है कि जिसकी चरित्र पंजिका अच्छी होगी उसको पुनर्नियुक्त किया जायेगा ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, वर्तमान परिस्थितियों की आवश्यकता को देखते हुये यह कदम उठाया गया है । ऐसी कोई नीति नहीं है ।

श्री राम करन सिंह—

माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में लिखा है कि उनकी चरित्र पंजिका अच्छी है तो मैं उनसे यह पूछना चाहता हुं कि क्या उनके खिलाफ हाई कोर्ट में कोई मानहानि का दावा नहीं चल रहा है। एक मास्टर के लिये हाईकोर्ट ने कहा है कि राम किंकर नामक मास्टर को बहाल कर दो और ऐसा न करने पर हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, इस सदन में माननीय मंत्रीगण बराबर इस तरह के आश्वासन और घोषणायें किया करते हैं कि नये लोग आयें। शासन ने एक एवरेज एज 55 वर्ष रखी है और उससे ऊपर 58 वर्ष भी होती है इक्सटेंशन के बाद । आप कहते हैं कि हमने विशेष परिस्थितियों में ऐसा किया है । तो क्या आप उन अन्य विभागीय क्लेमेंट्स की भावनाओं को नहीं समझते हैं कि यदि आप उनको इक्सटेंशन देते जायेंगे तो दूसरे अफसर जो विभाग में हैं उनके साथ अन्याय होता है । क्या आपकी यह नीति ठीक है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, यह बात हमारे विचार में है किन्तु कुछ हमारे साथी भी हैं जो हमें ऐसा काम करने के लिये मजबूर करते हैं । इसलिये हमें माननीय सदस्यों को भी देखना पड़ता है और ऐसी व्यवस्था करनी होती है ।

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, कोई मंत्री गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की बात करके सारा आक्षेप माननीय सदस्यों के ऊपर ही डाल देते हैं तो यह बात ठीक नहीं है। हम जानते हैं कि आप लोगों के कार्यालयों में क्या-क्या होता है । वहां पर एक-एक आदमी के लिये पांच-पांच एम०एल० एज० का नाम लिखवा देते हैं किन्तु वह नहीं हो पाता है और जिसको आप चाहते हैं वह हो जाता है। आप अपनी बुराइयों और कमजोरियों को लेकर यहां पर कहते हैं कि माननीय सदस्यों ने किया है। यह आक्षेप है ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि क्योंकि विशेष अनुभव और योग्यता को देखते हुये मजबूरी में उन्हें एक्सटेंशन दिया गया है, क्या माननीय मंत्री जी मानते हैं कि योग्यता अनुभव का कोई अधिकारी आपके विभाग में अब है ही नहीं ? यदि नहीं है तो क्या एक साल के बाद उस योग्यता और अनुभव का अधिकारी प्राप्त करने के लिये कोई आप प्रशिक्षण देंगे किसी को या प्रशिक्षण के लिये बाहर भेजने का प्रयास कर रहे हैं ताकि एक साल के बाद यह समस्या खड़ी न हो जाय?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

हर समय केवल एक दृष्टिकोण या कदम तो रोज नहीं उठाया जायगा । प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा को शासन में अपने अधीन लेने का अभी आश्वासन दिया गया है। इस विशेष परिस्थिति में उनकी सेवाओं का लाभ उठाने का प्रयत्न किया गया है ।

(बहुत से सदस्यों के खड़े होने पर।)

श्री उपाध्यक्ष—

बहुत से माननीय सदस्य सवाल करना चाहते हैं, आपकी भावनाओं को समझ करके . . .

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इस पर नियम 49 में चर्चा दे दीजिये । हम लिख कर दे रहे हैं ।

श्री बंशीधर पांडेय—

मंत्री जी ने स्वयं खड़ा कर दिया है ।

श्री रामधारी शास्त्री—

यह दबाव का मामला है, बहस करवाइये ।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 49 में चर्चा मांगेंगे तो दे दूंगा । आगे चलता हूं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

यह तो साबित हो गया कि सदस्यों के दबाव के आधार पर इनको दिया गया है, योग्यता के आधार पर नहीं । इसलिये और ज्यादा आवश्यक हो गया कि नियम 49 मे चर्चा का अवसर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

सभी चीजों को दृष्टि में रखते हुये मैंने कहा था । चर्चा मांगेंगे तो लिखकर देना होगा ।

तारांतिक प्रश्न

उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक, लखनऊ के संबंध में सम्प्रेक्षण रिपोर्ट

*1—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक, 2 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ के संबंध में हुई सम्प्रेक्षण रिपोट वर्ष 1970–71 के पृष्ठ 113 के जिन मुख्य आठ आपत्तियों के विषय में घोर असंतोष सम्प्रेक्षण अधिकारी द्वारा किया गया है उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? क्या यह भी सही है कि वर्ष 1969–70 के मुख्य सम्प्रेक्षण अधिकारी कोअब उक्त बैंक में एक विशिष्ट पद पर किन्हीं कारणों से भेजा गया है? यदि हां, तो वे क्या कारण है ?

सहकारिता राज्य मंत्री (कुंवर अशरफ अली खां)—

उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक एक स्वायत्तशासी संस्था है। अतएव बैंक की कार्य-प्रणाली पर विवाद करना बैंक के हित में न होगा ।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मंत्री जी के उत्तर से एक समस्या उत्पन्न हो गयी है और आपकी व्यवस्था की आवश्यकता है । मान्यवर, इसी प्रकार का प्रश्न मैंने 31 मार्च, 1972 को नत्थी 'ग' में तारांकित प्रश्न 5 के अनुसार दिया था जिसमें यह था कि सहकारी बैंक लखनऊ हजरतगंज तथा• • •

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो प्रश्न के जवाब में निहित है, आपका प्रश्न क्या है ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

प्रश्न है कि अगर स्वायत्त-शासी संस्थाओं पर प्रश्न नहीं पूछा जायगा तो आपकी व्यवस्था चाहिये कि जितनी भी हमारी स्वायत्त शासी संस्थायें हैं क्या इस सदन में उन पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं या नहीं ? यदि हां, तो उनका उत्तर भी माननीय मंत्री से दिलाने की कृपा कीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसी में लिखा है कि सम्प्रेक्षण रिपोर्ट वर्ष 1970–71 के पृ० 113 के जिन मुख्य आठ आपत्तियों के विषय में घोर असंतोष सम्प्रेक्षण अधिकारी द्वारा किया गया है उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है । और ऐसा किया गया है तो यह कहना कि बैंक के हित में नहीं होगा ठीक नहीं है। यह एक सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन है। जब संप्रेक्षण अधिकारी ने मुख्य 8 आपत्तियों में घोर असंतोष व्यक्त किया है तो माननीय मंत्री जी इस पर बहस कराने में जनहित कैसे आड़े आ जायगा ?

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

यह बैंक हित है, जनहित नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसका मतलब है कि वह सही है ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

श्रीमन्, निवेदन है कि जनहित की बात तो हम सोचते थे लेकिन बैंक के हित में कोई बात नहीं हो सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका मतलब है कि इस पर सवाल नहीं होने चाहिये ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

जरूर होने चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप भ्रम में हैं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

आपने बहुत अच्छा कहा था कि यह किसी के हित में नहीं होगा।

सहकारिता मंत्री (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)—

मान्यवर, बैंक का नियम है कि उसकी पूरी वरकिंग कांफीडेंशियल होती है और यह आडिट रिपोर्ट भी कांफीडेंशियल है । यह किस प्रकार बाहर आई इसकी अलग से जांच हो रही है और जब किसी नतीजे पर पहुंचेंगे तो कानूनी कार्यवाही करेंगे । वैसे विभाग ने निश्चय किया है कि अक्सर इस तरह के प्रश्न आया करते हैं और यह उत्तर आता है कि यह स्वायत्त शासी संस्था है । इस प्रश्न को विधि विभाग में भेज देंगे और जैसी उनकी राय होगी उससे सदन को अवगत करा देंगे ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि यह जो ला विभाग में इस प्रश्न को भेज रहे हैं तो वे प्वाइंटस क्या हैं क्या वह ऐसी चीज नहीं है जो गोपनीय रखी जाय ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

श्रीमन्, मैंने निवेदन किया कि विभाग ने निश्चय किया है विधि विभाग में भेजने के बाद में प्वाइंट्स बनगे । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग उत्तेजित क्यों होते हैं । एक-एक को समय दिया जायेगा। सदन के समक्ष कैसे नहीं आ सकता है वह भी इस मामले में साफ नहीं है ।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

अभी तो इन्होंने कहा कि ला विभाग को भेजा है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अभी आप क्यों कह रहे हैं । विधि विभाग में अगर गया है तो इसमें कांफीडेंशियल क्या है । दूसरी चीज यह है कि आपके जवाब से यह निकलता है कि यह स्वायत्तशासी संस्था है । हम इस पर बहस नहीं कर सकते पहले इसको साफ कर दें।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

श्रीमान् जी, मैंने निवेदन किया है कि इसको ला विभाग में भेजा नहीं है बल्कि सोच रहे हैं कि ला विभाग में भेज दें क्योंकि ऐसे प्रश्न आया करते हैं और जो उनकी राय होगी वह सदन की मेज पर रख देंगे ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जनहित में क्या हुआ करता है । यह लाखों रुपये का मामला है । मैं तफसील में जानना चाहता हूं कि जनहित में क्या हो सकता है । इस किस्म के गबन का प्रश्न सामने आ गया है तो इसमें जनहित की क्या बात है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

बैंकों में लोगों का पैसा जमा होता है यानी डिपाजिटर्स का और अगर ऐसी चीजें आम चर्चा में आती हैं और यहां की कार्यवाही अखबार में आती हैं तो उससे बैंक की साख गिरती है और उसका नतीजा यह होता है कि डिपाजिटर्स का विश्वास बैंक पर से डिगता है और नये डिपाजिटर नहीं आते । इसलिये बैंक के हित की बात सही कही गई है और वह केवल बैंक की गोपनीयता की बात है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जब कोई मंत्री सदन में उत्तर दें कि जनहित में उत्तर देना ठीक न होगा तो ठीक है बहुत सी चीजें रोकी जा सकती है। तो क्या अध्यक्ष जी उसको फाइनल निर्णय के लिये देख सकते हैं या नहीं क्योंकि अदालतों में नियम यह है कि बैंक डाकुमेंट के लिये प्रेस नहीं कर सकते लेकिन कोर्ट उस डाकूमेंट को अपने सामने मंगाकर उसके डिटेल देखकर निर्णय कर सकता है । इसलिये यह आप का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होगा । तो आप बतायें कि अध्यक्ष जी उसको देख सकते हैं या नहीं कि जनहित में उत्तर ठीक है या नहीं?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि उनके अधीन सभी ऐसी संस्थाओं में 51 प्रतिशत के करीब सरकार की धनराशि लगी है और जब उसकी इतनी धनराशि लगी है तो सदन के प्रतिनिधि एक सदस्य को अधिकार है और यह जनहित में होगा कि अगर इस प्रकार के गम्भीर आरोप आडिट में लगे हैं तो उन को प्रकाश में लाया जाय और उनको दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

उनमें 51 प्रतिशत सरकार का धन लगा है, इसकी सूचना हमारे पास इस वक्त नहीं है लेकिन यहां उत्तर में शब्द जनहित नहीं है, बैंक हित की बात है, इसमें जनहित का प्रश्न नहीं आया है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं पुनः आप से आग्रह करता हूं कि आप व्यवस्था दें इस तरह से अधिक असंतोष नहीं बढ़ना चाहिये । आज आप ने अखबार में देखा होगा कि शासक दल के एक विधायक से वहां की जनता ने असंतुष्ट होने के नाते उनका मुंह काला करके और जूतों का हार पहना कर उनको गधे पर बिठाकर उनका जलूस निकाला । इसलिये इस असंतोष के समाधान के लिये यह आवयक है कि आप यह निर्णय करें कि ऐसा उत्तर देना ठीक है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी व्यवस्था की बात सुनी।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह कि सदन की प्रक्रिया नियमावली के अनुसार और अध्यक्ष महोदय के पूर्व निर्णयों के अनुसार सदन से केवल वही सूचना रोकी जा सकती है जो जनहित में न हो लेकिन अगर सूचना किसी संस्था के हित में न हो तो उसे सरकार को रोकने का अधिकार नहीं है। जनहित की बात तो ठीक है लकिन बैंक हित में नहीं है ऐसा कहकर सूचना न देने का अधिकार उन को नहीं है इसलिये आप मंत्री जी को मजबूर करें कि वह सदन को सूचना दें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मुझे शंका हो रही है कि आप अपनी व्यवस्था क्यों नही दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

पहले मैं व्यवस्था की बात तो सुन लूं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर यहां पर माननीय त्रिपाठी जी नें और माननीय शिवराज सिंह जी ने दो व्यवस्थायें उठायी हैं, उनके बारे में मुझे निवेदन करना है कि क्या यहां पर अर्थात् सदन में जो हमारी स्वायत्तशासी संस्थायें हैं, उनके बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। मेरा एक प्रश्न भी इसी पर रिजैक्ट कर दिया गया था। जिन संस्थाओं को सरकारी ऋण दिया जाता है या जिनमें सरकार का शेयर है और वह शेयर इस सदन से मंजूर होता है, उन पर नियंत्रण रखने के लिये क्या इस सदन को अधिकार है या नहीं कि वह प्रश्न पूछ सके ? मान्यवर, यह भी व्यवस्था दें कि कोई उत्तर जनहित में नहीं है, इसे कौन निश्चित करेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय माधव प्रसाद जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है सब लोग वही व्यवस्था के रूप में उठा रहे हैं। पहले मैं सुन लूं उसके बाद कोई व्यवस्था दे सकूंगा।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 28 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें प्रश्नों का रूप तथा विषय के बारे में दिया हुआ है। इसमें दिया है कि कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जा सकेगा जो निम्नलिखित शर्तों को न पूरा करता हो, अर्थात् आप 12 (उपनियम) को देखें। इसमें है कि उसका स्थानीय निकायों अथवा अन्य कोई अर्द्ध स्वायत्त निकायों के दैनिक प्रशासन से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। किन्तु अध्यक्ष ऐसे प्रश्नों को स्वीकृत कर सकेगें जो उनके और शासन के सम्बन्ध से उत्पन्न होते हों या जो विधि या नियमों के भंग होने से सम्बद्ध हों या सार्वजनिक हित के महत्वपूर्ण विषयों से सम्बन्ध रखते हों।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या आप कहना चाहते हैं कि हमने अपने अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए इस प्रश्न को स्वीकार किया है । मैंने इसको स्वीकार किया है ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

श्रीमन्, आपने जो आदेश दिया नियमों के अन्तर्गत दिया है। माननीय मंत्री जी उत्तर नहीं दे रहे हैं, यह तो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बन जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आपका अनावश्यक दखल है।

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

श्रीमन्, मुझे निवेदन करना है कि मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी सूचना को छुपाना हमारा इरादा नहीं है। नियमों में कुछ कठिनाइयां हैं जैसे रिजर्व बैंक आदि की । इन चीजों को आगे लाने में । जहां पर यह अधिकार सरकार को होता है कि हम किसी चीज को यह कहकर कि यह जनहित में नहीं होगा, उसकी सूचना देने से रोक लेते हैं, वहीं पर वह अधिकार हमारा ऐसा नहीं हो सकता है कि देखा न जा सकेगा।

इसी प्रकार का प्राविधान आज अदालतों में होता है । वहां पर भी जब प्रिवीलेज क्लेम किया जाता है, उस पर नियम यह है कि जो अधिष्ठाता या पीठासीन अधिकारी होता है वह देख लेता है, यहां पर अगर उपाध्यक्ष जी चाहते हैं इन सब बातों को देखलें और यदि श्रीमन्, यह समझें कि सूचना दी जानी चाहिये तो दी जायगी । लेकिन आप अपने कक्ष में बुला लें कागजात को देख लें और देखलें कि क्या हालत है । यह नहीं है कि हम देना नहीं चाहते हैं । कुछ नियम ऐसे हैं, जिनका लिहाज दूसरे जो बैंकों के नियम हैं, उनका भी सम्मान करते हुए, उनका भी पालन करते हुए हम इन सवालों के जवाब दे दें या न दें, आप देख लें । यदि आपका यह आदेश हुआ कि यह जनहित में नहीं है तो वह कोई ऐसी सूचना नहीं होती जिसको हम सदन में देना नहीं चाहते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, जो प्रश्न इस वक्त आपके सामने है उसको इन्होंने उलझा दिया । प्रश्न तो दो हैं। चाहे वे जनहित कहें या बैंक हित कहें । मैंने प्रश्न उठाया था कि इस चीज की आड़ में प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं होगा और सही चीज सदन के सामने नहीं आ पाती। इसकी जिम्मेदारी अध्यक्ष की है कि जनहित की आड़ में बचा लें । पहले उन्होंने जनहित कहा और बाद में बैंक हित कहा । बैंक हित भी तो जनहित होगा । आपको रूलिंग देनी है—जैसा कि अदालत में करते हैं आपकी अदालत तो उससे भी बड़ी है । आपमें सारा सदन विश्वास करता है । पहले तो उनको आप मजबूर करें कि जनहित का यह कोई प्रश्न नहीं है । अगर आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह जनहित है तो न बतायें । हम लोग यही निर्णय करने के लिये बैठे हैं कि यह जनहित में नहीं है । ये अकेले कैसे निर्णय कर लेते हैं कि यह जनहित है । इसलिये यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है । आप अवश्य अपना निर्णय दें । एक सुधांशु जी थे बिहार में । उन्होंने यह निर्णय दिया था कि जनहित कह कर बच नहीं सकती सरकार । इससे बहुत बड़ा अहित होता है । उन्होंने विरोधी पक्ष के फेवर में रूलिंग दी थी । आप अवश्य विचार करके व्यवस्था दें ।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय राजस्व मंत्री जी ने ठीक कहा कि जनहित का प्रश्न है । उन्हें माननीय अध्यक्ष या माननीय उपाध्यक्ष जी को सूचित करना चाहिये था कि जनहित का प्रश्न है । आपको यह अधिकार है कि आप सूचना को रोक सकते हैं । जब आपने ही प्रश्न को स्वीकार किया है तो माननीय मंत्री जी को चाहिये था कि जो सूचना मांगी जा रही है उससे आपको सूचित करते । माननीय मंत्री जी ने कहा कि जनहित में सूचना देना ठीक नहीं है । बाद में उन्होंने कहा कि बैंक हित में नहीं है । जनहित का सवाल तो उन्होंने स्वयं ही समाप्त कर दिया । अब सूचना रोकने का और आपसे सूचना लेने का कोई सवाल नहीं रह गया । अब तो माननीय मंत्री को सूचना देनी चाहिये थी ।

श्री राम बिलास पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

अभी मंत्री जी ने जबाव दिया कि सरकार का हिस्सा है या नहीं । मान्यवर, उसमें सरकार नामीनेट करती है । संचालक मंडल में जाते हैं । सरकार का हिस्सा उसमें है । सदन यहां बैठा है । माननीय सदस्य जानना चाहते है कि बैंक हित में वह क्यों नहीं है । कोई घोटाला है, गड़बड़ी है जिसके कारण उस बैंक की शाख गिर जायेगी । क्या ऐसा मंत्री जी ने महसूस किया कि वह अखबारों में साया होगी । जहां लाखों रुपये का घोटाला हो रहा हो, सरकार का काफी पैसा लगा हुआ हो तो वह चीज सामने आनी चाहिये । बैंक हित में तभी हो सकता है, जो भ्रष्टाचार है, गबन हो रहा है वह सदन के सामने आये, पेपरों में जाय, तभी भ्रष्टाचार समाप्त होगा । इसलिये जरूरी है कि सदन के सामने वह चीज रक्खें मंत्री जी ।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं कि अपने प्रदेश में धीरे-धीरे कई एक आटोनामस बाडीज बनती जा रही है जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, परिवहन निगम और ट्यूबवैल्स निगम। क्या हम सदन में इन आटोनामस बाडीज के बारे में पूछताछ कर सकेंगे या नहीं। मैं आपकी व्यवस्था इस पर चाहता हूं।

(श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

अगर जो बातें कही गई हैं, वही आपको कहनी हैं, अगर वही बात आप दोहराना चाहते हैं तो ठीक नहीं है। वैसे प्रश्न बहुत साफ हो गया है।

श्री राम करन सिंह—

मान्यवर, इस रिपोर्ट के ऊपर न हो तो किसी दिन बहस रख दें।

श्री उपाध्यक्ष—

जिसकी कल्पना आप कर रहे है, हो सकता है वह बहुत घोर जन विरोधी हो। मैं उसका पक्षधर नहीं हूं जब तक कि कोई व्यवस्था नहीं आती। लेकिन एक सार्वजनिक सवाल के सार्वजनिक ढंग से बहस के पक्ष में सदा रहता हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, मैं अध्यक्ष पद की ओर से लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। पृष्ठ 208 (नम्बर 56) पर अध्यक्ष ने निम्न प्रकार के वाक्य इस्तेमाल किये हैं। इसमें यह है कि रोजमर्रा की या कारगुजारी के सवाल की बात नहीं आयेगी। लेकिन उसमें साफ कहा है कि केवल सिद्धान्तों या महत्व के सार्वजनिक हितों के विषय में जो प्रश्न आये वहीं प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह सार्वजनिक महत्व का प्रश्न आपने स्वीकार किया और इसलिये श्रीमन् इसमे किसी कारगुजारी का सवाल नहीं आता है। इस विषय में उत्तर देने के लिये मंत्री जी को आप बाध्य कर सकते हैं।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित बात पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। जैसा मान्यवर, उन्होंने स्वीकार किया कि जो शासन की ओर से जब यह कहा जायेगा कि गोपनीय है या सरकार उत्तर देने में सक्षम नहीं है या जनहित में नहीं है, तो यह अधिकार आपको है कि आप शासन की ओर से जो उत्तर दिया जाय उससे आप पहले संतुष्ट हो लें, और उसके बाद ही आप व्यवस्था दें तभी ठीक रहेगा। तो आप क्या व्यवस्था दे रहे हैं?

श्री मही लाल (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा. . . .

(व्यवधान)

श्री चन्द्रभान शर्मा—

मान्यवर, पहले आप व्यवस्था दीजिये, तब प्रश्न करने की इजाजत दीजिये।

श्री महीलाल—

जब जनता के धन का इस तरह से दुरुपयोग होगा तो आप इसको जनहित में क्यों मानते हैं?

श्री रामधारी शास्त्री--

मान्यवर, मैं आपका केवल दो मिनट समय लूंगा। यह जो नियमावली है उसके नियम 28 (12) में यह दिया हुआ है कि "उसका स्थानीय निकायों अथवा अन्य अर्द्ध स्वायत्त निकायों के दैनिक प्रशासन से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। किन्तु अध्यक्ष ऐसे प्रश्नों को स्वीकृत कर सकेंगे जो उनके और शासन के सम्बन्ध से उत्पन्न होते हों या जो विधि या नियमों के भंग होने से सम्बद्ध हों या सार्वजनिक हित के महत्वपूर्ण विषयों से सम्बन्ध रखते हों" फिर श्रीमन् यह अधिकार इस सदन को कितना ज्यादा है, यह बात नियम 28 (20) में स्पष्ट की गई है:

"उसमें ऐसे विषयों के बारे में नहीं पूछा जायगा जो कोई न्यायिक या अर्धन्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिये नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने विचाराधीन हो। किन्तु यदि उस न्यायाधिकरण, संविहित प्राधिकारी, आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका न हो तो उसमें जांच की प्रक्रिया या व्याप्ति या प्रक्रम से संबंधित विषयों की ओर निर्देश किया जा सकेगा।"

श्रीमन्, मंत्री जी ने मंजूर कर लिया है कि यह जनहित नहीं है। इस पर व्यवस्था होनी चाहिये। आडिट रिपोर्ट पबलिक डाकूमेन्ट होता है। ऐसे तो बैंक में अगर कोई भंडाफोड़ होता है तो मंत्री जी कहेंगे कि यह कहना उचित नहीं है।

(इस समय दर्शक दीर्घा से पर्चे फेंके गये।)

इसकी व्यवस्था कीजिये। अगर कोई बैंक में एकाउन्ट रखने वालों के हिसाब से गड़-बड़ी करता है और अगर उस बारे में पूछा जायगा तो क्या बैंक हित में उसको नहीं बतलाया जावेगा। आप इस पर व्यवस्था दे दें जिससे यह मामला शान्त हो जाय।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला रायबरेली)--

मंत्री जी ने यह स्वीकार कर लिया है कि यह जनहित की बात नहीं है, बैंक हित में वह उत्तर नहीं देना चाहते हैं। मुझे शंका है कि उसके बाद यह भी कहा जा सकता है कि यह गबन करने वाले के हित में नहीं है, तो फिर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष--

यह जो प्रश्न आपके सामने है, इसके सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद मैं यह समझता हूं कि जिस माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है और नियमावली का हवाला दिया है, तो यह हवाला तो प्रश्न स्वीकार करने के अधिकार के बारे में है। उसमें इसका प्रयोग किया गया है। यह प्रश्न आपके सामने है। मात्र प्रश्न यह है कि जनहित में है या बैंक हित में है। यह जनहित में नहीं है, बैंक हित में है। जनहित में होता तो मैं अपनी व्यवस्था देता।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, आप व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष--

अब जनहित की बात नहीं है, तो हाईपोथेटिकल का जबाव क्यों दें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

बैंक एक व्यक्ति के लिये नहीं होता है, समाज के लिये होता है।

श्री उपाध्यक्ष--

जनहित और बैंक हित में बड़ा भारी अन्तर है। हो सकता है कि बैंक हित में ही जनहित हो और हो सकता है कि बैंक के विरोध में जनहित हो। तो जनहित व्यापक है। वह प्रश्न स्वीकार किया गया है। अब यह सम्प्रेक्षण रिपोर्ट सरकार के सामने है और कोई बैंक हित में सूचना दी जाय या नहीं, यह प्रश्न है। पहले तो यह है कि हर निकाय या निगम स्वायत्त शासन की संस्था है। उनके प्रति सरकार का उत्तरदायित्व है। यह बात सही है कि जो स्वायत्तशासी संस्था है उसके बारे में प्रश्न करना अनियमित नहीं है, लेकिन उसके सैद्धान्तिक पहलू पर बिचार और मार्गदर्शन के सम्बन्ध में यह शासन, सरकार, सदन सक्षम है। बैंक हित की बात जो मंत्री जी ने कही उसमें जो पहले उन्होंने कहा और बाद में कहा उसमें थोड़ा सा अन्तर है। यह जो बैंक को नुकसान हो सकता है, उसकी साख गिर सकती है अगर किसी चीज के बारे में अच्छी तरह से उस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, वित्त विभाग ने ध्यान नहीं दिया और उसका परीक्षण और सूक्ष्म विश्लेषण नहीं हुआ। अनायास हो सकता है कि सरकारी या अन्य क्षेत्रों में कोई संस्था है और उसको नुकसान पहुंच जाय। इस चीज को तो देखना है। उसकी वस्तु स्थिति हमारे सामने नहीं है कि बैंक को नुकसान हो सकता है या नहीं, यह तथ्य हमारे सामने नहीं है। इस लिये मंत्री जी मेरे कक्ष में आकर इस पहलू को समझा देंगे और मैं उसको देख लूंगा तब मैं बैंक हित या किसके हित में रखा जाना चाहिये जान सकूंगा। जहां तक कि आप के अधिकार का सम्बन्ध है यह रुचिकर नहीं है और न मैं इसका कोई औचित्य ही समझता हूं। बैंक की सम्प्रेक्षण रिपोर्ट के आधार पर ही किसी बैंक को किसी प्रकार का मान लिया जाय यह तो नहीं है। सदन में आप कोई बहस करते हैं और उसका पक्ष भी होता है और विपक्ष भी होता है। जो सही होता है उसको आप निश्चित करते हैं। इसलिये हम इसका निष्कर्ष निकालने के लिये कि क्या सही हो सकता है उसको हम देख लेंगे।

श्री गोविन्द सिह नेगी--

क्या बैंक हित क नाम पर इत्तिला नहीं दे सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

इत्तिला हर एक चीज के बारे में दी जा सकती है। जब मैंने सरकार के उत्तरदायित्व के बारे में बात कही थी, सरकार के नियंत्रण का अधिकार और उसके मार्गदर्शन का अधिकार और उसकी अन्तिम शक्ति के बारे में कोई दो राय नहीं है। कोई भी स्वायत्तशासी संस्था हो उस के बारे में विधि, नियम बनाने, उसको जीवित करने तथा चलाने का अधिकार शासन की सीमा और परिधि के अधिकार के अन्तर्गत है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज सा हो गया हूं। जो रास्ता आप बना रहे हैं वह ठीक है। जो मूल प्रश्न उठा था और आपने बताया था कि वह प्रश्न हमारे सामने नहीं आया। जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और जो सैद्धान्तिक चीजों पर निर्णय दिया जाता है वह ऐसे ही समय पर दिया जाता है, जैसा कि नेगी जी ने कहा। आप इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि ऐसे मामले भी हो सकते है जिनकी सूचना सबको नहीं दी जा सकती है जो देश की सिक्योरिटी से सम्बन्ध रखती है तो उस पर कुछ नहीं हो सकता है। यह निर्णय होना ही चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर आप चाहते हैं तो सामान्य रूप से केन्द्रीय सरकार और उसका जो अधिकार क्षेत्र है उसको अलग रखते हुये विधान सभा के अन्तर्गत जितने अधिकार प्राप्त हैं तो किसी ऐसी चीज की बहस का औचित्य नहीं है जिनके कारण जन अहित हो जायगा। यह मेरी राय है और जब सवाल आयेगा और उसकी व्यवस्था देने का प्रश्न होगा तो मैं अपनी राय के अनुरूप ही उसकी व्यवस्था करना चाहूंगा। परन्तु यह बात तो उस समय उठेगी जब जनहित की बात उठे।

श्री कल्पनाथ सिंह—

सरकार ने, मान्यवर, आज सारा का सारा प्रश्न का समय अपने एक उत्तर में ले लिया और श्रीमन्, आप यह देखें कि ऐसा उत्तर दिया कि विरोधी पक्ष ही नहीं, बल्कि सरकारी पक्ष के लोगों को भी घोर असंतोष रहा। मान्यवर, सरकार ने बैंकों में हो रहे भ्रष्टाचार और गोलमाल को छिपाने का प्रयास किया है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको हटा थोड़े ही रहे हैं। पहले मुझे भी आश्वस्त होना पड़ेगा कि यह जो जबाव उन्होंने दिया है सही है कि नहीं? अत: अभी इस सवाल को स्थगित कर देते हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, सवाल यह है कि आज सरकार ने सदन का अवमान किया है ऐसा उत्तर देकर। सारे का सारा प्रश्नों का घण्टा इसमें ले लिया गया। बैंकों में हो रही ज्यादती और नंगेपन का चित्र जो सामने आता है, उसको उसी रूप में प्रस्तुत न कर सरकार ने उसको बढ़ावा दिया है। मान्यवर, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है लेकिन सरकार इस नीति के विरोध में कि यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, गोलमाल और तिकड़मबाजी को बढ़ावा देती है? मैं और मेरे दल के सदस्य दो मिनट के लिये सदन का त्याग करते हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मान्यवर, बैंकों में सरकार के कर्मचारी और अधिकारी रहते हैं। इस प्रकार बैंकों पर नियंत्रण उनका रहता है। वे बैंकों को भंग कर सकते हैं। फिर भी सरकार कहे कि हमें कोई अधिकार नहीं है तो यह गलत बात है।

श्री माधो प्रसाद त्रिपाठी—

चाहे स्वायत्त संस्थायें हों, चाहे दूसरे प्रकार की संस्थायें हों, चाहे बैंक हों, चाहे एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो या अन्य आटोनामस बाडीज हों, वे अपने लिये नहीं होती हैं बल्कि सार समाज और जनहित के लिये होती हैं। बैंकों में गड़बड़ी हुई तो जनहित में कोई गड़बड़ी है कि नहीं?

श्री उपाध्यक्ष—

हम उसे देख लेंगे। अभी ये सब काल्पनिक (हाइपोथेटिकल) बातें हैं। जो सवाल है और जो मंत्री जी कह रहे है, उनमें यदि हम सामन्जस्य नहीं पायेंगे तो आपके सामने अपनी व्यवस्था रख सकेंगे।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, हमारे देश की विभिन्न विधान सभाओं में सचिव लोगों का स्थान अध्यक्ष से बहुत दूर और नीचे रहता है। इसलिये दूसरी विधान सभाओं और संसद में व्यवस्था बहुधा पीठासीन अधिकारी रोक लेते हैं क्योंकि वहां अध्यक्ष को इन अधिकारियों की सहायता तत्काल नहीं मिल पाती है। यहां पर आपके बगल में ही सचिव महोदय बैठते हैं और उनके पास कानून की किताबें हैं और फिर मान्यवर, आप स्वयं एक विद्वान प्रोफेसर हैं। तो मान्यवर आपको तत्काल व्यवस्था देनी चाहिये।

श्री रामधारी शास्त्री--

आप भविष्य के लिये ऐसे आदेश दें कि इस तरह का वे उत्तर न दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न का उत्तर तो दिलवा दिया गया ।

श्री रामधारी शास्त्री--

वे यह न कहें कि यह जनहित में या बैंक हित में नहीं है । इसकी व्यवस्था आप दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

व्यवस्था तो मैं बाद में सब चीजें देख कर दूगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

श्रीमन्, आप इस प्रश्न को ध्यान से अगर देखेंगे तो इससे ऐसा आभास मिलेगा कि बैंक के हिसाब किताब का जो सालाना आडिट हुआ उसकी आडिट रिपोर्ट सरकार को उचित कार्यवाही करने के लिये सबमिट की गयी, किन्तु सरकार ने कोई ऐक्शन उस पर नहीं लिया बल्कि जिस अधिकारी ने यह रिपोर्ट दी है उस अधिकारी को इनाम देकर वहीं नियुक्त कर दिया ....

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने तो प्रश्न ही अभी स्थगित कर दिया है, जब वह पुनः आये तब आप कहें जो कुछ कहना है आपको ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

प्रश्न संख्या 2 भी इसी तरह का है उसे भी स्थगित कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप ठीक कह रहे हैं । वह भी स्थगित हो जायेगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

श्रीमन्, स्थगन का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि सरकार अपने कर्त्तव्य से च्युत हो रही है ।

*2--श्री शिवानन्द नौटियाल--

[स्थगित किया गया ।]

*3--श्री इन्द लाल--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

नोटः--तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*4—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*5—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री रामकरन सिंह—

[9वें मंगल में प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

हरिद्वार नगरपालिका को देहरादून जिले में मिलाया जाना

*6—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार बतायेगी कि हरिद्वार नगरपालिका को देहरादून जिले में मिलाये जाने के सम्बन्ध में पिछले 3 वर्षों से देहरादून बार एसोसियेशन प्रस्ताव पारित कर सरकार से मांग की है? यदि हां तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी नहीं । इस प्रकार का कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं हुआ है ।

बिजनौर जिले में बोकसों के अधूरे मकान

*7—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या हरिजन एवं समाजकल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला बिजनौर में लाल डांग क्षेत्र के पास जो बोकसों (हरिजनों) की एक बस्ती है और जिसको सरकार ने मकान बनाने हेतु कुछ सहायता कई वर्ष पूर्व दी थी वहां उस सहायता से मकान अधूरे बने खड़े हैं । यदि हां, तो क्या सरकार उनको पूरा कराने के लिये कोई अनुदान और देगी ?

वन मन्त्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

जी हां ।

कुल 10 परिवारों को मकान बनवाने के लिये अनुदान स्वीकृति किये गये थे जिनमें से 5 मकान पूर्ण हो गये हैं और शेष 5 में केवल आगे वाले बरामदों का निर्माण अपूर्ण है ।

उक्त कार्य पूर्ण करने के लिये संबंधित अनुदान गृहीताओं की पास बुकों में धनराशि उपलब्ध है । अतएव और अनुदान देने का प्रश्न नहीं उठता ।

हरिजन कल्याण विभाग में कार्यरत कर्मचारी

*8—श्री श्यामलाल कनौजिया (जिला आजमगढ़) तथा श्री मुन्शीलाल चमार (जिला मैनपुरी)—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रदेश भर में हरिजन कल्याण विभाग के अन्तर्गत प्रथम, द्वितीय, तृतीय, एवं चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और उसमें सामान्य और हरिजनों की संख्या अलग-अलग क्या है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

वांछित सूचना संलग्न सूची में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 362 पर)

प्रदेश के लेखपाल

*9—श्री मुंशीलाल चमार—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगे हुए लेखपालों की संख्या क्या है उनमें से हरिजन और सामान्य के कितने लोग हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगे हुए लेखपालों की संख्या 18346 है। हरिजन तथा सामान्य जाति के लेखपालों की संख्या जिलाधिकारियों से एकत्र की जा रही है।

*10--श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जनपद में कौन-कौन से ग्राम 1971 की बाढ़ से पीड़ित घोषित किये गये थे? और उन्हें बाढ़ पीड़ित घोषित किये जाने का आधार क्या था? जो क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त घोषित किये गये थे सरकार ने वहां के लोगों को क्या-क्या सुविधायें प्रदान की?

श्री उदित नारायण शर्मा--

सूचना एकत्र की जा रही है।

*11-12--श्री अनन्तराम जायसवाल--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*13--श्री इन्द्रलाल--

[4थे शुक्रवार के लिये स्थगित]

स्थगित तकावी का ब्याज एवं तकावी ऋण

*14--श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)--

क्या राजस्व मन्त्री प्रदेश के कम उपजाऊ भागों के पीड़ित किसानों को दी गई उस तकावी का ब्याज माफ करने की कृपा करेंगे जिसकी वसूली सरकार ने सूखा अथवा बाढ़ आदि के कारण गत वर्षों में स्थगित कर दी थी?

श्री उदित नारायण शर्मा--

नियमानुसार यह संभव नही है। ऐसी तकावी पर ब्याज की दर अवश्य कम है।

*15--श्री सर्वसुख सिंह--

क्या सरकार राज्य के ऐसे किसानों का तकावी ऋण माफ करने की कृपा करेगी जो ऋण लेने के बाद लगातार सूखा तथा बाढ़ आदि के शिकार होते चले आ रहे हैं?

श्री उदित नारायण शर्मा--

तकावी ऋण की छूट नियमानुसार उसी दशा में दी जा सकती है--(1) जब कोई ऋण वास्तव में वसूल न हो सकता हो या (2) जब कोई कार्य (Work) ऐसे कारणों से विफल हो जाय जो ऋण लेने वाले की शक्ति के बाहर हो और पूरा ऋण वसूल करनें में उसके लिये गंभीर कठिनाई उत्पन्न हो अथवा (3) जब किसी ऐसे बीज से जिसके लिये किसी विपत्ति के कारण तकावी ली गई हो, उत्पन्न फसल अगली ऋतु में किसी दूसरी विपत्ति से पूरी तरह से नष्ट हो जाय। न परिस्थितियों के अतिरिक्त अन्य किसी दशा में तकावी ऋण को माफ नहीं किया जा सकता।

बलिया जिले की साधन सहकारी समिति नरायनपाली के सरपंच एवं भूतपूर्व एकाउन्टेंट

*16—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद में गड़वार विकास खण्ड के अन्तर्गत साधन सहकारी समिति नरायनापाली के सरपंच के विरुद्ध लगभग 26 हजार रुपये गबन के मामले की रिपोर्ट क्षेत्रीय विभागीय सुपरवाइजर तथा क्षेत्रीय सहकारिता सहायक विकास अधिकारी ने जून सन् 1971 के लगभग किया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार न अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

बलिया जनपद के गड़वार विकास खण्ड के अन्तर्गत नारायन पाली साधन सहकारी समिति में मू0 27,250.57 रु0 के धन के अपहरण और दुरुपयोग की रिपोर्ट सहायक विकास अधिकारी (सह) ने 30-7-71 में किया है। इसमें से सरपंच के विरुद्ध 2,201.46 रु0 के दुरुपयोग का अभियोग है। इस सम्बन्ध में समिति के अभिलेखों को जब्त करने का आदेश दिया गया है तथा समिति के आवश्यक कागजात सहायक विकास अधिकारी (सह) गड़वार द्वारा अपने कब्जे में ले लिये गये हैं। विभाग द्वारा जांच की कार्यवाही पूरी कर ली गई है तथा सहायक विकास अधिकारी (सह) को पुलिस में अभियोग दर्ज कराने एवं वसूली हेतु सालसी कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

*17—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सहकारिता मन्त्री यह भी कृपया बतायेंगे कि उक्त विकास खण्ड के ही साधन सहकारी समिति भूतपूर्व एकाउण्टेन्ट श्री जुगल प्रसाद के विरुद्ध उर्वरकों में गड़बड़ी करने की शिकायत विभाग द्वारा अगस्त, सन् 1971 में किये गये ? यदि हां तो आरोप कौन-कौन से हैं और क्या कारण है कि सम्बन्धित एकाउन्टेन्ट को दोष सिद्धी के पश्चात् भी निलम्बन न करके विभाग में सचिव के पद पर पदोन्नति कर दी गई है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

गड़वार विकास खण्ड के गड़वार साधन सहकारी समिति के भूतपूर्व एकाउन्टेन्ट श्री जुगल प्रसाद के विरुद्ध उर्वरकों में गड़बड़ी करने की कोई शिकायत विभाग द्वारा नहीं की गई है। श्री जुगल प्रसाद की नियुक्ति सचिव के पद पर साधन सहकारी समिति गड़वार के संचालक मण्डल द्वारा की गई है और औपचारिक स्वीकृति विभाग द्वारा दी गई है।

गुन्नौर जिला सुल्तानपुर का खोपरवारी ताल

*18—श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम गुन्नौर थाना व तहसील मुसाफिरखाना जिला सुल्तानपुर के खोपरबारी नामक ताल को किसी व्यक्ति ने तोड़वा कर खेत बनवा लिया है और उस पर अवैध कब्जा कर रखा है? यदि नहीं, तो क्या प्रश्न कर्ता की इस सूचना को सही मान कर जांच करवा कर उक्त व्यक्ति को हटाने तथा दण्डित करने की सरकार कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

जी हां। प्रश्नगत ताल के कुल क्षेत्रफल 5 बीघा, 13 बिस्वा, 13 धूर में से 2 बीघा, 14 बिस्वां, 13 धुर पर अनधिकार कब्जा पाया गया जिसमें से एक व्यक्ति ने 2 बीघा, 7 बिस्वा, 13 धूर पर अनधिकार कब्जा कर रखा था जिसे 13-10-1970 को न्यायालय तहसीलदार द्वारा जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122बी-के अन्तर्गत कार्यवाही के पश्चात बेदखल किया गया था। इस समय शेष 7 बिस्वा भूमि पर दो व्यक्तियों का अनधिकार कब्जा है और उनके विरुद्ध उपरोक्त धारा 122 बी0 के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही चल रहीं है।

*19--श्री कल्याण सिंह--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

लखनऊ के बाढ़ ग्रस्त लोगों को अनुदान

*20--श्री सियाराम (जिला एटा)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चौक, हुसेनाबाद और दौलतगंज लखनऊ में कितने व्यक्ति गत बाढ़ में गस्त हुए और उनमें से कितने बाढ़ गस्त लोगों को अनुदान दिया गया? क्या यह सच है कि यहां की बाढ़ पीड़ित जनता में जो अनुदान वितरित हुआ है वह सही प्रकार से नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

श्री उदित नारायण शर्मा--

568 परिवारों के 2761 व्यक्ति बाढ़ से पीड़ित हुए थे। दौलतगंज के 40 परिवारों को 2500 रु0 गृह निर्माण अनुदान दिया गया था। हुसैनाबाद मुहल्ले के बाढ़ पीड़ित हुसैनाबाद ट्रस्ट के भवनों में रहते थे। अतः गृह निर्माण अनुदान पाने के अधिकारी नहीं थे। उक्त क्षेत्रों के अधिकांश बाढ़ पीड़ितों को सरकार की ओर से स्थापित बाढ़ शरणालय में ठहराया गया था एवं निःशुल्क आवास तथा भोजन की व्यवस्था की गयी थी। चौक मुहल्ले में बाढ़ से कोई नुक्सान नहीं हुआ। अतः किसी को अनुदान देने का प्रश्न नहीं उठता। जो अनुदान वितरित किया गया है वह नियमानुसार हुआ है।

21--श्री धर्मवीर--

[4थे शुक्रवार के लिये स्थगित]

मुरादाबाद केंद्रीय उपभोक्ता भण्डार

22--श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई (जिला मुरादाबाद)--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुरादाबाद केंद्रीय उपभोक्ता भंडार लि0 में हुई गड़बड़ी एवं धांधली की जांच कराने के संबंध में जिलाधिकारी मुरादाबाद ने कोई संस्तुति नवम्बर, 1971 में शासन को भेजी थी? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

जी हां, जिलाधिकारी, मुरादाबाद ने अपनी संस्तुति नवम्बर 1971 में निबन्धक सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश को भेजी थी, जिस पर जांच की जा रही है।

चकबन्दी विभाग की एस० ओ० सी० यूनिट

*23—श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सेवारत पांच एस०ओ० सी० यूनिट (चकबन्दी) को समाप्त करने का कोई प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उससे कुल कितने कर्मचारी तथा अधिकारी प्रभावित होंगे और उनके भविष्य के लिये सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी नहीं । ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

*24—श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

[4थे शुक्रवार के लिये स्थगित]

जौनपुर का जिला सहकारी बैंक

*25—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिला सहकारी बैंक में कई लाख रुपये के गड़बड़ करने का मामला गत वर्ष पकड़ा गया है ? यदि हां, तो अभी तक उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जौनपुर जिला सहकारी बैंक के मड़ियाहूं शाखा में 11,000.00 रु० के अनियमित ढंग से स्वीकृति एवं वितरित करने की गड़बड़ी गत वर्ष प्रकाश में आई । जिस पर बैंक के सभापति द्वारा संबंधित कर्मचारियों व अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

*26—श्री भानु प्रताप सिंह—

[3रे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 52 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

हल्द्वानी जिला नैनीताल का सरकारी डाक बंगला

*27—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि सरकारी डाक बंगला हल्द्वानी (जिला नैनीताल) की कुछ भूमि दी गई है ? यदि हां, तो कब, किस को और किस मूल्य पर ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

दिनांक 14-8-1970 के शासनादेश द्वारा हल्द्वानी में कालाडूंगी रोड पर स्थित डाक बंगले की 7480 वर्ग फीट भूमि बरेली-नैनीताल रोड पर बैठने वाले 68 पटरी दुकानदारों को वहां से हटाकर डाक बंगले की भूमि में दुकाने बनाने के लिये 120 रु० प्रति वर्ग-गज की दर से नजराना तथा 25 पैसे प्रतिवर्ग गज की दर से वार्षिक भू-कर पर दिये जाने के आदेश दिये गये थे । किन्तु कुछ दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानें अनियमित ढंग से दूसरों को हस्तांतरित कर देने के कारण अभी तक पट्टे निष्पादित नहीं हो सके हैं । फलस्वरूप भूमि के हस्तांतरण की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है ।

*28-29—श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

[4थे गुरुवार में तारांकित प्र०सं० 29-30 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*30—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[4थे शुक्रवार के लिये स्थगित]

*31—श्री इन्द्रमणि—

[5वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 57 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सहारनपुर "स्टार पेपर" मिल को दिया गया ठेका

*32—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पर्वतीय अंचल में "स्टार पेपर" मिल सहारनपुर को किस दर पर टेढ़े-मेढ़े चीड़ की लकड़ी (टयुस्टेड उड) देने का ठेका दिया गया है ? कब और कितने वर्ष के लिये दिया गया है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

प्रदेश के पर्वतीय अंचल में स्टार पेपर मिल, सहारनपुर को टेढ़े-मेढ़े चीड़ की लकड़ी देने का ठेका निम्नलिखित दर से दिया गया है :—

1—12 इंच व्यास तक के छटान के वृक्ष	दर प्रति पेड़
0—4 इंच व्यास	2, 1/2 पैसा
4—8 इंच व्यास	17 पैसा
8—12 इंच व्यास	3.50 रु0
2—चीड़ के पेंचदार खड़े पेड़ जिनमें इमारती लकड़ी 10 प्रतिशत से अधिक न हो	40 पैसा प्रति घनफुट

*33—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या सरकार को इस बात की शिकायत मिली है कि उपरोक्त मिल इस ठेके का नाजायज फायदा उठा कर सीधे रेशे के कपड़ों को भी काट रही है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

चीड़ की झादा मुण्डी 1 रु० में 8 घनफुट शासन द्वारा उपरोक्त दरों में 1—10—66 से 10 प्रतिशत की वृद्धि की गयी थी जो कि मिल को स्वीकार न थी। फलस्वरूप इकरारनामे की शर्तों के अनुसार यह मामला मध्यस्थ को सौंपा गया है।

यह ठेका 1—10—61 से 20 वर्ष के लिए दिया गया है।

जी नहीं। ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

जिला लेखपाल संघ, पलिया

*34—श्री मैनेजर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला लेखपाल संघ पलिया ने गत 18 फरवरी 1972 को कोई प्रस्ताव स्वीकार कर शासन को भेजा है कि जिले के अधिकारी उनसे गलत कार्य कराते हैं और अधिकारियों के शीतकालीन दौरे के समय लेखपालों से नाजायज खर्च वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध मे क्या कार्यवाही की गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

शासन को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी प्रश्न से संबंधित विषय पर जांच कराने से ज्ञात होता है कि अधिकारियों द्वारा लेखापालों से कोई गलत कार्य नहीं कराया जाता है और न ही अधिकारियों के शीतकालीन दौरे के समय लेखपालों से नाजायज खर्च वसूल किया जाता है। प्रश्न के अन्तिम भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

*35--श्री निर्भय नारायण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह--

[4थें शुक्रवार के लिये स्थगित।]

डेरापुर, जिला कानपुर, में चकबन्दी

*36--चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील में चकबन्दी का कार्य कब से शुरू किया जा रहा है और उसमें विलम्ब किये जाने का क्या कारण है तथा कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा?

श्री उदित नारायण शर्मा--

कानपुर जिले की तहसील डेरापुर का जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 4 (2) के अन्तर्गत दिनांक 28 मार्च, 1972 को प्रख्यापन किया जा चुका है। कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुरू किया गया है उसमें किसी प्रकार का विलम्ब नहीं हुआ है। चकबन्दी के प्रारम्भ होने के दिनांक से कार्य लगभग 36 माह में पूर्ण हो जाना चाहिए।

कोहणौर सर्किल जिला प्रतापगढ़ के अप्रशिक्षित लेखपाल

*37--श्री शिव शंकर सिंह (जिला गाजीपुर)--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रतापगढ़ जिले के कोहणौर सर्किल में कितने लेखपाल ऐसे हैं जो अप्रशिक्षित (अन्ट्रेण्ड) हैं तथा तीन साल से अधिक समय से प्रतापगढ़ जिले में ही हैं? यदि उनका स्थानान्तरण सर्किल से बाहर हो जाता है तब भी किन कारणों से बार-बार रोक दिया जाता है?

श्री उदित नारायण शर्मा--

चकबन्दी अधिकारी, क्षेत्र कोहणार में 20 अप्रशिक्षित (अनट्रेन्ड) लेखपाल हैं परन्तु इनमें से ऐसा कोई लेखपाल नहीं है जो 3 वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहा हो और जिसका क्षेत्र से बाहर स्थानान्तरण किया गया हो और वह रोक दिया गया हो।

बदायूं जिले की सहकारी समितियों में गबन

*38--श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले की सहकारी समितियों में वर्ष 1970-71 में कुल कितने गबन के मामले पकड़े गये थे और उनमें सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

वर्ष 1970-71 में केवल एक मामला प्रकाश में आया जिसमें विभागीय जांच की जा रही है।

*39—श्री हरिवंश सहाय—
[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

*40–41—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—
[4थे शुक्रवार के लिये स्थगित]

*42—श्री रामसिंह खन्ना—
[4थे शुक्रवार के लिये स्थगित]

हल्द्वानी में प्रेस कान्फ्रेंस

*43—श्री राम सिंह खन्ना (जिला बरेली)—

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला नैनीताल के जिलाधीश ने 8–1–71 को हल्द्वानी में प्रेस कान्फरेंस में यह स्वीकार किया था कि जिला नैनीताल में 50 हजार एकड़ से अधिक भूमि पर अनधिकृति कब्जा लोगों ने कर रखा है ? यदि हां, तो उस नाजायज कब्जे को हटाने के लिये सरकार एवं जिलाधिकारियों ने क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

दिनांक 8–1–71 को जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा हल्द्वानी में की गई कान्फरेंस की कोई सूचना शासन को नहीं है। किन्तु यह सही है कि जिला नैनीताल में 48 हजार एकड़ से ऊपर भूमि पर अनाधिकृत कब्जा लोगों ने कर रखा है। वर्ष 1953 में ही नाजायज कब्जों को हटाने हेतु उस वर्ष के अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमें दायर किये गये थे किन्तु अब अपीले विचाराधीन थी तब वह अधिनियम असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। वर्ष 1959 में नया कानून बनाया गया वह भी 1968 मे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। 1970 में पुनः पूर्व अधिनियम में वांछित संशोधन किये गये किन्तु मार्च 1971 में यह संशोधन अधिनियम भी असंवैधानिक घोषित हो गया। इस प्रकार सरकारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जों को हटाने विषयक कानून समय समय पर असंवैधानिक घोषित होते रहे और इन कब्जों को हटाने में कठिनाई रही। अब इस कठिनाई को दूर करने हेतु उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अध्यादेश, 1972 2 मार्च, 1972 को प्रख्यापित हुआ है। आशा है इस अध्यादेश के प्राविधानों के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जों को हटाने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही हो सकेगी।

कलेक्टरी कचेहरी, गोरखपुर में चपरासियों की नियुक्ति

*44—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1971 से 5 मार्च, 1972 तक गोरखपुर कलेक्टरी कचहरी में चपरासी पद के लिये कितने आवेदन-पत्र आये कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया, कितनें व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र विचाराधीन है कितने व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र रद्द किये गये हैं उनके नाम और पते क्या हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

गोरखपुर कलेक्टरी में 1 जनवरी, 1971 में 5 मार्च, 1972 तक की अवधि में चपरासी पद के लिये 4 आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे उनमें से केवल एक व्यक्ति का नाम उम्मीदवारों की

सूची में दर्ज किया गया। शेष 3 व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिये गये जिनके नाम और पते निम्नलिखित हैं :

(1) श्री जगदम्बा प्रसाद पांडे, ग्राम देवराढ़ खुर्द, तहसील बांसगांव, गोरखपुर।
(2) श्री प्रेम नरायन, ग्राम जमरु तहसील सदर, गोरखपुर।
(3) श्री कमलेश्वर दूबे, ग्राम रामनगर, तहसील फरेंदा, गोरखपुर।

*45—श्रीमती मसाली देवी—

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त चपरासियों की नियुक्तियों में कितने हरिजन एवं पिछड़ी जातियों के हैं और कितने सवर्ण जाति के हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

केवल एक व्यक्ति का नाम उम्मीदवारों की सूची में दर्ज किया गया था वे अनुसूचित जाति के हैं।

थाना सदर बाजार, जिला शाहजहांपुर में लिखायी गयी गबन की रिपोर्ट

*46—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जून, 1971 में थाना सदर बाजार जिला शाहजहांपुर में सहायक निबन्धक सहकारिता विभाग द्वारा जो 1 लाख 42 हजार के गबन की रिपोर्ट लिखाई गई। उसमें आज तक क्या कार्यवाही हुई और उसमें कौन-कौन दोषी है क्या दोषी लोगों को जेल भेजा गया और क्या अपराध अनुसंधान विभाग को समस्त कागजात प्राप्त हो गये ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जून, 1971 थाना सदर बाजार जिला शाहजहांपुर में सहायक निबन्धक, सहकारिता विभाग ने रु० 21,725.00 जो कोयले के मद से संबंधित था, गबन की रिपोर्ट लिख कर भेजी थी। पुलिस विभाग के सुझाव पर यह मामला अपराध अनुसंधान विभाग को सुपुर्द किया गया। उस विभाग को अभी कागजात प्राप्त नहीं हुये।

तहसील तरबगंज जिला गोंडा के बाढ़ पीड़ितों को सहायता

*47—श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री महावीर सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा के तहसील तरबगंज के अन्तर्गत ग्रामों व मौजों के लोगों को सरजू नदी की भीषण बाढ़ व वर्षा से पीड़ित लोगों को कब तक कितनी और किस मात्रा में सहायता प्रदान की गई है ? क्या मंत्री यह भी बतायेंगे कि इन ग्रामों पंचमपुरवा, भयाका पुरवा, नैपालपुरवा, हीरापुर, शीशामऊ, कुलबीपुरवा, व कचनापुर के गरीब एवं असहाय हरिजन व पिछड़े लोगों को जिनका मकान क्षतिग्रस्त एवं बिल्कुल गिर गया है उनको सरकार क्या-क्या सहायता अब दे रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

तहसील तरबगंज के ग्रामों के सरजू नदी की भीषण बाढ़ व वर्षा से प्रभावित लोगों को दी गई सहायता का विवरण संलग्न है जिसमें प्रश्नांकित गांवों के सम्बन्ध में सूचना अलग से दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 363 पर)

प्लान्टेशन डिवीजन, मिर्जापुर के डी०एफ०ओ० के विरुद्ध शिकायत

*48—श्री सूबेदार प्रसाद—

क्या वन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्लान्टेशन डिवीजन, मिर्जापुर के डी० एफ० ओ० के विरुद्ध जनवरी, 1970 से 1971 तक कितने लिखित शिकायती-पत्र मिले और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

प्लान्टेशन डिवीजन, मिर्जापुर के डी० एफ० ओ० के विरुद्ध जनवरी, 1970 से 1971 तक 7 लिखित शिकायती पत्र मिले और उन पर जांच की जा रही है।

*49—श्री सूबेदार प्रसाद—

क्या मंत्री यह भी बतायेंगे कि उक्त डिवीजन में 1970 और 1971 के बीच झाड़ी कटाई मद में कितना व्यय किया गया ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

उक्त डिवीजन में 1970 और 1971 के बीच झाड़ी कटाई व दुकान के मद में कुल रु० 83,550.90 पैसा व्यय किया गया।

धर्मपुर, जिला बहराइच के जंगलों की नीलामी

*50—श्री पारसनाथ सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बहराइच जनपद के तहसील नानपारा में हल्का धर्मपुर में सहायक अभिलेख अधिकारी नानपारा द्वारा हाल ही में अभिलेख कार्यकाल में किस-किस ग्राम सभा के जंगल कितने-कितने रुपयों में नीलाम किये गये तथा संबंधित ठकदारों से कुल नीलाम की धनराशि वसूल कर ली गई या नहीं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*51—श्रीमती मसाली देवी—

[4थे शुक्रवार के लिये स्थगित]

*52—श्री इन्द्रजीत—

[4थे शुक्रवार के लिये स्थगित]

ग्राम हुसेनपुर सकरवारी, जिला फैजाबाद के निवासियों का प्रार्थना-पत्र

*53—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उनको दिनांक 22-1-72 को ग्राम हुसेनपुर सकरवारी तथा ग्राम होटिलपुर तहसील अकबरपुर जिला फैजाबाद के निवासियों का कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें एक पुरानी सड़क होते हुये भी उक्त ग्रामों के गरीब किसानों तथा हरिजनों की समस्त भूमि तथा मकान एक नई चकरोड बनाने के लिये जा रहे हैं ? यदि हां तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां। ऐसा एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी जांच कराई गई। जांच से पता चला कि प्रस्तावित मार्ग अन्तर्ग्रामीण एवं उपयोगी मार्ग है जिसके निर्माण के लिये जिला

परामर्शदात्री समिति ने संस्तुति की थी । ग्राम होरिलपुर की केवल 1 बीघा 10 बिस्वा 10 धुर कृषिक भूमि इस हेतु ली गई है जिसके प्रति किसी काश्तकार ने आपत्ति नही की । ग्राम हुसेनपुर में, जहां अभी चक सृजन का कार्य आरम्भ नहीं हुआ है, संभवत: 2 बीघे भूमि इस मार्ग के लिये ली जायेगी । इस मार्ग पर किसी हरिजन या कृषक का मकान नहीं पड़ता ।

*54—श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

[4थे शुक्रवार के लिये स्थगित]

अतारांकित प्रश्न

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारियों के कार्यालयों के कनिष्ठ लिपिकों का स्थायीकरण

1—श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारियों के कार्यालयों में कितने ऐसे कनिष्ठ लिपिक हैं जिन्हें स्थायी करने के लिये वर्ष 1969 में ही सिविल सर्जन के स्वस्थता के प्रमाण-पत्र मांगे गये थे और अब तक स्थायी नहीं किये गये हैं और क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

वर्ष 1969 में प्रश्नगत कार्यालयों के कुल 38 कनिष्ट लिपिकों से स्थायीकरण के संबंध में सिविल सर्जन के स्वस्थता प्रमाणपत्र मांगे गये थे जिनमें से केवल 14 को अभी तक स्थायी नहीं किया गया है । इनमें 9 लिपिकों के स्थायीकरण हेतु पूर्व औपचारिकतायें पूरी कर ली गई हैं और आदेश शीघ्र जारी होने की संभावना है। शेष 5 के बारे में स्थिति निम्नलिखित है:—

(1) एक लिपिक निलम्बित है ।

(2) एक लिपिक का कार्य असंतोषजनक पाया गया है ।

(3) एक लिपिक फरार है ।

(4) शेष दो लिपिकों के बारे में पूर्व औपचारिकतायें अभी पूर्ण नहीं हो सकी हैं और आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

2—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या मंत्री यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त कनिष्ठ लिपिकों में से कितने ऐसे हैं जिनका रिटायरमेंट होने में केवल 4–5 वर्ष ही शेष रह गया है परन्तु वे अभी तक स्थायी नहीं किये गये हैं और क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

एक भी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बरेली का संचालक मंडल

3—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि निबन्धक सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सहकारिता अधिनियम, 1965 की धारा 35 के अन्तर्गत जिला

सहकारी बैंक लि० बरेली के संचालक मंडल को भंग करने या निलम्बित करने की कोई कार्यवाही वर्ष 1971 में की है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी नहीं ।

प्रदेशीय सरकार द्वारा वीरगति प्राप्त जवानों को दी गयी सहायता

4—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्र रक्षा में वीरगति प्राप्त जवानों के परिवारों को विशेष सुविधा–सहायता दिये जाने के क्रम में अब तक प्रदेशीय सरकार द्वारा कितने परिवारों को क्या-क्या सहायता दी गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

उपलब्ध सूचना के अनुसार दी गई सहायता का विवरण नीचे दिया हुआ है:—

		संख्या	दी गई धनराशि
			रु०
(1) सरकार द्वारा मरणोपरान्त महावीर चक्र प्राप्त करने वालों की विधवा अथवा आश्रितों को	..	5	30,000
(2) सरकार द्वारा मरणोपरान्त वीर चक्र प्राप्त करने वालों की विधवा अथवा आश्रितों को	..	15	45,000
(3) उत्तर प्रदेश पुलिस ऐंड आर्म्डड फोर्सेज सहायता संस्थान द्वारा 646 जवानों तथा अधिकारियों के संतप्त परिवारों को 13,86,000 रु० की आर्थिक सहायता संबंधित जिला अधिकारियों के माध्यम से वितरण हेतु भेजी जा चुकी है । जिसका वर्गकार विवरण निम्न प्रकार है:			
कमीशन्ड अधिकारी	..	24	1,20,000
जूनियर कमीशन्ड अधिकारी	..	22	66,000
अन्य रैंक्स	..	600	12,00,000
(4) जिला सोलजर्स बेना बेलेंट फंड से	..	219	42,744
(5) यू०पी० सोलजर्स बेने बोलेंट फंड से	..	7	1,600
(6) सेना के अधिकारियों द्वारा	..	63	56,754
(7) यू०पी० स्पेशल फंड फार रिकान्स्ट्रक्शन ऐंड रिहैबिलिटेशन आफ एक्स सर्विसमेन्स	..	8	1,600

(8) गत युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों (जे०सी०ओ०व अन्य रैंक) की विधवाओं के लिये 100 मकान शहरी क्षेत्रों में व 100 मकान ग्रामीण क्षेत्रों में बनवाने की योजना बनाई गई है । इनके निर्माण पर कुल 22 लाख रुपये की लागत का अनुमान है। इस कार्य के लिये 7 लाख रुपये की धनराशि सैनिक कल्याण से संबंधित प्रदेश में उपलब्ध निधियों द्वारा सेंट्रल कमांड के कमांडर को पहले ही दी जा चुकी है । और शेष शीघ्र उन्हें दे दी जायेगी ।

(9) बीर गति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं को हाल की सूचना के अनुसार 134 सिलाई मशीन प्रदान की गई है । 30 परिवारों को 235 बीघा भूमि दी गई है ।

(10) उपरोक्त सुविधाओं के अलावा युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुये सैनानियों के बच्चों एवं पत्नियों को प्रारम्भिक कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक की पूरी ट्यूशन फीस व मंहगाई फीस की छूट दी जाती है ।

5—श्री धर्मवीर—

[4थे शुक्रवार के लिये स्थगित]

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्राप्त कर्जे का आवंटन

6—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 3—3—72 को भारतीय जीवन बीमा निगम ने उत्तर प्रदेश सरकार को जो 2 करोड़ रुपया का कर्जा दिया बाढ़ पीड़त क्षेत्रों के लिये उसका वितरण बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में किस हिसाब से किया जायेगा और उसमें शाहजहांपुर की तहसील तिलहर को कितना रुपया आवंटित किया गया है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में मकानों के निर्माण/पुनर्निर्माण हेतु ऋण की अधिकतम सीमा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 10,000 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों के लिये 12,500 रुपये निर्धारित की गई है ।

तहसील तिलहर में इस प्रयोजन के लिये 60,000 रुपया के ऋण के आवेदन-पत्रों को स्वीकृति कलेक्टर द्वारा हुई है ।

एटा जिले के कलेक्शन अमीन

7—श्री सिया राम—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला एटा में कुल कितने कलेक्शन अमीन हैं और इन अमीनों में परिगणित जाति के लोगों का क्या प्रतिशत है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

एटा जिले में कुल 130 कलेक्शन अमीन हैं जिस में 3 प्रतिशत परिगणित जाति के हैं ।

8—श्री डूंगर सिंह—

[4 थे शुक्रवार के लिये स्थगित]

जिला सहकारी बैंक, मेरठ में कर्मचारियों का वेतन

9—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1970 और 1971 में जिला सहकारी बैंक, मेरठ में कितना धन वेतन के रूप में अलग-अलग दिया गया और क्या यह सही है कि 1970 के मुकाबले में 1971 में अधिक धन वेतन के रूप में भुगताया किया गया ? ऐसा क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जिला सहकारी बैंक लि० मेरठ ने वर्ष 1970 व वर्ष 1971 में क्रमशः रु० 5,39,682.70 नये पैसे तथा रु० 7,05,691.58 नये पैसे कर्मचारी वर्ग के वेतन पर

व्यय किये। इस प्रकार वर्ष 1971 में बैंक कर्मचारीवर्ग के वेतन में रु० 1,66,008.00 नये पैसे की वृद्धि हुई ।

इस वेतन व्यय में वृद्धि का मुख्य कारण, बैंक में चेक पद्धति को पूर्ण रूपेण लागू करना तथा 2 नई (खोली गई) बैंक की शाखाओं के कर्मचारी वर्ग के नव नियुक्ति वार्षिक वेतन वृद्धि महंगाई भत्ता में वृद्धि आदि है ।

10—श्री मंजूर अहमद

[स्वायत्तशासी संस्था होने के कारण निरस्त]

सहकारिता विभाग में नव गठित विशेष पुलिस दल

11—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहकारिता विभाग में नव गठित विशेष पुलिस दल ने अब तक कितने मामले गबन के पकड़े हैं और उनमें कितनों पर न्यायालयों में मुकदमें चल रहे हैं ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

विशेष पुलिस दल जो सृजित हुआ है उसका कार्य थानों में रिपोर्ट किये गये मामलों की विवेचना करना है। उक्त दल के द्वारा गबन के मामले पकड़ने का प्रश्न नहीं उठता है। अभी तक 123 मामलों की उक्त दल द्वारा विवेचना की जा रही है।

12—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[2रे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

13—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[4थे शुक्रवार के लिये स्थगित]

बाढ़ क्षेत्र के विद्यार्थियों की फीस माफी

14—श्री सियाराम

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के विद्यार्थियों की फीस माफी हेतु अनुदान किन-किन जिलों को दिया गया ? और क्या-क्या इस अनुदान की धनराशि में हरिजन विद्यार्थियों के लिये अलग से प्राविधान किया गया था ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

वित्तीय वर्ष 1971–72 में गढ़वाल, टेहरी-गढ़वाल, अल्मोड़ा, देहरादून, झांसी, रामपुर पिथौरागढ़ तथा उत्तरकाशी जिलों को छोड़कर प्रदेश के शेष 46 जिलों में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के विद्यार्थियों की फीस माफी हेतु अनुदान स्वीकृत किया गया । यह सहायता ऐसे गांवों के विद्यार्थियों को दी गई जिनमें खरीफ 1379 फसली को फसल को 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ या विद्यार्थियों के पिता या अभिभावकों के मकान गिर गये थे और उसके फलस्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई । इस अनुदान में हरिजन विद्यार्थियों के लिये अलग कोई धनराशि निर्धारित नहीं थी ।

बदायूं जिले में लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट एवं जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट के मुकदमें

15—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि बदायूं जिले में लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट और जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट के ऐसे कौन-कौन मुकदमें विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं जिनको अदालत में दाखिल

करने से तीन वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी है तथा इनमें से कौन-कौन मुकदमें 5 वर्ष पुराने है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

बदायू जनपद के किसी न्यायालय में कथित अधिनियमों का केवल निम्नवर्णित बाद छोड़कर अन्य कोई मुकदमा ऐसा नहीं है जिन को न्यायालय में दाखिल करने से तीन वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी है और न कोई मुकदमा 5 वर्ष पुराना ही है।

परगनाधिकारी बिसौली के न्यायालय में एक मुकदमा लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट काठियाबन्दी का है जिसमें प्रार्थना-पत्र काठियाबन्दी दिनांक 25 जनवरी, 1965 को प्राप्त हुआ था जिसका निस्तारण उस न्यायालय से दिनांक 25 जुलाई, 1967 को हुआ तत्पश्चात् वह मुकदमा न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त रोहेल खंड मंडल बरेली के आदेश से दिनांक 15-4-1969 से वास्ते दुबारा सुनवाई व निस्तारण हेतु दिनांक 29 मई, 1969 को प्राप्त हुआ। पीठासीन अधिकारी ने सुनवाई के पश्चात् पत्रावली द्वारा काठियाबन्दी हेतु तहसील दिनांक 16 जुलाई, के 1970 आदेश से भेज दी। काठियाबन्दी के पश्चात् पुनः सम्बन्धित पक्षों को सुना गया तथा सम्बन्धित पक्षों द्वारा नक्शे की वैधता पर एतराज करने पर पत्रावली उस न्यायालय के आदेश दिनांक 18 दिसम्बर, 1971 से मौके की पैमायश करके नक्शे को जांच करने हेतु तहसील भेजी गई। सम्बन्धित पक्षों ने अभी तक पैमायश की वांछित फीस दाखिल नहीं की है। जिसके लिये उनको 4 अप्रैल, 1972 तक का समय दिया गया है।

16—श्री राम सिंह खन्ना—

[4थे शुक्रवार के लिए स्थगित]

सदन में दर्शक दीर्घाओं से पर्चे फेंकने की घटनाओं को रोकने की मांग

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, सदन में बार-बार जो पर्चे फेंके जाते हैं इसको देख कर बड़ा दुख होता है। आज जो पर्चा फेंका गया है उसमें एक नई चीज है। उसमें लिखा है "अपना राज्य लेकर रहेंगे।" उसका मतलब पहाड़ी राज्य लेने से है। इसको देखने से पता चलता है कि प्रदेश में डिसइन्टीग्रेशन की तरफ कोई ऐसी प्लान चल रही है जो प्रदेश के लिये खतरनाक साबित हो जाती है। इससे सदन का अपमान हुआ है। इसलिए आज जो पर्चे फेंके गये हैं इस तरफ आपको ध्यान देना चाहिये और उचित कार्यवाही अवश्य करनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यहां पर जो व्यवस्था की जाती है वह माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार की जाती है। अध्यक्षीय आदेशानुसार व्यवस्था है। लोक सभा का जैसा आपने दृष्टान्त दिया वहां सचिव सामने बैठते हैं। मेरी तरफ जो उन्होंने इशारा किया तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सचिव वहां बैठेंगे तो मुझे कोई आपत्ति न होगी लेकिन यह आदेश अध्यक्ष के हैं और वर्तमान माननीय अध्यक्ष के ही नहीं हैं। बल्कि परम्परा से ही इस प्रदेश में चले आ रहे हैं। तो इसमें कोई व्यवस्था निहित नहीं है। व्यवस्थित ढंग से कार्य चल रहा है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

आये दिन इस आदरणीय सदन में पर्चेबाजी होती है, नारेबाजी होती है और बराबर यह सुनने को मिलता है कि लोगों को छोड़ दिया गया, क्षमा कर दिया गया। यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इस प्रकार की प्रवृत्ति पर रोक होनी चाहिये। इसके लिये कोई कठोर कदम उठाना चाहिये। यह कोई नुक्कड़ सभा नहीं है कि लोग रोज आयें और पर्चे फेंकें और उधम मचायें और इस सदन की कार्यवाही में खलल डालें। इस सम्बन्ध में सख्त से सख्त कार्रवाई आप करें चाहे जिस किसी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई की जाय। सारा सदन इस राय का है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

यह जो हम और आप राजनीति करते हैं तो राजनीति करने वालों को फूल भी मिलते हैं और कभी-कभी शूल भी। अगर माननीय रियासत हुसन साहब और उनके अन्य सहयोगी जो पर्चे फेंके जायं उसका जिक्र सदन में कभी न करें और चुप बैठे रहें तो यह फेंकन वालों की प्रवृत्ति अपने आप समाप्त हो जायगी। मैं उससे उद्विग्वन नहीं होता। तो आप इतनी सहायता करें। एक तो यह तरीका है। जो हमारे 20 रक्षक हैं उनकी सहायता से जितनी सतर्कता बरती जा सकती है वह हम बरतते हैं।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

पर्चों का पूरा बण्डल मेरे सिर पर गिरा। मैंने समझा कि छत गिर रही है हमारे ऊपर। कल हो सकता है कि कंकड़ फेंके जायं, रिवाल्वर चलाया जाय। यह व्यवस्था आपको करनी है कि इस प्रकार की घटना फिर न होने पाये।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय रामबिलास जी पांडेय अगर पर्चे गिरने से सिर पर छत का बोझ महसूस करते हैं तब तो उन जैसे लोगों के लिये राजनीति कर सकना दुष्कर कार्य हो जायगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

एक माने में वह सही कहते हैं कि अगर किसी को कोई बात ही लग जाय पहाड़ जैसी लगती है और जैसा मैंने अभी कहा, किसी को जूते पहनाये जायं तो भी कुछ नहीं। इसमें है कि मन्त्री जी को चौराहे पर खड़ा कर के मरम्मत की जरूरत है। आप कहें कि यह तो कोई शब्द ही नहीं है, इसमें कोई वजन ही नहीं है, यह तो महज कागज है। तो मैं आपको क्या कहूं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन मैं तो इसका सख्त विरोधी हूं क्योंकि बहुत बार मुल यमियत दिखाई गई इसलिए ये पर्चे फेंके जा रहे हैं। ज्यादा दण्ड न दीजिये, जितना उचित हो उतना ही दीजिये लेकिन यह प्रवृत्ति रोकी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

रोकने के दो तरीके हैं। एक तो उपेक्षा की जाय और दूसरे सजा दी जाय।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

आपने कहा कि आपके रक्षक काफी हैं। मैं समझता हूं कि एक साल से यह सत्र चल रहा है इतनी पर्चेबाजी कभी नहीं हुई। यह मैं आपसे सहमत हूं—इस तरह पर्चेबाजी हो, उस पर यह सदन कोई नोटिस न ले, वह तभी न ले जब उनकी प्रवृत्ति को रोकने के लिये आप और हमारी मशीनरी कोई कार्यवाही करें। नहीं तो यह लन्दन का हाईड-पार्क हो जायगा जो चाहे वह यह पर्चे आदि फेंक दे और हम कोई नोटिस न लें। इस पर्चे को फेंकने के सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करूं, इसके पीछे एक रहस्य है। जो शासक दल

है, वह इस समय तो शासन में बैठा है, लेकिन उनके दिल-दिमाग अलग-अलग दलों से कटकर आये हैं और इसलिए अभी उन लोगों का खरवापन नहीं मिटा है।

मुझे विश्वस्त रूप से पता चला है, इनकी पार्टी के एक मन्त्री, एक एम०पी० प्रताप सिंह हैं इन लोगों ने देहरादून में अपनी सहचरी पार्टी नेगी साहब की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर बैठकर पर्वतीय राज्य की कल्पना का प्रस्ताव पास किया। तो इन पर्चे वालों की कोई गल्ती नहीं है। जब तीन लाख की आबादी वाले मेघालय, डेढ़ लाख की आबादी वाले मिजोरम और ढाई लाख की आबादी वाले अरुणाचल जैसे छोटे-छोटे राज्य बन सकते हैं, तो 7–8 लाख की आबादी वाले हिस्से में नया राज्य क्यों नहीं बन सकता है। उन लोगों को इनकी पार्टी ने ही प्रोत्साहन दिया है, उन्हीं से इन्हें इनेशेटिव मिलता है। मैं इनको चार्ज करता हूं कि इस आन्दोलन में इनके एक मन्त्री और एम०पी० का हाथ है जो इस सरकार में बैठे हुए हैं और देहरादून और देहली में बैठकर षड़यन्त्र करते और कराते हैं। इसके समर्थन में जो एम०एल०एज० हैं वे इनकी पार्टी में मन्त्री बनकर बैठे हुए हैं। इस पर्चे में लिखा है—"मन्त्री को बीच चौराहे पर खड़े करके मरम्मत की जरूरत है । भंडारी जी की मरम्मत की जाय—इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भंडारी मन्त्री की मरम्मत की जाय, इसमें हमें बहुत आपत्ति है और इसे हम बरदाश्त नहीं कर सकते हैं. . .

(व्यवधान)

मांग आप करते हैं और करवाते हैं और पर्चे इधर से विरोधी पक्ष वालों के ऊपर फेंकवाते हैं। उधर ही पर्चे फेंके जाते तो अच्छा रहता।

श्री उपाध्यक्ष—

मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, वाली बात यहां चरितार्थ हो रही है । जिनके मरम्मत करने की बात लिखी गई है, उन्हें कोई चिन्ता नहीं है, लेकिन उनके शुभचिन्तकों को चिन्ता है। यह तो शुभ लक्षण है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

इनके खाल बहुत मोटी हो गई है, इसलिए इनको क्यों चिन्ता हो, क्यों शर्म आए ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

उनकी मरम्मत होने जा रही है, वह नहीं बोलते हैं, उनको दुख है ।

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आप इस पर व्यवस्था दें । मन्त्री की और हमारी सरकार की कोई बेईज्जती करे और हम चुप रहें । यहां भले ही बरदाश्त कर लें, लेकिन बाहर नहीं बरदाश्त करेंगे। उनकी तरफ से खुद लड़ जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

हम लोग जो प्रशासन में हैं, बधाई देना चाहिए विरोधी दल को की जो प्रश्न हमें उठाना चाहिए, उसे वह खुद उठा रहा है। पता नहीं पर्चे फेंकने में किसका हाथ है। यह जरूर है कि साल भर में कई बार पर्चे फेंके गये हैं। मान्यवर, आप एक दृष्टि रखते हैं और मानते हैं कि यह सदन प्रदेश का सबसे बड़ा न्यायालय है। इसके माने यह हुए कि आप सर्वोदय

[श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी]

सिद्धान्त को मानने वाले हैं और तदनुसार राज्य को पुलिस और सेना आदि की जरूरत नहीं है, वह स्वयं सुधर जायेगी। लेकिन मेरा विचार यह है कि वर्तमान समाज जैसा है, उसके लिए दण्ड जरूरी है। प्रक्रिया नियमावली के हिसाब से भी इस तरह से यह इस सदन का अवमान हुआ है। आप कृपा करके यह प्रणाली न अपनायें कि अपने आप बन्द हो जायगा, हम नोटिस न लें। वह चलने को नहीं है। वह तो शासनविहीन समाज जब बन जायेगा तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसी व्यवस्था जरूर करें। इस तरह से अनियमित ढंग से जो परचे गिराये जा रहे हैं, महीने में एक बार कभी दायें से कभी बायें से पर्चे गिराये जाते हैं। इससे इस सदन की मर्यादा गिरती है। आप आशा करें कि वह बन्द हो जायगा वह सम्भव नहीं है। हमने देखा कि साल भर में आठ-दस बार हो चुका है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य को मैं बता दूं कि जहां सदन की प्रतिष्ठा, उसकी अवशिष्ट शक्तियां, उसके अधिकार हैं, जहां आपके इतने गहरे अधिकार हैं, वहां आप को सामान्य जन का अधिकार नहीं है कि बेइज्जती करने वालों के ऊपर मुकदमा चला कर दंडित करा सकें। जो आप दन्ड देते हैं उस काल के लिए जब तक आपका सत्र चल रहा हो एक तरफ आपके अधिकार हैं, दूसरी तरफ आपकी उदारता भी है। इसलिए जब आपका कोई अवमान भी कर देता है उस वक्त सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत, इस अपराध के लिये जो दन्ड निर्दिष्ट है, उससे कहीं अधिक आपके पास है। तब यह सवाल उठता है कि क्या हम अपनी परम्पराओं के अनुसार उदारता के रास्ते से ऐसी चीजों को दूर करें या कठोर बन जायं। अगर आप कठोर बन जायं, और यहां एक विधि बना लें, नियम बना लें, कानून के अन्दर यह ले आयें, कि अगर इस तरह का कोई काम करे तो चौदह साल की सजा, दस साल की सजा या एक साल की सजा दें। एक दिन में बन्द हो सकता है। लेकिन जो उदारता का स्वरूप है उसको देखते हुए माननीय दीपनारायण मणि त्रिपाठी से यह निवेदन करूंगा कि इस सदन की महिमा के अनवरत और अवाध परम्पराओं के परिचय से अभी वे अभिमुक्त हैं। (श्री नित्यानन्द स्वामी के बोलने पर) आप मेरी बात सुन लें। मैं कहता हूं कि पर्चे फेंकने से तो रुष्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं पीठासीन अधिकारी बोल रहा हूं तो आप खड़े होकर टोकते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

मैं समझा कि आपने खत्म कर दिया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

पर्चे जब फेंकते हैं तो खुश हो जाते हैं इस पर मैं सीरियस आब्जेक्शन लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

यह मैं नहीं कह रहा हूं। आपको भ्रम हो गया है। मैं यह कह रहा हूं, माननीय दीपनारायण मणि त्रिपाठी ने जो पृष्ठभूमि तैयार की और बताया, इस सदन को जो अधिकार प्राप्त हैं उनको अक्षुण्ण रखने का मात्र उनको संकेत कर रहा हूं। यहां उदारता की परम्परा रही है। एक मामूली नागरिक का अगर कोई अपमान करता है तो वह दावा करता है सजा होती है। यह प्रक्रिया यहां नहीं है। जहां इतने बड़े अधिकार आपको हैं वहां यह लचीलापन भी है। इस परिपेक्ष में हर चीज जो ऐसी होती है उसमें हम उदार दृष्टि रखते हैं। यह सदन कठोर दृष्टि रखना चाहता है तो सक्षम है। एक मिनट में बन्द भी कर सकता है।

*श्री अनन्तराम जायसवाल--

मैं खाली एक सुझाव रखना चाहता हूं, अगर सदन स्वीकार कर ले तो पर्चे फेंकने की जरूरत नहीं रह जायगी। यह आप जानते हैं कि हमारी प्रक्रिया नियमावली के अपने नियम हैं। उसके अन्तर्गत कार्यवाही चलती है। हमारी कार्यवाही इतना नियम से बंधी है कि जो पचासों तरह के असन्तोष व्याप्त ह, उन सब की अभिव्यक्ति समय से नहीं हो पाती, यह आपने स्वयं स्वीकारा है, सदन बहुत कम समय बैठता है इसलिये उनकी अभिव्यक्ति का समय नहीं मिल सकता है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि यह जो पर्चे फेंके जाते हैं उसका कारण यही है कि आदमी को जब न्याय कायदे कानून से नहीं मिलता है तो वह यही तरीका अख्तियार करता है पर्चे आदि फेंककर ताकि माननीय सदन का ध्यान आकर्षित किया जाय। इसके लिये सोचना यह होगा क्या हम कोई ऐसा नियम बना सकते हैं जिससे आध घंटे तक सदन में इस तरह की अभिव्यक्ति हो सके और जो विभिन्न प्रकार के असन्तोष हैं उन पर माननीय सदस्य 5, 5 मिनट आध घंटे तक अपने विचार प्रकट कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष--

इस बहस में बाहर के लोगों को भी आमन्त्रित कर दिया जाय ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

ऐसी बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप नियमों में परिवर्तन करवा दें। यह आप पर निर्भर है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

पूरा सदन तैयार हो जाय तो जल्दी से जल्दी इसको किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष--

मुझे क्या आपत्ति हो सकती है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

आप प्रश्न उपस्थित करेंगे तब हो सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

सदन स्वयं सक्षम है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मैं इस बात से सहमत हूं कि पर्चे जो फेंके गये हैं उनका ज्यादा नोटिस न लिया जाय लेकिन आरोप विरोधी पक्ष पर नहीं होना चाहिए। मैं सरकारी पक्ष पर आरोप लगाता हूं। वहां एक कांन्फरेंस हुई और अखबारों में विष्ट तथा प्रताप सिंह नेगी के नाम छपे कि ये लोग आयेंगे। सरकार अपनी नीति को स्पष्ट करे कि वह पर्वतीय राज्य की मांग का समर्थन कर रही है या नहीं। हो सकता है कि वह यहां अपनी बात को कह न पाते हों और बाहर कहते हों। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है और इस पर सरकार की नीति स्पष्ट होनी चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

हम संविधान और नियम के अन्तर्गत काम करते हैं । संविधान निश्चित है, नीति विषयक है लेकिन संविधान में भी संशोधन करते हैं क्योंकि जब अन्याय होता है, अक्षमता-पूर्वक कार्य होता है तो स्थिति में परिवर्तन और संशोधन करने का दूसरे को हक हो जाता है । यह गतिशीलता का तकाजा है । जो नियम है उनमें भी संशोधन करने की एक नीति है । नीति कोई खड़ी चीज नहीं है बल्कि वह विकसित तथा विकासमान या ह्रासमान प्रक्रिया है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आप तो दार्शनिक की तरह से बातें कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

किसी दल के सदस्यों को अगर अपने कर्त्तव्य से विमुख कर दिया जायगा तो वह दल निष्क्रिय हो जायगा । कोई भी सदस्य है उसको अपने दल की नीतियों को यथासम्भव अपनी शक्ति के अनुसार परिवर्तित, परिवर्द्धित तथा परिमार्जित करने का अधिकार है और उसे संशोधित करने के अधिकार से वह सम्पन्न है । यह कोई निष्क्रिय चीज नहीं है । अगर ऐसा नहीं है तब तो कम्प्यूटर और मशीन के द्वारा काम किया जा सकता है । आदमी के दिमाग की जरूरत नहीं । और तब हमें निश्चय गांधी जी के सत्याग्रह के आन्दोलन के पाठ को भुला देना होगा ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

मान्यवर, आज की पर्चेबाजी से यह बात साफ जाहिर हो गई है कि हमारे एम०एल० एज्, एम०पीज० और मिनिस्टर के दिलों में पृथक पर्वतीय प्रदेश बनाने की बात जरूर उठ रही है । तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस चीज को रोकना प्रदेश या जनहित में नहीं है ? मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि चाहे कोई पर्वतीय प्रदेश की मांग करे, चाहे पश्चिमी प्रदेश की मांग करे या पूर्वी प्रदेश की मांग करे, एक रोज इस विषय पर खुलकर बहस हो जाने दीजिये तो सभी के दिलों में जो इस प्रकार के बुलबुले उठ रहे हैं, वे खुल कर सदन के सामने आ जायेंगे ।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)--

श्रीमन्, आप मुझसे सहमत होंगे कि यह सर्वमान्य संसदीय परम्परा है कि इस सदन के किसी सदस्य के कृत्य से यदि सदन के कार्य में अवरोध होता है तो वह निश्चित रूप से सदन का अवमान है। श्रीमन्, आज जो घटना घटी उस पर आपने वाद-विवाद का अवसर दिया और आपने उसका नोटिस लिया जिसके कारण हमारे कार्य में अवरोध हुआ । यदि समय के आयतन को भी देखा जाय तो उसमें 25 मिनट का समय सदन का इसमें लगा । मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप ऐसी घटनाओं को उदारतापूर्वक लेना चाहते हैं तो आप इसके लिये एक निश्चित निर्णय ले लें कि आप उसका नोटिस नहीं लेंगे और चर्चा का उसमें अवसर नहीं देंगे । यदि आप नोटिस लेते हैं और चर्चा का अवसर देते हैं तो वह निश्चित रूप से सदन के कार्य का अवरोध करते हैं । श्रीमन्, सर्वमान्य संसदीय परम्परा के अनुसार यह सदन का अवमान है । भूत में भी परचे फेंके गये हैं और भविष्य में भी फेंके जायेंगे तो इसके लिये अच्छा होगा कि यह सदन निश्चित रूप से ऐसे प्रश्नों पर निर्णय ले ले । यदि कोई गलत बात हुई हो तो उसके लिये सजा मुकर्रर कर दी जाय कि ऐसे मौके पर यह सजा दी जायेगी ताकि भविष्य में सदन के कार्य में अवरोध नहीं होगा । श्रीमन्, अन्यथा इसे आपको सदन का अवमान मानना पड़ेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रस्तुत प्रश्न के दो पहलू हैं। एक तो वह पहलू है जो आपने बताया और दूसरा यह है कि जिसने पर्चा फेंका होगा वह पकड़ा गया होगा। और यह माननीय सदन उस व्यक्ति या व्यक्तियों को कठोर से कठोर दंड देने के लिये सक्षम है।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी गढ़वाल)—

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि जो पर्चा फेंका गया है वह बिलकुल गलत बात है। जिस आदमी ने फेंका, वह इस सदन की गरिमा के विरुद्ध है। जहां तक पृथक पर्वतीय प्रदेश की बात है उसमें केवल एक जिले की बात नहीं है। चाहे इस तरफ के लोग हों या उस तरफ के लोग हों ....

श्री उपाध्यक्ष—

आप पर्चे की योग्यता पर जा रहे हैं ....

श्री इन्द्रमणि —

जब पर्वतीय विकास परिषद् के लोगों को फायदा नहीं हुआ तो उनके पास और रास्ता ही क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि पर्चा फेंका गया अब मैं उस पर्चे की योग्यता पर बोलने के लिये किसी को इजाजत नहीं देता।

श्री हीरा सिंह बोरा (जिला पिथौरागढ़)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। उस तरफ से यह कहा गया कि जो परचा फेंका गया है उसमें पृथक पर्वतीय राज्य की बात कही गई है और उसके बनाने वाले, इस तरह से बैठने वाले विधायक और मंत्री हैं। तो मैं इस बात पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या उस पक्ष को इस पक्ष के लिये ऐसा आरोप लगाने का अधिकार है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

"चोर की दाढ़ी में तिनका" आप सफाई क्यों देने लगे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

सदस्य को बता दूं कि आप कम्युनिस्ट पार्टी में थे, आपको डेमोक्रेसी से क्या मतलब है ? आपको डिमाक्रैसी की सही भावनाओं को सीखने में, समझने में, समय लगेगा।

श्री हीरासिंह बोरा—

एक व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं है। आप कृपा करके आसन ग्रहण करें।

छितौनी बांध टूटने से संबंधित केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री की रिपोर्ट†

सिंचाई उपमंत्री (श्री वीरबहादुर सिंह)—

मैं छितौनी बांध टूटने के बारे में केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री की रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद सदन के पटल पर रखता हूं ।

प्रतिनिहित विधान समिति का दशम प्रतिवेदन††

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पंचम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का दशम प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं ।

यह प्रतिवेदन बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (सेवायोजन की शर्तें) नियमावली, 1969 तथा नियमावली में 1971 में किये गये संशोधनों से संबंधित है। संशोधन नियमावली 31 दिसम्बर, 1971 को सदन के पटल पर रखी, गई किन्तु मूल नियमावली शासन ने सदन के पटल पर तब तक नहीं रखी जब तक कि समिति ने उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट नहीं किया। समिति द्वारा ध्यान आकृष्ट किये जाने के बाद मूल नियमावली 18 जनवरी, 1972 को विधान सभा के पटल पर रखी गई । इस प्रकार इस नियमावली को सदन के पटल पर रखने में 2 वर्ष, 3 महीने और 22 दिन का समय लगा।

श्रम विभाग के संबंध में यह कोई नई बात नहीं है कि इस प्रकार कोई नियमावली जो सदन के पटल पर रखी जानी थी, सदन के पटल पर रखी नहीं गई । औद्योगिक झगड़ों की नियमावली के संशोधनों के संबंध में भी यही स्थिति रही थी । समिति ने सिफारिश की है कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध इस संबंध में जो कार्यवाही की जाय, उसकी सूचना समिति को भी दी जाय ।

न्याय विभाग ने यह राय दी थी कि संसद राज्य की कार्यपालिका को नियम बनाने का अधिकार प्रतिनिहित कर सकती है किन्तु राज्य के विधान मंडल को उन नियमों को जांच करने का अधिकार प्रतिनिहित नहीं कर सकती । बीड़ी ऐंड सिगार वर्क्स (कंडीशन्स आफ इम्पलायमेंट) ऐक्ट, 1966 की धारा 44(4) में इस बात का प्राविधान है कि उपयुक्त ऐक्ट के अधीन राज्य सरकार द्वारा जो नियमावली बनायी जायेगी उसे विधान मंडल के सदन के पटल पर रखा जायगा और विधान मंडल के दोनों सदनों को उसमें परिष्कार या निरसन के रूप में संशोधन करने का अधिकार होगा। जब न्याय विभाग के ध्यान में इस उपबन्ध को लाया गया तो उन्होंने इस संबंध में केंद्र से पूछ-तांछ की और अपनी अंतिम राय देने के लिये और समय की प्रार्थना की है। समिति ने इस संबंध में अपना निर्णय अभी स्थगित कर रखा है । चूंकि ऐक्ट के उपबन्धों के अनुसार सदन को इन नियमों में संशोधन करने का अधिकार है, अतः समिति ने इन नियमों की जांच की और उनके संबंध में अपने विचार व्यक्त किये हैं । इस नियमावली में मुद्रण संबंधी त्रुटियों का बाहुल्य है। समिति ने इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट में 77 ऐसी त्रुटियां की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया है ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, कार्य सूची के क्रम 2 में सिंचाई मंत्री ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है एक तो वह पटल पर नहीं है । दूसरे, मैं चाहता हूं कि इस पर थोड़े से प्रश्न या बहस कराने का समय दे दें।

---

†छापी नहीं गई ।

††छापा नहीं गया ।

श्री उपाध्यक्ष—

लिख कर भेज दें । वैसे उस समय आपने नहीं कहा । अब हम आगे बढ़ गये हैं ।

यू०पी०, पी० डब्ल्यू० डी० (आई० बी०) ट्यूबवेल टेक्निकल इम्पलाईज एसोसियेशन की मांगों के संबंध में वक्तव्य

सिंचाई उपमंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

दिनांक 10 मार्च, 1972 को उक्त संघ ने इंजीनियर इन चीफ को अपनी 13 मांगों से अपने पत्र द्वारा अवगत कराया था तथा दिनांक 21 मार्च 1972 से सीधे संघर्ष तथा सचिवालय के समक्ष क्रमिक अनशन करने की धमकी दी थी । यह आन्दोलन समाप्त हो चुका है, फिर भी इनकी मांगों पर जिनकी संख्या 13 है, स्थिति इस प्रकार है :

(1) नियमित सेक्शन मिस्त्रियों का स्थायीकरण तथा इनमें जो कार्य प्रभारित कर्मचारी हैं, उनको रेगुलर करना ।

मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा नलकूप खंडों के समस्त अधिशासी अभियन्ताओं को यह निर्देश दिये जा चुके हैं कि समस्त रिक्त स्थायी पदों पर मिस्त्रियों का स्थायीकरण कर दिया जाये । जहां तक वर्कचार्ज कर्मचारियों को रेगुलर करने का प्रश्न है, इस पर वित्त विभाग कार्यवाही कर रहा है तथा शीघ्र ही उनके द्वारा आदेश प्रसारित होंगे जो सिंचाई विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारियों पर भी लागू होंगे ।

(2) स्थायीकरण तथा सुपरवाइजर की विभागीय परीक्षा के प्रकरण में नियमों का उल्लंघन ।

परिवीक्षा काल समाप्त हो जाने पर ही अभ्यर्थियों का स्थायीकरण किया जाता है, सेक्शन मिस्त्रियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा आये हुये अभ्यर्थियों के लिये परिवीक्षा काल दो वर्ष है तथा आपरेटरों से प्रोन्नति मिस्त्री के लिये एक वर्ष है । परिवीक्षा काल 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है । अब तक केवल एक ही मामला इंजीनियर इन चीफ की जानकारी में आया जिसमें एक मिस्त्री को दो वर्ष की सेवा अवधि से पूर्व ही स्थायी कर दिया गया था । इस नियमावरोध के लिये उत्तरदायी पाये गये कर्मचारियों को दण्ड दिया जा चुका है ।

सेक्शन मिस्त्रियों को सुपरवाइजर की परीक्षा में बैठने के नियमों से सम्बन्धित सूचना जो उक्त संघ ने दी वह सही नहीं है । वास्तविक स्थिति यह है कि 10 की सेवा अवधि का नियम प्रोन्नति के लिये है । अर्हकारी परीक्षा में बैठने के लिये सेवा अवधि का कोई बन्धन नहीं है । केवल अस्थायी मिस्त्रियों को मुख्य अभियन्ता ने 5 वर्ष की सेवा अवधि का बन्धन लगाया है । अतः इस मांग पर कोई कार्यवाही प्रतीत नहीं होती ।

(3) सेलेक्शन ग्रेड का दिया जाना तथा पदोन्नति के कोटे में 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत बढ़ोत्तरी ।

संघ ने इस मांग को प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा प्रस्तुत संस्तुति के आधार पर पूर्ण करने के लिये कहा है । उक्त आयोग की संस्तुति की प्रदेशीय शासन

[श्री वीर बहादुर सिंह]

द्वारा अंगीकार नहीं किया गया है अतः उसके आधार पर आदेश निर्गत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक पदोन्नति के कोटे में 50 प्रतिशत बढ़ोत्तरी का प्रश्न है, यह सम्भव प्रतीत नहीं होता। यह सेवा की दक्षता के हित में न होगा और इस नीति को अपनाने से काफी संख्या में डिप्लोमा प्राप्त बाहरी उम्मेदवार सेवा मे नहीं आ सकेंगे जिससे बेकारी की समस्या जटिल हो जायेगी।

(4) यात्रा भत्ते में कमी एवं कटौती — प्रत्येक वर्ग के लिये उनके कार्य क्षेत्र में ही दौरे के लिये यात्रा भत्ते की एक सीलिंग निश्चित की गई है तथा उसी निर्धारित सीमा के अनुसार भत्ता बिल पास किया जाता है। कार्यक्षेत्र के बाहर के दौरे इस सीलिंग में नहीं आते।

(5) आवास गृह — इंजीनियर इन चीफ समस्त अधिशासी अभियन्ताओं को आदेश जारी कर रहे हैं कि सेक्शन मिस्त्रियों के लिये बनाये गये आवासों को यदि किसी स्थान पर पर्यवेक्षकों या ओवरसियरों को दिये गये हैं तो उन्हें तत्काल खाली करा कर मिस्त्रियों को दे दिये जायें।

(6) गोपनीय रिपोर्ट — संघ के इस प्रस्ताव में कि चरित्र पंजिकाओं के आधार पर दक्षता रोक न लगाया जाये तथा पदोन्नति हेतु योग्यता न परखी जाय, कोई बल नहीं है। यदि दक्षता रोक पार करने एवं पदोन्नति हेतु चरित्र पंजिकायें देखने का माप दण्ड हटा दिया गया तो इससे दक्षता के स्तर में बहुत कमी आ जायेगी तथा समस्त अच्छे बुरे कर्मचारी एक ही श्रेणी में आ जायेंगे। प्रतिकूल मन्तव्यों से कर्मचारियों को समय से अवगत कराने के बारे में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(7) वरिष्ठता सूची — पदोन्नति प्राप्त पर्यवेक्षकों का मामला इंजीनियर इन चीफ ने लोक सेवा आयोग को अनुमोदन के लिये भेजा है। लोक सेवा आयोग का अनुमोदन हो जाने के बाद ही पदोन्नति प्राप्त पर्यवेक्षकों की वरिष्ठता सूची घोषित की जायेगी। सम्मिलित ज्येष्ठता सूची में मिस्त्रियों से प्रोन्नति पर्यवेक्षकों के लिये स्थान आरक्षित रखे हैं। स्थायी पर्यवेक्षकों की सूची मुख्य अभियन्ता ने दिनांक 27 अक्तूबर, 1971 को घोषित की थी। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। संघ ने यह नहीं बताया है कि इस सूची में क्या त्रुटि है तथा उसमें किस संशोधन की आवश्यकता है।

(8) केन्द्र, प्रान्त महंगाई भत्ते की समानता।	यह समस्त राज्य कर्मचारियों की मांग है जिससे अकेला सिंचाई विभाग ही सम्बन्ध नहीं रखता। शासन जब इस विषय में कोई निर्णय लेगा तो वह सब विभागों को लागू होगा।
(9) भविष्य निधि की प्रणाली में परिवर्तन।	इसका सम्बन्ध सिंचाई विभाग से ही नहीं है। प्रचलित पद्धति में जब कोई परिवर्तन होगा तो वह सब को लागू होगा।
(10) अंग्रेजों द्वारा बनाये गये कानूनों में परिवर्तन।	यह मांग अस्पष्ट है। कौन से कानून में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है यह नहीं बताया गया है और न यही बताया गया ह कि उच्चस्तरीय आयोग क गठन की क्या आवश्यकता है।
(11) शासकीय एवं विभागीय आदेशों के विपरीत हुये कार्यों को निरस्त किया जाये तथा विपरीत काय करने वाले अधिकारियों को दण्ड दिया जाये।	संघ ने इस सम्बन्ध में कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया है। पूण सूचना क अभाव में इस पर कार्यवाही करना सम्भव नहीं है।
(12) संघ के पत्रों का उत्तर विभाग द्वारा दिया जाय।	इंजीनियर इन चीफ का कहना है कि संघ के पत्रों का उत्तर दिया जा रहा है।
(13) परियोजनाओं में शिक्षा, चिकित्सा, पेय जल, जल विकास, सड़कें, आवास इत्यादि में सुधार एवं विकास।	इस दिशा में हर सम्भव कार्यवाही सदैव की जाती है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो अभी वक्तव्य पढ़ा है उसमें लिखा है कि जहां तक वर्कचार्ज इम्पलाईज को रेगुलर करने का प्रश्न है उस पर वित्त विभाग कार्यवाही कर रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि यह नीति का प्रश्न है तो क्या प्रदेशीय सरकार कोई नीति निर्धारित कर चुकी है जिसके आधार पर वित्त विभाग विचार कर रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह नति निर्धारित हो चुकी है कि जो कार्य प्रभारी कर्मचारी 3 साल तक लगातार काम कर चुके हैं और उन पदों को आगे तक चलने की संभावना हैं उनको रेगुलर कर दिया जाय।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

अभी मंत्री जी ने बताया कि कर्मचारियों के लिये जो मकान बनाये गये हैं उनमें सहायक अभियंता और बड़े अधिकारियों ने कब्जा कर लिया है और शासन ने आदेश दिया है कि वह मकान उनको जल्द से जल्द खाली करा के दिये जायेंगे, तो क्या इसके लिए कोई निश्चित अवधि नियत की गयी है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को जल्द मकान मिल सकेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जो मकान उनके लिए बनें हैं उनके विषय में आदेश दिया गया है कि वे तुरन्त खाली करा के उनको दिए जाएं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

सेलेक्शन ग्रेड में जो 20 प्रतिशत लोगों को ही बढ़ोत्तरी दी जाती है वह 50 प्रतिशत को देने का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया है लेकिन सरकार ने उसको मान्य नहीं किया है, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग की इस संस्तुति को क्यों नहीं माना है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उनको मानना समयानुकूल नहीं था, इसलिए नहीं माना ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

वह मकान जो इन छोटे कर्मचारियों से खाली कराये जायेंगे उससे जो लोग बेघर होंगे उनको भी मकान देने की कोई स्कीम बनी है ?

श्री वीरबहादुर सिंह—

यह मकान अलग-अलग श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए बने हैं, जो जिसके लिए बने हैं उनको वही मकान मिलेंगे ।

श्री दोनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

जो मकान पहले बने हैं उनमें दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है क्या उनको खाली नहीं कराया जायगा ताकि वे ओवरसीयर और अन्य नीच के लोगों को मिल सकें ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इस प्रकार की शिकायत पर विचार किया जायगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

प्रशासनिक सुधार आयोग की जो संस्तुति है उसको क्यों नहीं माना गया, यह मैंने पूछा था उन्होंने कहा कि उनको मानना उचित नहीं था, तो किस कारण से उन्होंने उनको मानना उचित नहीं समझा ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह ब्योरे का सवाल है । यह केवल वक्तव्य के लिए था, सूचना हो तो वह दे दें ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

सिंचाई मंत्री जी ने वक्तव्य में कहा है कि 2 वर्ष की सेवा अवधि से पहले ही कुछ लोगों को स्थाई किया गया था और जिन्होंने नियमों का विरोध किया है, उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी है, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कार्यवाही उनके खिलाफ कितन दिन बाद की गई थी ? और क्या उनसे वह अतिरिक्त धन जो स्थाई करने के बाद उनको मिला, वह वापस कराया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना की आवश्यकता है ।

श्री राम गोपाल संड—

मंत्री जी ने भविष्य निधि के बारे में बताया कि इन तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भविष्य निधि जमा नहीं होती और घपले में पड़ जाती है तो क्या मंत्री जी ने केन्द्रीय सरकार को या इस सरकार को कोई सुझाव दिया है कि जिससे उनकी भविष्य निधि का मामला सुधर जाय ? यदि नहीं तो क्या निकट भविष्य में वह कोई ऐसा सुझाव देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह प्रश्न तमाम विभागों से संबंधित है और इस पर विचार होगा तो सभी के विषय में होगा ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

एक यह श्री सुरेन्द्र विक्रम ने नियम 56 में सूचना भेजी है जिलाधिकारी, लखीमपुर द्वारा रक्षित पशु विहार में शिकार खेलने के बारे में। इसको मैं उचित कार्यवाही के लिए भेज रहा हूं। यह जनरल नेचर का प्रश्न है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

उपाध्यक्ष जी, यह जनरल नहीं है, यह बिलकुल स्पेसिफिक है। वह वन विभाग की सैंक्चुअरी है और वहां पर फारेनर्स तक पशुओं को देखने के लिये आते हैं और वहां पर शिकार नहीं हो सकता। 13–14 मार्च की बात है वह डाक बंगले में ठहरे थे और उन्होंने वहां पोचिंग किया, मैंने यह बिलकुल निश्चित सवाल दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न सामान्य हित का है। उस पर शासन द्वारा कार्यवाही हो जायेगी।

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

जैसा कि हमारे माननीय सदस्य कह रहे हैं वह ठीक नहीं है। सैंक्चुअरी के अंदर चीतल नहीं मारी गयी है जहां पर शिकार खेलने के लिए परमिट लिया था वहां पर शिकार करते हुए उन्होंने एक चीतल मारी थी।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

श्रीमन्, इसमें एक वक्तव्य दिला दें।

श्री उपाध्यक्ष—

यह बात दूसरी है। आप सरकार को लिखकर दें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

श्रीमन्, सैंक्चुअरी में शिकार खेलने की इजाजत तो होती ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय कल्पनाथ सिंह जी, माननीय विश्वनाथ कपूर एवं माननीय राम बिलास पांडेय का उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत परिषद् द्वारा बिजली की अपूर्ति में कमी के बारे में है। बिजली के बारे में इस प्रदेश में आपूर्ति के संबंध में अगर आप कोई चर्चा चाहते हैं तो हम समझते हैं कि यह प्रदेश के हित में होगी, ऐसी चर्चा होनी चाहिए।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, यही बात तो हम चाहते हैं कि आप इस पर चर्चा के लिए कोई समय निर्धारित कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के बजट के बाद। आपको उस समय अपने सुझाव देने का मौका मिल जायगा। उसके बाद भी अगर कुछ रह गया तो बाद में देखा जायगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, अगर बजट से पहले कोई चर्चा हो जायगी तो इससे सरकार अपने को लाभान्वित करके बहस को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रकाश डाल सकेगी और जो संशोधन करना चाहेगी कर लेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

शासन की और आप की इसमें दो राय नहीं हैं। यह निश्चित बात है कि इस प्रदेश में बिजली की कमी है। हम चाहते हैं कि इस पर वहस हो लेकिन इस पर मंत्री जी को सुनने के बाद अगर आप चाहेंगे तब विचार करेंगें कि बहस हो जाय। लेकिन यह बिजली के बजट के बाद ही हो सकेगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, अभी करा दीजिए ताकि अगर आवश्यकता होगी तो बजट में संशोधन ले आयेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

अब नहीं लेंगे, बाद में ही लेंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, यदि बहस पहले ही हो जाय तो एक चीज और यह कर सकते हैं कि उस आधार पर जो बजट भाषण करेंगे वह ज्यादा अच्छा होगा। उस आधार पर बता भी देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर नियम 56 में आपको दिक्कत होती है तो नियम 52 में 2 1/2 घंटे की चर्चा करवा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

बजट के बाद।

श्री कल्पनाथ सिंह—

बजट के बाद तो ये एसेंबली को फेस ही नहीं करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें आप और शासन एक ही राय के होंगे। इसमें मूल्यवान सुझाव आयेंगे। इससे आप को और सदन को भी दिलचस्पी होगी। इसलिए समय से ही हम इसको स्वीकार कर सकते हैं। माननीय चन्द्रभान शर्मा जी का एक हरियाणा सरकार. . .

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

श्रीमन्, यह मामला हरियाणा सरकार का नहीं है। इसमें आप को भ्रम हो गया। हरियाणा सरकार ने अपने प्रदेश में 20 मील लंबी ठोकर और पक्का बांध बना लिया है जिससे जमुना के पानी का बहाव उत्तर प्रदेश की ओर हो गया है। इसमें हरियाणा के 10 गांव जा चुके हैं और अबकी बरसात में उत्तर प्रदेश के 10 गांव, जिनकी आबादी 30 हजार है, बरबाद हो जायेंगे और 30 हजार आदमी बेकार हो हो जायेंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस पर मंत्री जी से वक्तव्य दिला दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप इस पर अल्पसूचित प्रश्न कर लें।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

श्रीमन्, यह बड़े महत्व की बात है। श्रीमन्, अगर 50 हजार एकड़ जमीन हरियाणा में चली जायगी तो यह बड़ा अहम सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें आपने यह लिखा है कि हरियाणा ने जमुना नदी पर पानी की ठोकरें बना दी हैं, उससे पानी का रुख उत्तर प्रदेश की ओर हो रहा है। यह एक आशंका की स्थिति है।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

यह आशंका नहीं है। रुख बदलने से कई गांव तो चले ही गये हैं। अगर जून तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो 10–12 गांव बाढ़ की चपेट में आ जावेंगे और 30 हजार की आबादी पानी में डूब जायगी।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छा तो पहले आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लीजिए उससे अगर आपको संतोष नहीं होगा तो इसे मैं स्वीकार कर लूंगा।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष जी, बजट के समय में अक्सर आपकी ओर से यह कह दिया जाता है कि बजट पर विचार करते समय इसको भी आप कह दीजिए। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि यह हाउस अपनी पार्लियामेंटरी पद्धति से हटता जा रहा है। मंत्री लोगों में इतनी कमजोरी आ गयी है कि 5 मिनट में जवाब दे देते हैं। पिछली बार का आप देख लीजिए कि किसी भी मंत्री ने 10 मिनट से ज्यादा भाषण नहीं दिया। ये अपने आइडियाज और प्रोग्राम को प्रोजेक्ट ही नहीं करते और अपोजीशन की बात को यों ही टाल देते हैं। नतीजा यह होता है कि विरोध पक्ष भी कुछ ज्यादा कह नहीं पाता है। कोई एक खास चीज बजट में नहीं आ पाती। इसलिये हमें यह वैधानिक अधिकार है कि इस प्रकार से किसी खास विषय को हाउस के सामने विचार के लिए रखें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप उसके विषय में एक कटौती का प्रस्ताव दे दीजिए।

श्री बंशीधर पांडेय—

कटौती का हाल भी यही हो रहा है। सारी बातों को एक साथ ले लिया जाता है और अगर हार जाते हैं तो सारी कटौती चली जाती है। जिन बातों को कटौती में रखा जाता है, उनका भी उत्तर नहीं आ पाता।

श्री उपाध्यक्ष—

इसी एक मामले पर कटौती का प्रस्ताव दीजिए। 1–2 बात होगी तब तो उसके बारे में जिक्र होगा ही लेकिन उसके नीचे एक लंबी लिस्ट दे दी जाती है।

श्री बंशीधर पांडेय—

यह तो हमारा कानूनी अधिकार है उसके द्वारा सरकार की क्या नीति है, इसको हम जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप एक कटौती का प्रस्ताव केवल इसी पर रखें।

श्री बंशीधर पांडेय—

नियम 51–52 में हमारा यह निश्चित रूप से अधिकार है। जब हम किसी खास विषय के बारे में ऐसा प्रश्न रखते हैं तो उनको कहना ही पड़ता है कि इस विषय में यह हो रहा है लेकिन अगर बजट के समय उसको रखा जायेगा तो साधारण रूप से एक जवाब देकर वे अलग हो जायेंगे। इससे न विरोधी पक्ष का कार्य ही चलेगा और न जनता की आकांक्षा ही पूरी होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

जब आप एक विशिष्ट विषय के बारे में कटौती का प्रस्ताव रखेंगे तो वे उसका उत्तर भी देंगे ही ।

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं उसको देखूंगा, आशा है कि आप ही इधर ध्यान देने की कृपा करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री डूंगरसिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)—

उपाध्यक्ष जी, एक मेरा भी सवाल है। नैनीताल जिले के 3 हजार अध्यापक हड़ताल करने का नोटिस दिये हैं और वे इस समय यहां अनशन पर हैं। मैंने उसके बारे में प्रश्न दिया है, उसको स्वीकार किया जाय । इस समय फाइनल परीक्षाएं हो रही हैं । अगर हड़ताल हो गयी तो लाखों लड़कों का भविष्य अंधकारमय हो जायगा । 5 साल से बराबर इसको चर्चा का विषय बनाया जा रहा है लेकिन कुछ हो नहीं पाया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने इसमें लिखा है कि 62–63 के बीच का धन अध्यापकों को दे दिया जाय । इस पर आप क्या वक्तव्य चाहते हैं ?

श्री डूंगरसिंह बिष्ट—

उपाध्यक्ष महोदय, उनकी मुख्य मांग है कि उनको सात महीने से लगातार वेतन नहीं मिला है । वे निस्सहाय अध्यापक हैं उनको जरूर सुनना चाहिए । माननीय मुख्य मंत्री, और शिक्षा मंत्री जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि पांच साल से जो लगातार अटके हुए मामले हैं जिला परिषदों के और सात-सात महीनों से जिन अध्यापकों को वेतन नहीं मिल रहा है, इस अहम मसले को आप जरूर देखकर इसका हल निकालें ।

श्री उपाध्यक्ष—

सरकार ने जिला परिषदों के स्कूलों को लेने की नीति बतलाई है । इसका परिषद् से संबंध है । इसलिए सरकार की इस से सीधे जिम्मेदारी नहीं है ।

श्री डूंगरसिंह बिष्ट—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से आप के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आखिर ये प्राइवेट फर्म के कर्मचारी नहीं ह, जिला परिषद् के कमचारी हैं । इनको न्याय नहीं मिलेगा तो ये कहां जायेंगे ? इसका उत्तरदायित्व तो किसी पर होना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष—

जिला परिषद् का उत्तरदायित्व सरकार पर सीधा नहीं है ।

श्री डूंगरसिंह बिष्ट—

श्रीमन्, आखिर इसका क्या हल होगा ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

(श्री डूंगरसिंह बिष्ट सदन त्याग कर चले गये।)

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य-स्थगन् प्रस्ताव के अधीन माननीय शम्भूनाथ चौधरी ने लिखा है कि हजरतगंज लखनऊ में साड़ियों की प्रदर्शिनी हो रही है जिसमें चीन, जापान तथा अमेरिका की साड़ियां तस्करी के माल के रूप में बिक रही हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

पहली चीज तो यह है कि वह तस्करी का माल बिक रहा है। ऐसी चीजों की बिक्री पर सरकार को बिक्री-कर भी नहीं मिलता है। सारे देश में घूम-घूम कर ये काम कर रह ह।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने लिखा है कि देश के विभिन्न पूंजीपतियों द्वारा साड़ी प्रदर्शिनी का आयोजन किया गया है। इसमें चीन, जापान और इंगलैंड आदि देशों का तस्करी का माल खुला बेचा जा रहा है। आप कह रहे हैं कि तस्करी का माल ह। क्या चीन, जापान और अमेरिका आदि का सामान बिकना यह कोई कानून से वर्ज्य है? अगर ऐसा है तो बहुत सा ऐसा माल है जो हम और आप इस्तेमाल करते हैं जो इंगलिस्तान का है। बहुत-सी मशीनें हैं। आप कह रहे हैं कि तस्करी का माल है। आप कोई एक केस बतलायेंगे कि यह फलां तस्करी का माल है?

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, तस्करी का माल वह होगा जो छिपे-लुके आता है। चीन का माल नैपाल आता है और फिर यहां चला आता है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप स्वयं जानकारी कर लें। अगर उससे जानकारी नहीं होगी तो आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें कि क्या यह माल जो बिक रहा है वह तस्करी का माल है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, यह प्रदर्शनी केवल दस दिन के लिये ही तो है। जब तक वे लूट कर चले जायेंगे। मैं सोमवार के लिये प्रश्न दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको अनुमति दी जाती है। वस्तु स्थिति बता दें। मैंने आपकी सूचना को पढ़कर देख लिया है यह विषय कामरोको प्रस्ताव का नहीं है।

हां, यह अल्पसूचित प्रश्न करने का विषय है। जब सरकार जवाब देगी और उस जवाब से यदि आप सन्तुष्ट नहीं हैं। आपको वह गलत मालूम हो, आप उसे चैलेंज करना चाहें, तब बयान दिलवाया जा सकता है।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं। हमने नैनीताल के अध्यापकों के विषय में नियम 51 के अन्तर्गत, नियम 52 के अन्तर्गत यहां तक कि नियम 49 के अन्तर्गत सूचना दी। लेकिन उनमें अस्वीकृत हो गया। अस्वीकृत इस बात पर हुआ कि वह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं। श्रीमन्, जब सरकार को अध्यक्ष निकालने होते हैं तो वह ऐसा कर देती है और उनकी जगह पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं। तो निकालने की बात थी तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं थी एकदम निकाल दिया गया अध्यक्षो को और जब सरकार के देने की बात है तो उन अध्यापकों को जिनको 7-7 महीने से तनख्वाह ही नहीं मिली, तो कोई उत्तर नहीं मिल रहा

[श्री इन्द्रमणि]

है। मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि हम क्या करें इन परिस्थितियों में जब कि वे लोग हड़ताल कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं जानकारी आपको दे रहा हूं आप अल्पसूचित प्रश्न कर दें। इसका जवाब मंत्री जी को देना पड़ेगा।

श्री इन्द्रमणि—

प्रश्न भी कर दिया, लेकिन वह भी अस्वीकृत हो गया।

श्री उपाध्यक्ष—

हो सकता है अस्वीकृत हुआ हो। लेकिन जब मैं यहां पर कह रहा हूं कि आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें वह स्वीकार किया जायेगा, तब यह प्रश्न नहीं उठता। यदि अस्वीकृत हुआ होगा तो कोई उसमें भूल रही होगी।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 56 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें यह जाहिर किया गया है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों में भ्रष्टाचार फैल रहा है और इस सम्बन्ध में चर्चा होनी चाहिये। अब परिवहन मंत्री जी के सम्बन्ध में हाई कोर्ट में रिट हुई है...

श्री उपाध्यक्ष—

कोर्ट में केस चल रहा है। यह वक्तव्य का विषय नहीं है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मान्यवर, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की नोटिस तो सरकार को गई है। मुख्य मंत्री को भी गई है और अन्य 5 लोगों को गई है। कुछ चर्चा तो होनी चाहिये या मंत्री जी वक्तव्य दें। अगर इस पर नहीं हो सकती, तो फिर किस चीज पर होगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

न्यायालय के अधीन है, इसलिये सम्भव नहीं है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मान्यवर, वातावरण बड़ा अजीब सा हो रहा है। बड़े-बड़े ने तबाह किया है। एक पेम्फलेट छपा हुआ है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के विरुद्ध है, मैं आपके सामने दूंगा। आखिर हमको कुछ बोलने दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको बोलने की मुमानियत नहीं है। बजट पर भाषण हो तब कहें।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मान्यवर, केवल आप 19 दिन ही ले रहे हैं। उसमें क्या-क्या विषय लेंगे, किस-किस चीज को रखेंगे और बोलेंगे ? समय भी तो नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप, जानबूझ कर कि इस पर वक्तव्य नहीं दिया जा सकता, फिर भी डटे हुये हैं, आप बोलेंगे जरूर।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, मैंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था जो सारे प्रदेश से सम्बन्धित है।

श्री उपाध्यक्ष—

बिजली की आपूर्ति से सम्बन्धित था। मैंने माननीय कल्पनाथ सिंह जी से कहा था कि आप कटौती का प्रस्ताव दे दें। बहस में भाग लेने के बाद अगर समय मिलेगा और बजट खत्म हो गया तो जरूर बिजली की समस्या पर, केवल विरोध पक्ष ही नहीं बल्कि शासक दल भी प्रदेश में बिजली की स्थिति अच्छी हो, चिन्तित है, मौका देंगे।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) विधेयक, 1972†

*राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह जो प्राविधान इसमें सदन के सम्मुख उपस्थित किया जा रहा है यह पहले अध्यादेश के रूप में प्रकाशित किया जा चुका है। सार्वजनिक भू-गृहादि पर अनधिकृत कब्जा बहुत ज्यादा हुआ करता है। लोगों में यह प्रवृत्ति होती है कि जहां कहीं भी अवसर हो सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा कर लें। इस प्रवृत्ति से बहुत सी हानियां होती थीं। इसको देखते हुये पहले आरम्भ में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) अधिनियम, 1959 बनाया गया था। उसकी भी यही मंशा थी। उसका भी यही अभिप्राय था कि सार्वजनिक भूमि से लोगों को हटाने के लिये जोकि अनधिकृत कब्जा कर लिया गया था, नियम बनाया जाय। लम्बी अवधि तक जो मुकदमें दीवानी में चला करते हैं, उससे उपचार मिल सके। उसमें ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई जिसकी वजह से इस काम में जल्दी से जल्दी निर्णय हो सके क्योंकि सार्वजनिक भूमि पर जो अनधिकृत कब्जा होता है उससे सार्वजनिक नुकसान ही होता है। उसको ध्यान में रखते हुये यह अधिनियम बनाया गया था। पंजाब ने भी पब्लिक प्रेमिजेज ऐण्ड लैंड (इविक्शन ऐंड रेंट) ऐक्ट, 1959 बनाया था। वह सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और वह असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। इस बात को मान कर सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि यह असंवैधानिक है और उसका कारण बताया गया था कि उसमें सरकार ने अपने पास दोनों ही प्रकार की प्रक्रियायें रख ली हैं। वह चाहे तो इस प्रकार के अनधिकृत कब्जे की दीवानी से निरस्त करवा ले और चाहे तो स्वयं की प्रक्रिया अर्थात् एक्जीक्यूटिव साइड में उसको बेदखली करके हासिल कर ले।

ये दोनों ही प्रक्रियायें ऐसी हैं कि एक में तो ज्यादा समय लगता है और दूसरी में कभी-कभी ऐसा कार्य किया जाता है जिससे लोगों को कुछ तकलीफ भी होती है जैसे उदाहरण स्वरूप किसी ने अनधिकृत कब्जा किया तो हम उसकी बेदखली फौरन ही, जबरदस्ती ही उसको वहां से हटा कर कर सकते हैं। दीवानी में जाने पर देर लगती है। न्यायालय ने समझा कि सरकार के पास गुंजाइश है पक्षपात करने की भावना में। यह बताया गया कि इस प्रतिक्रिया को अपना कर लोगों को परेशान किया जा सकता है और इसीलिये उन्होंने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति

---

† 30 मार्च, 1972 की कार्यवाही में छपा है।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उदितनारायण शर्मा]

की वसूली) अधिनियम, 1959 को भी हाई कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। एक और केन्द्र का अधिनियम था दि पब्लिक प्रेमिसेज (इविक्शन आफ अनअथराइज्ड आकूपेन्ट्स) (एमेंडमेंट) ऐक्ट, 1968 इसको भी उन्हीं कारणों से असंवैधानिक घोषित किया गया था। इसके पश्चात् श्रीमन्,इन तीनों संशोधनों के जरिये से उनका वैधानीकरण करने की कोशिश की गई है। उसके बाद उच्च न्यायालय की यह राय हुई कि जो अधिनियम आरम्भ से ही अवैधानिक कहा जाय, उन को यह मानना चाहिये कि उनका कोई वजूद नहीं है, इसलिये उनमें संशोधन नहीं होता है। उनका वैधानीकरण संशोधन करके नहीं हो सकता है, इसलिये संशोधन के नियम भी अवैधानिक हो गये।

श्रीमन्, उस गल्ती को सुधारने के लिये और यह जो महत्वपूर्ण कार्य पड़े हुये हैं उनको पूरा करने के लिये इसको पुनः स्थापित करता हूं। सारे का सारा अधिनियम दुबारा इन कठिनाइयों को दूर करने के बाद जिनके कारण अवैधानिक घोषित किया गया है,रक्खा गया है। हमने विशेष बात जो इसमें की है वह यह है कि अब इस किस्म के कब्जे हटाने के लिये हमारे पास दीवानी उपलब्ध नहीं हो सकेगी। श्रीमन्, वह आपत्ति हट जाने के बाद जैसा कि यह आपके सामने है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह अधिकार बहुत दिनों से रहा है। इसके अनुसार काम होता रहा है। सन् 59 में जब इसे अवैधानिक घोषित किया गया है। उसके बाद हजारों नहीं, लाखों की तादाद में बेदखली पड़ी हुई हैं। श्रीमन, को मालूम है पर्वतीय क्षत्र में और अन्य जगह पर भी बेदखली पड़ी हुई हैं। अक्सर इसके बारे में सवाल, होते रहे हैं। श्रीमन्, उन सभी बदखलियों पर काय प्रारम्भ हो जावगा जब माननीय सदस्य इसको पास कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी आवश्यकता और उपयोगिता को देखते हुये यह सदन इसे अवश्य पास कर देगा।

*श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में एक बार नहीं अनेक बार यह सरकार जो जल्दबाज है, उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया है, और इसलिये श्रीमन्, मैंने संशोधन रक्खा है कि यह विधयक जनता की राय के लिये तीन महीने के लिये परिचालित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

संशोधन पढ़ दें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

"उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि(अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) विधेयक, 1972 को जनता की राय जानने हेतु 3 माह के लिये परिचालित किया जाय।"

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जो कारण बतलाये हैं वह कारण सामान्य रूप से ऐसे नहीं होते हैं जिसके कारण इस अध्यादेश का लाया जाना जरूरी था, लकिन हमेशा इस ओर से कहा जाता है कि जल्दबाजी में कानून बनता है और उसी का यह हश्र है। श्रीमन्, उद्देश्य और कारण में आपने लिखा है और माना है कि एक बार नहीं, दो-दो और तीन-तीन बार कानून हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, क्यों कर दिया है? कारण यह था कि कई बार सरकार बहुमत में होने के कारण सोचती है कि वह कुछ भी कर सकती है और जैसा चाहे कानून बना दे। इस आदत के कारण श्रीमन्, कई बार ऐसे कानून बना दिय हैं जिनको हाई कोर्ट समझता है कि जनता के प्रति न्याय नहीं हुआ है। इसलिये इन सुझावों के लिये यह संशोधन रक्खा है और मैं समझता हूं कि आज भी इसमें त्रुटि हैं और यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया तो ऐसा न हो कि पूरा का पूरा विधेयक हाई कोर्ट के द्वारा स्ट्रक डाउन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो जाय और यह कहा जाय कि हम क्या करें । दुबारा संशोधन लायेंगे । चूंकि संशोधन नहीं ला सकते हैं इसलिये नया विधेयक लायेंगे । फिर जिनकी बदखली रुकी हुयी हैं वह रुकी रहेंगी। तीन महीने में ऐसी देर नहीं है कि जिसके लिये आप जनता की राय की मांग न मानें । सबसे पहले मैं कहूंगा कि यह सरकार एक बीच का रास्ता निकालना चाहती है । यह कहा गया है कि दीवानी अदालत म सालों लग जात ह और उसके कारण काम रुक जाता है । कोई नहीं चाहता है कि काम रुक जाय और गलत आदमी काबिज रहे ।

श्रीमन्, मैं कहूंगा कि इसके अन्दर कोई सुविधा नहीं दी गयी है जो जरूरी थी जिससे कि आप यह कह सकें कि जिस व्यक्ति को अनअथराइज्ड आकूपट कहा गया है, उस व्यक्ति को पूरी सुनवाई का मौका मिलेगा । इसके अतिरिक्त जिन प्राधिकारियों को इसके अन्दर नियुक्त करेंगे कि कौन व्यक्ति अनधिकृत है और कौन व्यक्ति सही तौर पर काबिज है, ये कौन होंगे । इसका कोई उल्लेख नहीं है कि ये कौन अधिकारी होंगे जिनको सरकार नियुक्त करेगी । ये एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हो सकते हैं, तहसीलदार की लेविल के हो सकते हैं, फर्स्ट क्लास या सेकन्ड क्लास मैजिस्ट्रेट हो सकते हैं । आपने इस बात को इस ऐक्ट के अन्दर स्पष्ट करने की चेष्टा नहीं की । अगर ये व्यक्ति वही व्यक्ति होंगे जो दिन भर बैठकर गलत काम करते हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा । आज गलत रूप से काबिज कौन है ? आज पटवारी से लेकर तहसीलदार तक, लोग अपने दफ्तर के अन्दर कब्जा कराते हैं, लोगों को जमीन देते हैं, और इस तरह के गलत लोगों को प्रश्रय देते हैं, उनके गलत इंदराज होते हैं और गलत कब्जा जायज करार किया जाता है । तो आप बीमारी को हटाना चाहते हैं कि बीमारी को बढ़ाना चाहते हैं। अगर बीमारी बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरी बात है ।

अगर आप चाहते हैं कि हाई कोर्ट की निगाह में बात न दी जाय तो उसको सही कर दीजिये कि ये जो अधिकारी की नियुक्ति है, इस को आप जुडिशियल अथोरिटी से बनायग। जुडीशियल से मेरा मतलब है कि अगर मुंसिफ रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है क्योंकि अगर मुंसिफ होगा तो उसके सामने जो भी चीज जायेगी, उसम वह सही न्याय दे सकेगा, जो आफिसर के चंगुल में नहीं होगा और उस पर दूसरों का दबाव नहीं होगा । लेकिन अगर आप मुंसिफ के लिये रजामन्द नहीं हैं तो जो जुडीशियल मैजिस्ट्रेट हैं, उनमें से उनको रख दीजिये । लेकिन यह गलती आप कतई न करें कि एग्जीक्यूटिव आफिसर को उसका प्राधिकारी बनावें। अगर वे बन जावेंगे तो चाहे वे फर्स्ट क्लास, या सेकन्ड क्लास या थर्ड क्लास के मैजिस्ट्रेट हों, तो वह फिर वही बात हो जायेगी जिसकी वजह से आपके सामने परेशानियां आ गयी हैं । इसलिये अगर आप सचमुच न्याय करना चाहते हैं और सचमुच हाई कोर्ट की आंख में धूल नहीं झोंकना चाहते हैं तो आप यहां मुंसिफ का प्राविधान कीजिये। निश्चित रूप से कह दीजिये कि वह प्राधिकारी कोई जुडीशियल आफिसर होगा। वह मुंसिफ होगा या जुडीशियल मैजिस्ट्रेट होगा । तो यह उसमें प्राविजन होना चाहिये । अगर ऐसा नहीं करते तो, श्रीमन्, एक बहुत भारी गलती हो जायेगी और बाद में आप हमारे शब्दों का स्मरण करेंगे ।

दूसरी बात श्रीमन् मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आप उसमें सुधार लाना चाहते हैं तो उसमें व्यक्तिगत तामील हो । यहां पर भी आप इतना तो न्याय कीजिये उस व्यक्ति के प्रति कि उसको न्याय मिल सके । इसलिये आप उसे व्यक्तिगत कर दीजिये । अगर इससे एक माह की और देरी हो जायेगी तो कोई आसमान नहीं फट जायेगा । आपने तो नोटिस चस्पा कर दिया, अब अगर कोई 6 माह के लिये बाहर गया हुआ है तो उसका क्या असर होगा ? या आपने तो चस्पा करवा दिया, उसको किसी लडके ने जाकर फाड़ दिया तो उससे उस व्यक्ति को सही न्याय नहीं मिल सकेगा जिसके खिलाफ आप कार्यवाही करने जा

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

रहे हैं। जब किसी व्यक्ति की गैर मौजूदगी में आप सारी कार्यवाही करेंगे तो जब उसे पता चलेगा तो वह किसके गुणगान करेगा ? इसलिये आप मेरे इस सुझाव को तो मान लें कि उसे व्यक्तिगत तामील कर दें ।

(इस समय 1 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रियासत हुसैन पीठासीन हुए।)

दूसरी मेरी प्रार्थना यह है कि सामान ले जाने के लिये जो आपने 15 दिन का समय रखा है इसे भी आप 1 माह कर दीजिये, 15 दिन का समय तो बड़ी जल्दी यूं ही निकल जाता है। आप उसे पूरा अवसर दें ताकि उसे कोई शिकायत न रह जाये कि आपने उसे पूरा अवसर नहीं दिया ।

इसके अतिरिक्त सेक्शन 9 में अपील का प्राविजन है, इसके अन्दर भी आपने 15 दिन का समय रखा है । मैं कहता हूं कि आप समय में इतनी कन्जूसी क्यों कर रहे हैं ? हर जगह आप कटौती करते चले जा रहे हैं, ऐसा क्यों है ? कहीं भी अपील का समय 30 दिन से कम नहीं है, अधिक तो है । इसलिये आप इस समय को भी 30 दिन कर दीजिये ताकि यदि कोई बीमार हो जाय, कहीं किसी कार्यवश चला जाय तो उसे असुविधा न हो ।

आपने इस में लिमिटेशन ऐक्ट को भी लागू नहीं किया । मेरा निवेदन है कि आप उसे भी लागू कर दीजिये ताकि हर व्यक्ति को नकल लेने का तो मौका मिल सके । उसके लिये तो टाइम है वह उसे आवश्य मिलना चाहिये ।

अगर एक व्यक्ति निकल जाय और वह फिर काबिज हो जाये तो उसके लिये आपने इसमें सरसरी प्रक्रिया का प्राविधान किया है । सरसरी तौर पर निकाल देने की बात मेरी समझ में नहीं आती । अव्वल तो जिसे एक बार आपने निकाल दिया है वह दोबारा आयेगा क्यों ? फिर अगर आ भी जाता है तो वह गैर कानूनी है, मगर उसके साथ वही कार्यवाही होना चाहिये जो सबके लिये साधारण प्रक्रिया है । अगर इस केस में आप सरसरी प्रक्रिया को अपनायेंगे तो वह रद्द हो जायेगी और पहले भी ऐसी चीजें रद्द हुयी हैं । इसलिये गलत प्रक्रिया अपनाने से क्या फायदा ? उससे सारा मुकदमा ही खत्म हो जायेगा ।

श्रीमन्, मैं बहुत लम्बा समय इसमें नहीं लूंगा । मैंने जो दो-चार सुझाव आपके सामने रखे हैं, वे इस आधार पर रखे हैं कि जो जनता है उसको संविधान में कुछ अधिकार मिले हैं—उन अधिकारों की रक्षा हो सके । यों आप संविधान को हर वक्त बदलते हैं यह आपके घर की बात है । आप उसके मौलिक सिद्धांतों की अवहेलना कर रहे हैं, यह एक दूसरी बात है, मैं उसकी चर्चा नहीं करता । लेकिन आपकी जो प्रवृत्ति, आदत तानाशाही की बन गई है, उसकी ओर मैं आपको संकेत करना चाहता हूं कि आप ऐसा न समझिये कि हर आदमी गलत होगा । जब आप मुकदमा करेंगे तो पायेंगे कि उसमें 10 में 5 आदमी सही होंगे । इस तरह का कानून बन जाये कि आदमी न अपील कर सके, न उसकी दलील सुनी जाये, न उसको अवसर-समय दिया जाए, अधाधुन्ध कार्यवाही की जाये, गला घोंटू प्रक्रिया अपनाई जाये, तो वह आदमी आपको क्या कहेगा । आप इस तरह से अन्याय को जनता पर न लादें, यदि लादेंगे तो आपका 'अन्याय हटाओ' नारा जो अब 'गरीबी हटाओ' के नारे के बाद अगले एलेक्शन में आने वाला है, उसको देने का आपको अधिकार नहीं रहेगा । इसलिये मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि ये जो 3–4 खुले अन्यायी कदम हैं, इन्हें आप वापस ले लें। यदि आप इन्हें वापस ले लें तो मैं भी अपने प्रस्ताव वापस ले लूंगा किन्तु यदि आप दृढ़ रहेंगे तो मैं भी अपने शक्ति भर जो मत इकट्ठा कर पाऊंगा उनसे उनका विरोध करूंगा । हालांकि आज के वक्त में विरोधी दल की हस्ती मिटाने की चेष्टा की गई है ।

मैं अपना कर्त्तव्य अवश्य पालन करने का प्रयास करूंगा कि शायद उन पर कोई असर हो जाये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, स्वामी जी ने कुछ सुझाव यहां दिये और उन्होंने कहा कि यह बिल परिचालित किया जाये जनता की राय जानने के लिये, चूंकि यह सदन 12 मई तक ही चलने वाला है, इसलिये मैं चाहूंगा कि इस विधेयक को इस सदन में पारित कर दिया जाये। इससे लोगों को राहत मिलेगी । चूंकि इसको कई बार इस सदन में लाया गया और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में भी....

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना संशोधन पेश कर दें।

श्री रामगोपाल संड—

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) विधेयक, 1972 को सदन के एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। जो अपना प्रतिवेदन एक माह के भीतर प्रस्तुत करे और जिसे विधेयक की परिधि बढाने का भी अधिकार हो यह 2–3 बार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से वापस हुआ। जल्दी में यह पारित हुआ और वहां से रद्द कर दिया गया और इससे पता चलता है कि यहां बैठने वाले लोग जल्दबाजी में काम करते हैं। इससे सदन की मर्यादा घटी है। इसलिय मैं सुझाव देते हुए यह प्रार्थना करूंगा कि प्रवर समिति बनाई जाए। दोनों सदनों की प्रवर समिति की जो बात है, वह शायद बनेगी। उसका प्रस्ताव आया है, लेकिन बदले हुए युग के अनुसार इसमें कुछ चीजें आनी चाहिये थी।

अभी भारत-पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसमें बहुत से सैनिक और अफसर होंगे, हो सकता है कि उनका किसी मकान पर तथाकथित गलत कब्जा हो। तो इस स्थिति में यदि हमने मकान गिरा दिया या उस पर कब्जा कर लिया तो उससे सैनिक विधवा को या जिसके घर वाले युद्ध क्षेत्र में हैं, उनको इससे काफी ठेस पहुंचेगी। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान से युद्ध होने के बाद मन्त्री महोदय के दिमाग में यह बात अवश्य आई होगी कि वह उसका भी समावेश इसमें कर लें। इसमें बताया गया है कि कोई व्यवस्था होगी, लेकिन यह भी नहीं बताया गया है कि किसके न्यायालय में वह जाएगा। बहुत से ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं जिनके पास अवैधानिक मकान हैं और वह रह रहे हैं। मिल में काम करता है या राज्य कर्मचारी है या केन्द्रीय कर्मचारी है। कहीं यह बिल जल्दबाजी में पास हो गया और उसके दरवाजे पर लग गया और वह बाहर गया हुआ है और उसके सामान को बाहर निकाल दिया गया या उसकी दुकान या मकान को गिरा दिया गया तो कितना अन्याय होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह प्रवर समिति में जाय, वहां मन्त्री जी भी अपने विचार रखें ताकि भविष्य में प्रयाग उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय इसको रद्द न कर सक। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को प्रस्तुत करता हूं।

*श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) विधेयक, 1972 दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट 1 माह के भीतर दे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरिनाथ तिवारी]

दुःख है कि यह विधेयक एक वकील मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने स्वयं अपने उद्देश्य और कारणों में माना है कि बार-बार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और उच्च न्यायालय से जो कानून उन्होंने बनाया है वह रद्द किया गया है। फिर भी इसको जल्दबाजी में रख दिया। यह भेद-भाव क्यों? जनता का व्यक्ति और सरकार, दोनों ही व्यक्ति हैं। जनता के व्यक्ति की तो बहुत कठिनाइयां होती हैं, उसके पास पैसा नहीं होता, साधन नहीं होते, उनकी पहुंच नहीं होती। सरकार के पास सारे साधन होते हैं। हर कोर्ट के लिये एक ऐडवोकेट रहता है, धन की कमी नहीं है। फिर भी यह भेद-भाव किया है। इसलिये जब यह फिर उच्च न्यायालय में जायगा तो इसका भी वही परिणाम होगा। जैसा एक वकील मन्त्री को इसे रखना चाहिये वैसा नहीं रखा बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि मन्त्री महोदय ने इसको देखा ही नहीं। एक जगह शीर्षासन करते हैं मन्त्री महोदय। जहां पर तामील पहले होनी चाहिये वहां उससे पहले प्रोक्लेमेशन कर दिया है। पहले सब्स्टीट्यूटेड सर्विस रखा है बाद में तामील कराया है। नोटिस द्वारा पहले तामील होना चाहिये। अगर वह किसी प्रकार न हो सके तब सब्स्टीट्यूटेड सर्विस होनी चाहिये। इसी प्रकार आपने राजपत्रित अधिकारी कह दिया। जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट की धारा 122 या 198 में लाखों मुकदमे ऐसे कर दिये गये हैं कि जहां पर उसकी जमीन मिली हुई है और वह बार-बार चिल्लाता है कि यह जमीन हमारी है लेकिन नहीं, चूंकि यह सरकारी मुकदमा है जरा भी असर नहीं हुआ और सब को बेदखल करते चले गये।

जहां पर आइडेंटिटी आफ लैंड का प्रश्न है, जहां दोनों मिले हुए हैं, एक अनाथराइज्ड है, वहां पर मौके का नक्शा बनता है, कि कितनी जमीन सरकार की है और कितनी जमीन व्यक्ति की है। यह सब न होते हुए तहसीलदार ने मुकदमें में डिग्री कर दी। और उसके लिये मुआविजा कितना? जितना वह निर्धारित करे। किसका मकान है उसको किसी तरह से मौका नहीं देंगे। इसलिये जहां राजपत्रित अधिकारी रखा गया है, मुंसिफ होना चाहिये। वह अपना टाइटिल दिखाये। उन्होंने तहसीलदार को बना दिया। आपको कानून बनाने की क्या आवश्यकता है जब आपको शक्ति है कि आप सक्षम हैं जिसको चाहें बेदखल कर दें। आपने इस कानून में पुलिस राज्य कायम करने की कोशिश की है। आपको मालूम है दरोगा जिसके पास इतनी शक्ति नहीं होती है वह किस प्रकार दुर्व्यवहार करता है। आपने कह दिया है कि फोर्स यूज किया जाय। फोर्स की कोई लिमिट होती है? धारा 5 (2) में आपने यह कह दिया, आप वकील हैं, जानते हैं, बेदखली जिस प्रकार होती है उसके नियम बने हुए हैं, उन नियमों का पालन नहीं होता है तो बेदखली होतीहै, लेकिन आपने इसमें एक ऐसी चीज जोड़ दी जो नहीं होनी चाहिए। "और उस प्रयोजन के लिये इतने बल का प्रयोग कर सकेगा जितना आवश्यक हो।" इसको कौन डिफाइन करेगा कि कितना बल होना चाहिये। पुलिस अफसर जायगा। मार कर कत्ल कर देगा तो कहेगा कि लड़ने को खड़ा हो गया था हमने मार दिया। मर गया। कितना बल प्रयोग होगा? जो आपने पुलिस राज कायम किया है इसका क्या नतीजा होगा? इसी प्रकार आपने एक जगह कह दिया कि नोटिस जारी करने के 15 दिन के अन्दर अपना जवाब दे दें। नोटिस जारी की जाती है दस तारीख को 25 तारीख तक वहीं रखी रहती है, आपके यहां वह जारी हो गयी। 15 दिन बाद उसका घर खाली हो गया। कम से कम हम यह अपेक्षा माननीय मंत्री जी से नहीं कर सकते, कानून जानते हुए, वह इस प्रकार की गलती कर सकेंगे। प्राप्त करने से हो सकता था। लकिन जारी करने से करेंगे तो दफ्तर में रोज नोटिसें पड़ी रहती ह।

इसी प्रकार आपने इसमें 11 विधेयकों को समाप्त किया है। जितने विधेयकों को उन्होंने निरस्त किया है सब में लिखा है "इस ऐक्ट में बेदखल कर सकते हैं। लेकिन आपने सबको निरस्त कर दिया। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि यह बार-बार हाई कोर्ट में चैलेंज होता है और वह निरस्त कर देता है। अगर उसको सेलेक्ट कमेटी मे भेज देते हैं तो वहां लोग बैठ कर इसकी खामियों को दुरुस्त कर देंगे और इसका रूप सही हो जायगा नहीं तो फिर दूसरा

विधेयक लाना पड़ेगा। फिर जो अजीब संशोधन आप लाये वह यह कि जो रुपया आपने गैर कानूनी ढंग से वसूल कर लिया था, वह उसे अगर मांगता है तो आप कहते हैं नहीं देंगे। वह कानून रद्द हो गया। उसके तहत बहुत सा पैसा वसूल कर लिया, जमीन उसकी बेदखल कर दी, बाद में जमीन तो वापस की लेकिन पैसा जो लिया था वह नहीं दिया जायगा। इस तरह का कानून आप बनाने जा रहे हैं। निश्चित रूप से यह फिर रद्द होगा और दूसरा कानून लाना होगा। इसलिए इसको आप सिलेक्ट कमेटी में भेज दें और फिर एक सुव्यवस्थित कानून लायें।

श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, जो विधेयक माननीय मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। पहले जब पब्लिक लण्ड इविक्सन विधेयक पेश हुआ था उस पर इस सदन में विचार हुआ था, उस पर भी मैंने अपन विचार प्रकट किये थे और बहुत सी खामियों का जिक्र किया था। पवतीय प्रदेश के 8 जिले ऐसे हैं जो भी वहां अनमेजर्ड लैण्ड हैं वह फारेस्ट की हैं लेकिन 8, 10 साल से लोग अनधिकृत कब्जा किये हुए हैं और कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि उस अनधिकृत कब्ज के खिलाफ कोई कार्यवाही की जा सके। अजीब स्थिति है। लोग जबरदस्ती अपने हाथ में कानून लिये हुए हैं। इसके लिये स्पीडी रेमेडी की जरूरत थी ताकि सरकार उनको जमीन से बेदखल कर सके और दूसरों को उसे दे सके। नैनीताल जिले में तराई भावर है। पेस्तर सनवाल साहब की अध्यक्षता म एक समिति बनी। 20 हजार आदमी वहां 53 हजार एकड़ जमीन पर काबिज हैं। सिविल प्रोसीजर से सूट दायर किये जाते तो कितने वर्ष लग जाते। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाली बात होती। इसलिये यह तरीका अपनाया गया है कि प्रस्क्राइब्ड अथारिटी के सामने रिपोर्ट करेंगे और सुनवाई का अवसर देने के तुरन्त बाद जमीन खाली की जायगी और कानून को लोग अपने हाथ में न ले सकें इसके लिये यह प्रोसीजर अपनाया गया है।

दूसरा समन के तामील के बारे में प्रश्न उठाया गया है। खंड 4 में व्यक्तिगत समन के तामील का प्रोसीजर दिया हुआ है। उसके अलावा राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार दिया है। समन नियमों के अनुसार तामील किया जा सकता है। समन तामील करने के नियम जैसे ही बन जायें वे रूल्स में इनकारपोरेट हो जायं इससे समन तामील करने की प्रक्रिया में जो दिक्कत होती है वह दूर हो जायगी। एक्जिक्यूटि व आफिसर के हाथ में यह अधिकार अब दिया गया है कि किसी को जमीन से बेदखल कर दें, जो नाजायज कब्जे में हैं। परन्तु उसके खिलाफ इस विधेयक में अपील की व्यवस्था की गई है जो कि विधेयक के खण्ड 9 में दिया हुआ है। उसमें यह दिया हुआ है कि अगर कोई प्रेसक्राइब्ड अथारिटी किसी के नाजायज कब्जे की जमीन को खारिज करता है तो न्यायाधीश के सामने उसकी अपील जायगी और इस तरह से हर व्यक्ति को न्याय मिल सकता है।

अधिष्ठाता महोदय, सन् 1968 में हाईकोर्ट ने यह फैसला किया है और जिसमें न्यायालय को यह अधिकार दिया गया था कि वह दावे के द्वारा नाजायज जमीन को खारिज करे तथा समरी प्रोसीजर के द्वारा प्रेसक्राइब्ड अथारिटी को यह अधिकार दिया गया था कि वह उस जमीन को खाली करवा दे। इसमें संवैधानिक कठिनाई हो गई इसके निवारणार्थ मैं समझता हूं कि यह विधेयक उस मन्शा को पूरी करता है। जो हमारे प्रदेश में सीलिंग और अरबन प्रापटी का विधेयक आने वाला है उसमें भी काफी जमीन खाली होगी और उसमें भी यह विधेयक उस मन्शा को पूरा करता है। इसके साथ ही जहां तक एक्जीक्यूटिव को ज्यादा पावर देने की बात उसमें है इससे भी विधेयक बड़ा महत्व रखता है। इसलिये माननीय मन्त्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो विधेयक माननीय मन्त्री जी ने पेश किया है मैं उसके विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैंने विधेयक को पढ़ा। वह तो आना ही चाहिये, मैं इसका विरोध नहीं करता कि वह क्यों आया, उसको तो आना ही था और इसको लाने की जरूरत भी थी क्योंकि जमीन और घरों पर जो अनधिकृत कब्जे हो रहे हैं उनको हटना चाहिये। परन्तु मुझे एक बात बड़े दुख के साथ कहनी पड़ती है कि आप भी, हमारे राजस्व मन्त्री जी, आप लोगों की छत्र छाया में समाजवाद का सबक सीखा है और उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज समाजवाद कहने से तो आयेगा नहीं, वह तो कानूनों में तरमीम करके ही आयेगा। उससे पहले नहीं। तो हमारे राजस्व मन्त्री जी जो विधेयक लाये हैं उसमें उन्होंने कहा है कि जो सार्वजनिक जमीन है या मकान हैं वे सब खाली करा लिये जायें। यह इसमें कहां है कि जो मकान सरकार को ज्यादा जरूरी लेने हैं या उनके बिना सरकार का काम नहीं चलने वाला है या जो जमीन सरकार लेना जरूरी समझती है उनको ले लिया जायगा। जो हरिजन और गरीब लोग हैं, जिनके पास कुछ नहीं है उनको यदि जमीन देने या मकान प्रोवाइड किये जायं तब तो मैं समझता हूं कि समाजवाद की राह की तरफ यह एक उचित कदम होता। किन्तु उनके लिये इसमें कोई प्रोटेक्शन की बात नहीं है। गरीब लोगों से मकान खाली करा लिये जायेंगे और बड़े लोग या पहुंच वाले लोग उसे अपने नाम एलाट करा लेंगे। जैसे कि पहले भी हो चुका है।

आपने जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट में क्या हुआ जिनको जमीन मिलनी चाहिये थी उनके ही पट्टे खारिज हुए। प्रधान ने अपने लड़के, बहू और रिश्तेदार के नाम उसे करवा रखे थे उसके पट्टे खारिज नहीं हुए। यह सब कानून की आड़ में हो रहा है। ग्राम समाज की जमीन भी इन गरीबों को नहीं मिली। उनके लिये प्रोविजन इसमें अवश्य होना चाहिये था। अगर किसी के पास वन की जमीन है तो वह खाली करेंगे नहीं। जैसे एक एकड़ जमीन है तो वह उसमें वन नहीं लगायेंगे, बल्कि खाली करा लेंगे और जिसकी जमीन होगी वह उसको ले लेगा। मैं इससे सहमत नहीं हूं लेकिन राजस्व मन्त्री सक्षम हैं। अभी शहरों और देहातों में जो गरीबों के मकान बने हुए हैं उनमें टेनेंसी राइट्स आज भी पुराने किरायेदारों को प्राप्त हैं। सौ-सौ वर्ष से वह रह रहे हैं लेकिन भूमि का अधिकार नहीं है। उसका किराया वह किसी किसी जमींदार को देते हैं तो उसके लिये भी कुछ करना चाहिये अगर वास्तव में आप समाजवाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं नहीं समझ पाता कि हमारे राजस्वमन्त्री कभी क्यों नहीं सोचते कि वह तो कानून की ताकत है। अभी से शुरू करें तो 10–20 साल में उससे लाभ जरूर हो जायगा। इसलिये मेरा निवेदन था कि इसको प्रवर समिति के लिये भेज दिया जाय और इसमें कोई ऐसा संशोधन जोड़ दिया जाय जिससे गरीब लोग और जो सैनिक हैं उनके लिये चाहे वह किसी कौम के हों व्यवस्था अवश्य की जाय। वरना उनके घर निकल जायेंगे। तो अगर जेनुइन डिमांड है उनकी तो कोई प्राविजन जोड़ दिया जाय जिससे कि उनका भला हो सके।

आपने जो दफा 4(4) में लिखा है कि, "डाक द्वारा या उस व्यक्ति को प्रदान करके अथवा प्रस्तुत करके या किसी अन्य रीति से, जो विहित की जाय, तामील करायेगा।" अगर डाक में बुक पोस्ट डाल दिया जाय और दूसरा आदमी निकलवा ले या वह गुम हो जाय—क्योंकि बुक-पोस्ट की कोई कीमत नहीं होती तो उसको व्यक्तिगत होना चाहिये था या नोटिस होता या रजिस्ट्री के द्वारा तो होना ही चाहिये ताकि कम से कम उसके पास पहुंच जाय।

मेरे साथियों ने 30 दिन की मियाद की बात कही। वाकई में 15 दिन की मियाद बहुत कम है 30 दिन की होनी चाहिये। इसके अलावा जहां तक लिमिटेशन ऐक्ट है उसका भी कुछ न कुछ करना चाहिये कि उसमें ऐसा न हो कि 15 दिन बीत जाय। लिमिटेशन की दफा 5 को मिलाया जाय तो जो पुराना ऐक्ट है, उसको भी इसके साथ अप्लाई होना चाहिये।

इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो इस अध्यादेश के अधीन किन्हीं सार्वजनिक भू-गृहादि से बेदखल किया गया हो, उन भू-गृहादि पर फिर से अध्यासन, ऐसे अध्यासन के लिये बिना किसी प्राधिकार के, कर ले, तो वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दंडनीय होगा ।

अब इसमें अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, क्या उसके लिये यही नियम लागू होगा? इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये था कि सरकारी कर्मचारियों पर अन्याय न हो, क्योंकि अगर वह रह रहा है और बाद में उसके बच्चे रह गये किसी वजह से तो उनके साथ बड़ी ज्यादती होगी ।

तो मैं ज्यादा न कह कर इतना ही कहूंगा कि आप इसमें ऐसी धारा जोड़ें जिससे गरीब आदमी और कमजोर वर्ग को कुछ न कुछ राहत मिल सके और सबको एक ही डंडे से न हांका जाय ।

*श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं हरिनाथ तिवारी जी ने जो संशोधन पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं माननीय मन्त्री जी को एक बात बता देना चाहता हूं कि प्रदेश और सारे प्रदेश के अन्दर जो स्टेट की पोजीशन है वह एक इंडीविजुअल के बराबर है । उसके खिलाफ जितने भी सिविल राइट्स, क्रिमिनल राइट्स उसी के अन्तर्गत आते हैं जैसे कि किसी व्यक्तिगत आदमी के विरुद्ध आते हैं । आज मन्त्री जी कहते हैं कि हम एक स्पीडी चीज ला रहे हैं जिससे कि गवर्नमेन्ट के खिलाफ जो फारेस्ट पर नाजायज कब्जा लोगों ने कर लिया है उनका हम जल्दी से जल्दी उद्धार कर दें । तो उनके कथनानुसार यह बात तो बिल्कुल सिद्ध हो गयी कि इस प्रदेश के अन्दर कानून है ही नहीं और अगर है तो कोई न्याय नहीं हो रहा है । इतनी देर होती है कि सामान्य आदमी की तो कौन कहे, सरकार भी अपनी जमीन प्राप्त करने में असमर्थ है । इसलिए इस कानून को अपने लिये बना रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी अपने मामलों को तय करा लेंगे । जो अनधिकृत लोगों ने कब्जा कर लिया है उनसे उनका कब्जा अलग करना है ।

यहां पर यह देखना होगा कि जो कमजोर व्यक्ति है उसकी क्या पोजीशन होगी । उसको न्याय मिल सकेगा या नहीं । यह एक डिक्टम है कि "जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड" तो आज समान्य नागरिक को उचित न्याय नहीं मिल रहा है । इस ओर मंत्री जी ध्यान दें और एक एक्सपर्ट की कमेटी बिठाएं । आज 20/20 साल मुकदमा दायर हुए हो गये लेकिन उनका फैसला नहीं हो सका । बाप-दादों ने मुकदमा दायर किया और पोते लड़ रहे हैं । अगर लोगों को उचित न्याय मिलने लगेगा तो लोगों में संतोष होगा । अगर गवर्नमेन्ट प्रापरटी है तो उस को आप जल्दी से जल्दी निकाल लेना चाहते हैं । आज आप कहते हैं कि हमने सिविल कोर्ट तथा रेवेन्यू कोर्ट दोनों को बलाये ताक रख दिया । प्रोसीजर लम्बा होता था इसलिये छोटा कर दिया है । मैं उनसे कहुंगा कि एक मामूली आदमी के लिये ऐसा प्रोसीजर करें जिससे उसे सस्ता और जल्दी न्याय मिल सके ।

आपने जो विधेयक बनाया है उसको देखने से मालूम होता है कि वह जल्दी में बनाया गया है क्यों उसमें बहुत सी गलतियां रह गई हैं । पहले यह था कि जो गांव सभा की जमीन को बेदखल कराने का जो प्रोसीजर था उसमें कितना हरजाना था शायद लगान का पचास गुना था । लेकिन जो अधिकारी हैं उनको अधिकार नहीं दिया गया है कि वे हर्जाना कर सकते हैं या नहीं । कितना हर्जाना कर सकते हैं यह बिलकुल गायब है । जो आदमी सरकारी जमीन या मकान पर कब्जा अनधिकृत किये हुए हैं उस पर कितना हर्जाना होना चाहिये यह इसमें नहीं है । पहले

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हिम्मत सिंह]

गांव सभा की जमीनें छूटती चली गई क्योंकि अनधिकृत कब्जा करने वाले लोग कहते थे कि जितने की जमीन नहीं है उससे ज्यादा हर्जाना लग जायेगा। जितना किराया है उसका पचास गुना अगर हर्जाना अनधिकृत कब्जा करने वालों पर लगाया जायेगा तो एक मिनट में वे कब्जा छोड़ देंगे सरकारी प्रापरटी पर गरीब आदमी कब्जा नहीं करते है बल्कि उस पर या तो मंत्री जी या उनका कोई मित्र या उनके रिश्तेदार ही अनधिकृत कब्जा करते हैं जैसे कि यहां सरकारी बंगले हैं उन पर लोग कब्जा किये हुए हैं और वे कोई चिन्ता नहीं करते हैं। इसलिए अगर डैमेजेज लगाये जायेंगे और ज्यादा लगाये जायेंगे तो लोग अपने आप कब्जा छोड़ देंगे क्योंकि वे सोचेंगे कि इतना हर्जाना पड़ जायेगा जितनी कि उसकी कीमत थी भी नहीं है।

सेक्शन 5 में है कि बाई फोर्स कब्जा हटाया जायेगा इसके माने हैं कि पुलिस जाकर उसका सामान फेंक देगी। इससे तो वह फोर्स मजबूत है कि किराये का पचास गुना हर्जाना लगा दिया जाय। तो फोर्स की जरुरत नहीं पड़ेगी। जो इसमें फोर्स की बात है वह उचित नहीं है। सिविल प्रोसीजर कोड को बलाये ताक रख दिया है तो तामील के क्रम में इसमें बड़ा घपला है। आपने कह दिया कि एक बार बिल्डिंग पर चस्पा कर दिया जाय, फिर उसको क्या आप समझेंगे कि तामील हो गयी। दूसरे आप लिखते हैं कि नोटिस भेजेंगे तामील करायेंगे। पहले आप तामील क्यों नहीं करा लेते ? फिर मकान से चस्पा कर दीजिए या गजट करा दीजिये। लेकिन ध्यान इस बात पर देना है कि उसको कम से कम एक बार सूचना तो हो जाय। जैसा कि माननीय नित्यानन्द जी ने कहा कि मान लीजिये जो शख्श 6 महीने के लिये तीर्थयात्रा को चला गया है। अब 6 महीने को तो तीर्थयात्रा को कोई नहीं जाता लेकिन ऐसा जरूर देख लिया जाय कि एक बार उसको नोटिस के बारे में जानकारी हो जाय। ऐसा न हो कि नोटिस कहीं पड़ा ही रह जाय और कह दिया जाये कि तामील हो गया है। जैसे दफ्तरों में भी बहुत बार लापरवाही हो जाती है। ऐसा न हो जाय कि समन को फाड़ कर ही फेंक दिया जाय और कह दिया जाय कि तामील हो गयी। ऐसी अवस्था में उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो जायेगी।

(इस समय 2 बजे अध्यक्ष, श्री आत्मा राम गोविन्द खेर पीठासीन हुए।)

इसके अलावा जो इस विधेयक के द्वारा पुरानी हुई बेदखलियों के बारे में कहा गया है। उसमें कहा गया है कि वे तो हमसे वसूल न कर सकेंगे लेकिन हम कर सकेंगे। उनके साथभी इसके द्वारा घोर अन्याय हो जायगा। इस पर भी आपको फिर से विचार करने की जरूरत है। ग्राम सभा और लोकल अथारिटीज की भूमि को भी आप इसके परव्यू में नहीं ले रहे हैं। क्या वह सार्वजनिक जमीन नहीं है ? अगर आप सरकारी जमीनों और मकानों को खाली जल्दी से कराना चाहते हैं तो उनको भी इसके अन्तर्गत ले लीजिये। हालांकि जमींदारी अबोलीशन में आपने कुछ नियम उनके लिये बना रहे हैं। लेकिन वहां पर बहुत घपला होता है। माननीय मंत्री जी उनको भी इसके अन्तर्गत ले लें तो अच्छा होगा। वहां पर ग्राम सभा की जमीन के बारे में बड़ा अनर्थ होता है। उनको भी आप इसके परव्यू में ले लें।

इसके अलावा आपने जो अथारिटी बतायी है उसके बारे में कहा है वह गजटेड आफिसर होगी। यह तो बी० डी० ओ०, तहसीलदार कोई भी हो सकता है। इसमें बड़ा घपला होने की अशंका है। हम चाहते हैं कि गजटेड आफीसर न रखा जा कर जुडीशियल साइड के किसी आदमी को वहां पर रख दिया जाय। अगर आप मुन्सिफ या सिविल जज रख देंगे तो लोगों को यह मालूम पड़ेगा कि हमको न्याय मिल रहा है। क्योंकि न्याय ऐसा ही होना चाहिये जिससे मालूम पड़े कि हमको न्याय मिल रहा है। किसी को ऐसा न लगे कि जबरदस्ती की जमीन उससे छीनी जा रही है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दिया जाय। वहां की परिधि भी बढ़ जायेगी। माननीय मंत्री जी चाहें तो 7 दिन में भी बैठकर उसके ऊपर विचार कर लें। मैं यह जानता हूं कि माननीय

मंत्री जी को कठिनाई है कि लाखों लोगों ने अनआथोराइज्ड कब्जे कर रखे हैं, उनको मंत्री जी को बेदखल करना है। लेकिन एक महीने का अगर समय और लग जायगा तो उसमें कोई किसी की म्याद नहीं निकल जायगी। कोई केस टाइम बार नहीं हो जायगा। मेरे जिले में ही सड़क के किनारे एम० एल० ए० और एम० एल० सी० रोड की बाउन्ड्री से मकान बना रहे हैं और अभी तक वे बेदखल नहीं हो पाये हैं। उनको बेदखल किया जायगा, उनको हटाया जायगा। लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि लोगों को न्याय ही मिले। इसलिए मैं कहूंगा कि आप इसको प्रवर समिति में भेज दें वहां इस पर विचार हो सकता है और इसकी कमियां दूर हो सकती हैं। इतना ही मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा।

श्री त्रिलोक चन्द--

श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई।)

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, कोरम हो जाय तब हम बोलें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

एक दिन तो आप श्रीमन्, कम से कम सदन स्थगित कर दें ताकि सरकार को चेतावनी हो जाय। आप ऐसा कदम नहीं उठाते इस लिये इससे उनको प्रोत्साहन मिलता है।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग ऐसा कोई तसफिया कमेटी में कर लेते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

ऐसा भी तसफिया हो सकता है कि कोरम न हो और काम चलता रहे।

श्री अध्यक्ष--

नियमानुसार कोरम तो काम चलाने के लिये होना ही चाहिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

कोरम न हो तो स्थगित कर देना चाहिये, बड़े दुख की बात है कि इनके विधायी कार्य के लिये भी पूर्ति नहीं होती।

श्री अध्यक्ष--

दो चार बार ऐसा हो तो स्थगित कर देंगे।

मैं आज घंटा भर देर से आया, सदस्यगण विचार विनिमय कर रहे थे, वह आपके ही प्रतिनिधि थे वर्ना मैं पहले से ही करा देता।

श्री उदित नारायण शर्मा--

इसमें कुछ सहायता उनकी भी रहनी चाहिये।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

*श्री रूपनाथ सिंह यादव--

श्रीमन्, इस विधयक के उद्देश्य और कारणों को देखने के बाद ऐसा मालूम होता है कि यह सरकार बिल्कुल ही निकम्मी है क्योंकि जो कानून इतना आवश्यक हो उसको हाई कोर्ट द्वारा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रूपनाथ सिंह यादव]

रद्द कर दिया जाय। आज जिन कारणों से यह सुप्रीम कोर्ट में भी रद्द हुआ वे ही कारण आज भी इसमें विद्यमान हैं और अगर फिर यह ऐसे ही पास हो गया तो फिर अवैध घोषित हो जायगा।

जो आब्रिट्रेरी और समरी पावर्स एक सक्षम अधिकार को दे दी गयी है यह प्रिंसिपल साधारण जस्टिस और संविधान के विरुद्ध है। आज भी इस विधेयक की धारा 3 व 4 को देखें तो मालूम पड़ेगा कि आब्रिट्रेरी ढंग से बिना किसी को अवसर दिए हुए तथाकथित उसको कब्जा करने की पावर मिलेगी। यहां पर जज भी है और गवाह भी हो रहा है। कहा गया कि अगर प्राधिकारी की परसनल नौलिज में ही हो तो वह फैसला भी कर देगा। अगर वह ही जान ले कि कब्जा अवैध है तो वह निर्णय भी कर ले। आगे इसमें आप कहते हैं कि जहां सरकार और नागरिक के बीच लड़ाई हो तो वहां तो कहते हैं कि समरी ट्रायल से बेदखल करा लिया जाय और अगर नागरिक और नागरिक के अन्दर झगड़ा हो तो सिविल कोर्ट में निर्णय हो। तो अब आप देखें कि नियमानुकूल संविधान में क्षमता होनी चाहिये। यदि ऐसा किया जायगा तो संविधान की धारा 14 को आघात पहुंचेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय ताकि वह इस पर शान्तिपूर्वक विचार कर सकें और अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत कर सके। दो हफ्ते में अपनी पूरी रिपोर्ट दे देगी। यदि इस विधेयक को जल्दबाजी में बहुमत के बल पर पास कर दिया गया तो एक अनर्थ हो जायगा और जितने भी अनआथोराइज्ड कब्जे हैं वे भी एविक्ट नहीं हो पायेंगे।

आगे इसमें 30 दिन के स्थान पर 15 दिन ही कर दिया गया है। दूसरे पर्सनल सर्विस चस्पा करने के लिये नोटिस का अधिकार दे दिया है। अगर सक्षम अधिकारी कार्यालय में बैठा ही लिख दे कि चस्पा कर दिया गया। तो मान लिया जायगा। और वह पुलिस की फोर्स से निकलवा देगा। तो ऐसा कानून क्यों बने जिससे जनता में दोष हो और असंतोष की भावना फैले और जनता में इस सरकार की बदनामी हो। तो मेरी प्रार्थना है कि आप ऐसा कानून बनाएं कि जिससे जनता को राहत मिले। निकालने की जो पावर आप एक्जीक्यूटिव को दे रहे है वह आपको जुडिशियरी को देनी चाहिये। इसलिये फिर मेरी प्रार्थना है कि आप इसको प्रवर समिति को भेज दें?

*श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि, विधेयक, जो हमारे सामने प्रस्तुत है संशोधन हेतु मैं व्यक्तिगत रूप से इस मत का हूं कि अवैध रूप से जो भी कब्जा प्रदेश के किसी भी भाग में हो, चाहे वह सरकारी कर्मचारी द्वारा ही क्यों न हो, चाहे मंत्रियों द्वारा अथवा किसी भी नागरिक के द्वारा सार्वजनिक भू-भाग पर जो जबरन कब्जा है अवैधानिक उसको हटाना ही चाहिए निश्चित रूप से हटाना चाहिये। इसमें दो मत नहीं है। और उसके लिये जितना भी कठोर से कठोर नियम हो उसको इस सदन को स्वीकार करना चाहिये। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ यह भी कहना चाहता हूं कि जब सन् 70 में यह संशोधन विधेयक आया था उसमें हमने यह संशोधन प्रस्तुत किया और माननीय सदन से यह आग्रह भी किया गया कि इसे सन् 70 के अन्दर जो संशोधन इसी नियम में करने के लिये रक्खा गया था इसे सदन के माननीय सदस्यों ने यह अनुरोध किया था कि उसमें बहुत ही खामियां हैं और इन खामियों को देखने के लिये इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय विचार करने के लिये नहीं तो यह खामियां ऐसी हैं कि दोबारा भी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से कानून इल्लीगल घोषित हो जाएगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय मंत्री महोदय ने उस समय भी इस बात को स्वीकार नहीं किया। मुझे याद है उन दिनों भी विधेयक पर बोलते हुए हमने कहा था कि यदि आप इस बात को स्वीकार नहीं करते तो क्या आप इस बात की गारन्टी देंगे कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से यह विधेयक इल्लीगल घोषित नहीं होगा। उस पर भी उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया और माननीय अध्यक्ष जी वही हुआ जो विधेयक आज से दो वर्ष पूर्व इस सदन में हम लोगों ने प्रस्तुत किया था मैं ऐसा समझता हूं कि इस विधेयक में भी जितना हमारे हरिनाथ जी तिवारी, श्री हिम्मत सिंह और अन्य सदस्यों ने जिन-जिन पैराओं के ऊपर अपना दृष्टिकोण रक्खा है मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। इनमें इतनी ज्यादा खामियां हैं कि यह फिर से उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अन्दर कानून अवैध घोषित हो जायगा। क्या मैं यह समझूं, मैं शासन पर इस बात का आरोप लगाता हूं कि शासन जनता को इस बात की ओर ध्यान दिलाने के लिये कि हम बेदखली करने जा रहे हैं लेकिन बेदखली कानून को ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं किया। ऐसे लोग जो नाजायज ढंग से बेदखल किये हुए है बहुत से भूतपूर्व एम० एल० ए० और एम० पी० और बहुत से भूतपूर्व मिनिस्टर अवैधानिक रूप से उस पर पड़े हुए हैं। उनको आजादी से चैन से इस त्रुटिपूर्ण विधेयक को लाकर इन्डायरेक्ट वे में सपोर्ट करते हैं।

मैं आपसे अदब से कहना चाहता हूं कि इसमें कौन सा विरोध पक्ष का हित है या शासन का हित है कि बार-बार इस कानून को बनाते जाएं और उच्च न्यायालय से यह कानून अवैध घोषित हो। क्या यही सदन की मर्यादा होगी। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि आज यह 59 का जो विधेयक है जिसमें दो तीन बार संशोधन हुए और जो सब संशोधन उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अवैध घोषित हो गये यह कौन सा पहाड़ फटता चला जा रहा है। आप प्रवर समिति में भेजने के लिये क्यों नहीं इसको स्वीकार करते। इसको प्रवर समिति में भेज देना चाहियें। इसमें सात या पन्द्रह दिन क्यों न लगें इसमें सारी खामियों को दूर करके ही सदन में लाना चाहिए। यह बहुत हास्यास्पद है जब शासन के लोग या हमारी सरकार इस बात को कहें मंत्री जी इस विधेयक को प्रस्तुत करें कि मैं दीवानी अदालत के प्रोसीजर को इसलिये छोड़ रहा हूं क्योंकि उसमें बड़ा समय लगाता है। आखिर यही तो मेरा भी कहना है कि आपके न्यायालय के कार्यवाही की इतनी धीमी गति है या इतनी धीमी गति से वे चल रहे हैं कि किसी भी गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल रहा है। यदि महलवाला अपनी बगल के झोंपड़ी वाले को हटाना चाहता है उस पर दो मुकदमे कायम कर देता है वह झोंपड़ी वाला झोंपड़ी से हटकर चला जाता है। वह न्यायालयों में न्याय नहीं पा सकता है। क्योंकि आज न्यायालय की कार्यवाहियां इतनी विलम्ब से हो रही हैं और इतनी खर्चीली हैं कि वह कर ही नहीं सकता। जब मैं यह कहता हूं तब आप स्वीकार नहीं करते। जब विधेयक लाते हैं तो कहते हैं कि न्यायालय का प्रोसीजर इतना लम्बा है। न्यायालय में इतना समय लगता है।

मैं कहता हूं कि क्या यह शासन का उत्तरदायित्व नहीं है, कि न्यायालयों में कम से कम समय लगे। जनता-जनार्दन को न्यायालय की सुविधा मिल सके, न्याय सस्ता हो और जल्दी हो। यदि उत्तर प्रदेश सरकार न्यायालय से देरी होने के कारण, न्यायालय के खर्चे के कारण भागकर प्रशासनिक शक्ति को मजबूत करने के लिये विधेयकलाती है तो क्या इस बात की पुष्टि नहीं करती कि उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को उस न्यायालय से कैसे न्याय मिल सकेगा। इसके लिये शासन जिम्मेदार है कि यदि आपको यह तकलीफ महसूस होती है तो दूसरे को भी यह तकलीफ महसूसहोती होगी और आपको चाहिए कि उत्तर प्रदेश में न्यायालय की सुविधा जनता को प्रदान करें जिससे उनको समय से और कम व्यय पर न्याय मिल सके। यदि हम छुट्टा सांड की तरह छोड़ देंगे और शासन के अधिकारियों को अपने सारे अधिकार देकर और अपने को न्यायालय से हटा कर अपने सारे काम संपूर्ण करा लें तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिये कोई न्याय की सुविधा नहीं मिल सकती।

[श्री शंकर प्रसाद जायसवाल]

मैं व्यक्तिगत रूप से इस मत का हूं कि आप न्यायालय का पक्ष मत छोड़िए। आज जब कि प्रदेश की 10 करोड़ जनता इसमें पिस रही है तो जब तक आप मजबूर नहीं होगे तब तक उस न्यायालय के प्रोसीजर में गति लाने के लिये आप कार्यवाही नहीं करेंगें। मैं इन शब्दों के साथ अन्तिम बात यह कहना चाहता हूं कि इसमें पृष्ठ 3 पर 5(2) में लिखा हुआ है कि उस प्रयोजन के लिये इतने बल का प्रयोग कर सकेगा जितना आवश्यक हो। यह एक वग प्रस्ताव है। इसमें आपको निश्चित करना पड़ेगा। जैसे यहां पर आपने एक गजेटेड आफीसर की नियुक्ति की बात कही, मुंसिफ की बात को स्वीकार नहीं की है, जहां नोटिस की खामियों की बात वहीं पर बल प्रयोग का कोई निश्चित मतलब नहीं है। इस नाते इन सब खामियों को देखकर आप जल्दी म अगर पास करेंग तो ठीक नहीं है। इसी सरकार ने पहले भी संशोधन प्रस्तुत किया था और इसी सरकार के सामने यह दिक्कतें थीं और आज भी हैं। इस नाते अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से नम्रता पूर्वक यह आग्रह करूंगा कि प्रदेश के अन्दर फैले हुए सार्वजनकि भू-भाग और भवनों पर जिस प्रकार से अनधिकृत कब्जा किये लोग बैठे हुए हैं, उनको तुरन्त बेदखल कराने के लिये आवश्यक है कि यह जो विधेयक आप लाये हैं वह पूर्ण रूप से वैधानिक हो और इसके लिये आवश्यक है कि प्रवर समिति में विचार के हेतु भेजा जाना चाहिये।

*श्री हरिनाथ तिवारी--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं उन सभी साथियों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे इस संशोधन का समर्थन किया है। हमारे माननीय मंत्री जी जल्दीबाजी में यह कानून पास करने जा रहे हैं। परन्तु उनको यह जानना चाहिये कि यह कहकर कि जनता को सिविल कोर्ट का चक्कर बहुत दिनों तक लगाना होता जिससे कठिनाई होती है उनको न्याय पाने में, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तो उन्हीं की देन है जिसके कारण यह है। उसको दृष्टि में रखकर सरकार को चाहिये कि एक ऐसा तरीका निकाला जाय जिससे जल्दी न्याय मिल सके। हम मंत्री महोदय से प्रार्थना करेंगे कि जो व्यक्ति मजबूत है या जो बलवान हैं उनके खिलाफ आप बेदखली की कार्यवाही नहीं कर सकते, आप जो चाहे कर लें। मुझे एक उदाहरण याद है। आप ही के स्तर के एक मंत्री एक बंगले में रहते हैं। उनके खिलाफ बेदखली की कार्यवाही हुई। परन्तु जैसे ही मंत्री परिषद् के सदस्य हो गये वह दावा उठा लिया गया और वह अब भी काबिज हैं। अब उनको क्या आप बेदखल कर सकेंगे? यह बेदखली उन गरीब आदमियों के लिये हैं। कानून बना कर आप उन मंत्री जी को बेदखल नहीं कर सकते हैं। अमीर लोग जिनके पास धन है वे गजटेड आफिसर्स को खरीद सकते है और खरीद रहे है। जो गरीब हैं यह कानून तो उसके लिये बनाया जा रहा है। हम प्रार्थना करेंगे कि आप इसको प्रवर समिति में भेज दें जो इसके गुण और दोषों को अच्छी तरह से समझ कर एक अच्छा कानून बना सके। मान्यवर, सन् 59 से 72 बीत गया। बहुतों की डाइवर्स पोजीशन हो गई और उनको बेदखल नहीं कर सके। इसलिये इसको प्रवर समिति में अवश्य भिजवायें।

श्री राम गोपाल संड--

मान्यवर, मैं अपना संशोधन वापस ले रहा हूं और जो कुछ श्री हरिनाथ तिवारी ने कहा है उसका समर्थन करता हूं।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल--

मान्यवर, इस समय कोरम नहीं है। कोरम हो जाने पर ही माननीय मंत्री जी को बुलवायें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

3, 4 सदस्य कम हैं ।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवही पुनः आरम्भ हुई ।)

*श्री उदित नारायण शर्मा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अपने संशोधन के पक्ष में जो कुछ कहा है उसको मैंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना है । मैं बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी विधेयक यदि आये तो यह एक रवाज नहीं हो जाना चाहिये कि उसमें संशोधन लाकर यह कहा जाय कि उसको प्रवर समिति में भेजा जाय । आपके सामने जो विधेयक है यह सन् 59 से ही चर्चा का विषय रहाहै । 59 से ही इसकी छानबीन अदालतों में तथा सदन में होती रही है । दीवानी से आप इसके अधिकार ले रहे है । दोनों चीजें कि उसमें भी रहे और जल्दी हो जाय नहीं हो सकती हैं । एक तरफ तो आप कहते है कि कानून में यह लगाइये और दूसरी तरफ कहते है कि जल्दी हो जाय । अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि यह बड़ा अहम मसला है कि जो अधिकार है उनका हनन हो रहा है । साधारण व्यक्ति आपस में लड़ता है तब तो वह दीवानी में जा सकता है लेकिन सरकार के मुकाबिले में यदि वह लड़ता है तो वह न हो । यह प्राविधान जो लाया गया है वह सार्वजनिक भूमि अथवा सार्वजनिक भू-गृहादि के वास्ते लाया गया है और सरकार के वास्ते नहीं लाया गया है । और इस लिये सरकार के कोई अधिकारों का प्रश्न नहीं है । यह तो सार्वजनिक संस्थायें जो हैं उनके अधिकार के लिये है । सार्वजनिक भूमि पर व्यक्तिगत रूप से लोग कब्जा न करें और उनसे लाभ होना चाहिये, उनसे वंचित न हो जायं, इसमें कौन से अधिकार हैं जो शासन को मिला करते हैं ।

शासन तो उनका एक सेवक है, जो उन के कामों को अन्जाम देना चाहता है और इसके लिये हम निवेदन करते है ताकि जनता के कामों में लिटीगेशन न हो, इस तरह से मुकदमे बाजी न हो, जिसमें एक बड़ा आदमी सालों के लिये मामले लटका सके । श्रीमन्, दीवानी में 10, 10 और 12, 12 साल तक मुकदमे चलते है और उसके बाद कहा जाता है कि इतने साल हो गये हैं, अब कैसे बेदखली करते हैं । तो मैं निवेदन कर रहा था कि यह कहा गया कि मुन्सिफ मुकर्रर करना चाहिये । श्रीमन्, कोई चीज होती है, कोई आधार होता है, जिसके लिये हम कोई काम करेंगे । हमें अगर मुन्सिफ को अधिकारी बनाना है तो मुन्सिफ की अदालत तो बनी हुई है, कोई नया अधिकारी बनाने नहीं जाना है । श्रीमन्, यह भी कहा गया कि दो बार यह अवैध करार दिया गया ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

वह कौन से कारण थे जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध घोषित किया है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

मैंने तो जब विचार के लिये पेश किया था तो कारण बतलाये थे और कहा था कि इस तरह से हम इन कारणों को दूर कर रहे हैं ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

मंत्री जी जबाव टाल रहे हैं । हमारी मंशा यह है कि कानून ऐसा बने कि रहे । यह सदन की गरिमा है । अगर कानून रद्द हो जाता है तो सदन का अवमान होता है । सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने दोनों प्रकार के अधिकार लिये है इसलिये हम इसको व्यायड डिकलेअर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रूपनाथ सिंह यादव]

करते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब वाले केस में कहा है। तो आप कारण बतला दीजिये तो हम मान लें।

श्री उदित नारायण शर्मा--

मेरे पास इसका क्या इलाज है? मैंने आरम्भ में ही दोनों बातें बतला दी थीं। अब हम कैसे उनको दूर कर रहे हैं यह भी बतलाया था। इसके लिये सारा सदन साक्षी है। मैंने कहा था कि दो कारण थे। जिस मामले को नहीं करना चाहते थे उसको दीवानी में भेजते थे और जिन लोगों को तंग करना होता है उसको एक्जीक्यूटिव अथारिटी को देते हैं। इस कारण संशोधन रक्खा गया था और जब संशोधन रक्खा गया तो दूसरी बार इस लिये अवैध किया गया कि पूरा अधिनियम अवैध करार दिया गया है। कोई खामी हो जाती है तो संशोधन के रूप में ठीक की जा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यदि हम किसी अधिनियम को अवध करार देते हैं तो वह अधिनियम जीवित नहीं माना जावेगा, उसका वजूद ही खतम हो जावेगा, तो फिर संशोधन कैसा। इसलिये जब अवैध करार दे चुके हैं तो यदि उसका वैधीकरण करना उसे है तो मूल रूप में पूरा का पूरा पुरःस्थापित करना पड़ेगा।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल--

क्या यह जो पुरःस्थापित कर रहे हैं, इसमें कोई खामियां नहीं है?

श्री उदित नारायण शर्मा--

श्रीमन्, दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं .....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, अभी अभी जो माननीय जायसवाल जी ने स्पष्टीकरण मांगा है, मंत्री जी उसको टाल रहे हैं। हमारे इन माननीय सदस्य का कहना है कि ये जो डिस्क्रिमिनेटरी ग्राउण्ड या अन्य ग्राउन्ड पर अवैध घोषित किया है उन्होंने, तो वह कौन सी संस्था है कि जिसकी राय से आप अधिनियम बनाते हैं। आज कौन सी गारेन्टी है कि यह फिर अवैध न हो जाय। क्या आपने पूरी छानबीन कर ली है। इस विषय में ताकि पुनः गल्ती न हो। इसका जबाब अपने भाषण में कृपया दे दें।

श्री उदित नारायण शर्मा--

मैं तो इसका उत्तर दे ही रहा था। श्रीमन्, माननीय जायसवाल और माननीय रूपनाथ यादव ने इसको कहा तो कहा, हमारे माननीय त्रिपाठी जी भी उसी बात को दुहरा रहे हैं। श्रीमन्, क्या यह कभी भी सम्भव होगा कि इस सदन में खड़ा होकर कोई माननीय सदस्य इस बात का आश्वासन दे दे कि यह कभी भी अवैध किया ही नहीं जा सकता है। मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि इसमें अनेकों उदाहरण है जिसमें पांच जजों ने कहा कि वह संवैधानिक है और दूसरे तीन ने कहा कि यह नहीं है। तब क्या करेंगे? आज हमने संविधान में संशोधन किया। श्रीमन्, यह एक प्रक्रिया है। यह जनतन्त्र के चलने का तरीका है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

अगर ऐसा है, तो उसको एबालिश कर दें।

श्री उदित नारायण शर्मा--

आप कृपया बैठ जायं।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। क्या मंत्री जी हमको बैठने के लिये इस माननीय सदन में आदेश दे सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

अगर आप बिना मेरी आज्ञा उनके भाषण के बीच में बोलने लगे तो वह कह सकते हैं।

श्री उदित नारायण शर्मा--

मान्यवर, मैं अपने माननीय नित्यानन्द जी से क्षमा मांगता हूं कि उनको बुरा लग गया। यह मैंने उनका किसी अनादर के लिये नहीं कहा। अगर उन्होंने ऐसा समझा हो तो उनका यह भ्रम है। उचित तो यही था कि यदि मैं बोल रहा था, तो उन्हें बैठ जाना चाहिये था।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें। माननीय मंत्री जी अपना भाषण दे रहे थे। अगर कोई माननीय सदस्य कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं और मंत्री जी उसको टालना चाहते हैं तो वह क्या करेगा ?

श्री अध्यक्ष--

वह बोल रहे हैं और आप लोग बोलना शुरू कर देते हैं। वह देखो, वे खड़े हैं। पहले मेरी आज्ञा लेना जरूरी है। जब वह बैठ नहीं हैं तो आप न बोलें।

श्री उदित नारायण शर्मा--

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसकी छानबीन एक से अधिक मर्तबा अदालतों में हो चुकी है। आपने कहा कि लिमीटेशन ऐक्ट लागू नहीं किया गया है। मान्यवर, लिमीटेशन ऐक्ट तो अपनी जगह है ही, उसके अनुसार जितनी म्याद उसको मिलनी चाहिये वह तो मिल ही जायेगी। वह तो लिमिटेशन ऐक्ट में लिखा हुआ है। और उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ा करती।

एक बात और माननीय नित्यानन्द स्वामी जी ने कही कि हम गरीबी हटाओ की बात करते हैं और गरीबी फैलाओ का कार्य करते हैं। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आज परिस्थिति ऐसी आ गयी है कि बिना गरीबी हटाओ की बात करे और बिना समाजवाद की बात करें जिन्दा रहना ही मुश्किल हो जायेगा।

(व्यवधान)

श्री रामगोपाल संड--

सन् 1952 में ही जनसंघ के डा0 श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने गरीबी हटाओ के लिये कहा था . . . . .

श्री अध्यक्ष--

वह बैठ नहीं रहे हैं, आप कृपया बठें।

श्री उदित नारायण शर्मा--

सरसरी प्रोसीडिंग्स के बारे में कहा गया। अब अगर एक आदमी एक बार बेदखल हो गया है और वह फिर दोबारा कब्जा कर लेता है तो उसको सरसरी कार्यवाही द्वारा हटाया जा सकता है। मान्यवर, अभी तक सारा रोना तो यही रोया जाता रहा कि लोग एक बार नहीं दो बार नहीं, तीन-तीन, चार-चार बार हटा दिये जाते हैं लेकिन फिर कब्जा कर लते हैं। जो गरीब हरिजन हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं आज वे यही शिकायत करत हैं कि सरकार एसे लोगों

[श्री उदित नारायण शर्मा]

के खिलाफ कुछ नहीं करती। तो एक बार यदि किसी को हटा दिया गया है तो दोबारा इस बात का कोई औचित्य नहीं रह जाता कि उसको दोबारा पूरा मौका दिया जाय। दोबारा अगर म उसको नहीं हटाते तो हम उसके प्रति अन्याय करेंगे जिसको हम न्याय देना चाहते हैं। मेरी सझ से इससे ज्यादा जरूरी और दूसरा कोई प्राविजन हो नहीं सकता। आज जरूरत तो यह है कि यदि दोबारा कब्जा कोई कर ले तो जल्दी से जल्दी समरी प्रोसीडिंग्स करके उसको हटाया जाय। (व्यवधान) उसको बिलम्ब न करने दिया जाये। उसका मंशा यही है कि हम फिर बिलम्ब करेंगे, कोर्ट में बार बार जायंगे और लम्बा समय खीचेंगे। इसलिए समरी प्रोसीडिंग बहुत जरूरी है। इसलिये इसका औचित्य समझा जा सकता है। एक बात और इसमें कही गई --जिस तारीख को नोटिस जारी करेंगे उसके 10 दिन के अन्दर। लेकिन उसमें यह कहा गया है कि जिस तारीख को नोटिस अपनी ईश्यू करेंगे, उस नोटिस में तारीख दें। कि इतने दिनों के अन्दर उजरदारी पेश करें। अन्यथा वह कहेंगे कैसे? कहने की कोई सूरत होनी चाहिये। हो सकता है कि उस पर तामील देर से हो और जब वह बतायेगा कि हमारे पास इत्तिला ही नहीं थी, तो यह बात उचित होगी कि उसको सुना जाय।

यह भी इसमें कहा गया कि उससे अधिक बल प्रयोग नहीं किया जायगा, जितना कि आवश्यक है। इसकी भी यहां आलोचना की गई है कि आज तक यह कानून नहीं। श्रीमन्, न मालूम कितने कानून ऐसे हैं। सारे हमारे यहां के ला एण्ड आर्डर की व्यवस्था इस पर कायम है। जो अधिकारी उसको करने के लिये जाता है, उसमें इतनी बुद्धि---तमीज है या नहीं यह देखना होता है। जितने बल प्रयोग की आवश्यकता है, इससे आगे बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं ह। यदि किसी भी प्रकार का कानून बनायेंगे तो अधिकारी को इस प्रकार का अधिकार अवश्य देना पड़ेगा, अन्यथा उसका काम हो ही नहीं सकता है। यह हमारा दुर्भाग्य होगा कि यह हमारे अधिकारी न समझ सकें। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि जितनी बातें कही गई हैं, वे सारी की सारी ऐसी हैं जो आवश्यक हैं। इसको दो एक महीने और अटकाना उचित नहीं होगा, हमें एक एक दिन भारी हो रहा है। आज पूरे सवाल नहीं हो पाये नहीं तो आप उसमें देखते कि कितने सवाल थे जिसमें पूछा गया कि इतने दिन तक लोग गलत तरीके से काबिज पड़े हैं। आज मैं खास कर इसके लिये आया था और मैंने सोचा था कि आज अच्छा मौका ह, लेकिन मौका नहीं मिला। पहले करने के लिये कहा जाता है और जब हम करने के लिये इसे ले आये तो यह कह कर देर की जाए, यह बात समझ में नहीं आती है। यह ऐसा आवश्यक बिल है, इसे तुरन्त पास कर देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) विधेयक, 1972 को जनता की राय जानने हेतु 3 माह के लिये परिचालित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

श्री रामगोपाल सण्ड जी ने तो अपना संशोधन वापस ले लिया है।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) विधेयक, 1972 दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट 1 माह के भीतर दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2

2—जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में,— परिभाषाएं

(क) "निगमित प्राधिकरण" का तात्पर्य इस धारा के खण्ड (ङ) में अभिदिष्ट किसी कम्पनी, स्थानीय प्राधिकरण, निगम या सोसाइटी से है;

(ख) "भू-गृहादि" का तात्पर्य किसी भूमि (जिसके अन्तर्गत कोई वन भूमि या उस पर लगे हुए वृक्ष, अथवा जलाच्छादित भूमि, या राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित कोई सड़क अथवा ऐसी सड़क से संलग्न भूमि भी है), या किसी भवन अथवा किसी भवन के भाग से है, और इसके अन्तर्गत,—

(1) उक्त भवन या भवन के भाग के अनुलग्न उद्यान, मैदान तथा वाह्य-गृह, यदि कोई हो, भी हैं, और

(2) उक्त भवन या उसके भाग में उसके और अधिक लाभकारी उपयोग के लिये लगाये गये कोई फिटिंग्स या फिक्चर्स अथवा उसके लिए दिया गया कोई फर्नीचर भी है;

किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी भूमि नहीं है जो यूनाइटेड प्राविसेंज टेनेंसी ऐक्ट, 1939, 1950 ई0 का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956, जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956, कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953, अथवा उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अधीन तत्समय—

(1) किसी गांव सभा अथवा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्ध में निहित हो या सौंपी गई हो, अथवा

(2) किसी खातेदार द्वारा धृत हो;

(ग) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है;

(घ) "विहित प्राधिकारी" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किसी अधिकारी से है;

(ङ) "सार्वजनिक भू-गृहादि" का तात्पर्य किसी ऐसे भू-गृहादि से है जो, राज्य सरकार का हो या उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिया गया या अधिग्रहीत किया गया हो, और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा भू-गृहादि भी है जो—

(1) कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी ऐसी कम्पनी जिसमें कम से कम इक्यावन प्रतिशत दत्त अंश पूंजी राज्य सरकार द्वारा धृत हो; या — 1956 का अधिनियम

(2) किसी स्थानीय प्राधिकरण; या

(3) उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन स्थापित और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी ऐसे निगम (जो कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 3 में यथा-परिभाषित कम्पनी या कोई स्थानीय प्राधिकरण न हो); या

(4) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी, जिसके शाशी निकाय में, सोसाइटी के नियमों या विनियमों के अधीन, पूर्णत: लोक अधिकारी, या राज्य सरकार के नामांकिती, अथवा दोनों हों;

का हो या उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिया गया हो, और इसके अन्तर्गत—

(1) कोई ऐसा भू-गृहादि भी है जो किसी स्थानीय प्राधिकरण को सौंपा गया हो (जिसके अन्तर्गत ऐसे स्थानीय प्राधिकरण को भूमि सौंपे जाने के पश्चात् राज्य सरकार की भूमि पर सरकारी निधियों से बनाया गया कोई भवन भी है);

(2) कोई भू-गृहादि जो भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन राज्य सरकार की सहमति से किसी कम्पनी के लिए (जैसा उक्त अधिनियम में परिभाषित है) अर्जित किया गया हो और उस कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 41 के अधीन निष्पादित ऐसे अनुबन्ध के अधीन धृत हो जिसमें कतिपय दशाओं में राज्य सरकार द्वारा पुन: प्रवेश करने की व्यवस्था हो;

(च) किसी सार्वजनिक भू-गृहादि के सम्बन्ध में, "किराया" का तात्पर्य उक्त भू-गृहादि के प्राधिकृत अध्यासन के लिये निश्चित अन्तरालों में देय प्रतिफल से है, और इसके अन्तर्गत—

(1) भू-गृहादि में अध्यासन करने के सम्बन्ध में बिजली, पानी या किसी अन्य सेवा के लिये अथवा किसी सम्भारित वस्तु के लिए कोई परिव्यय;

(2) भू-गृहादि के सम्बन्ध में देय कोई दर (चाहे उसका कुछ भी नाम हो); भी है, यदि ऐसा परिव्यय या कर राज्य सरकार अथवा निगमित प्राधिकरण द्वारा देय हों;

(छ) किसी सार्वजनिक भू-गृहादि के सम्बन्ध में, "अप्राधिकृत अध्यासन" का तात्पर्य किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसे सार्वजनिक भू-गृहादि का अध्यासन के प्राधिकार के बिना अध्यासन करने से है, और इसके अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक भू-गृहादि पर उस प्राधिकार के (जो चाहे अनुदान के तौर पर हो अथवा अन्तरण की किसी अन्य पद्धति से हो) जिसके अधीन अथवा उस हैसियत के जिसमें उसे भू-गृहादि पर अध्यासन करने की अनुज्ञा दी गई थी, समाप्त हो गया हो अथवा किसी कारण से समाप्त कर दी गई हो, के पश्चात अध्यासन बनाये रखना भी है, और इसके अन्तर्गत धारा 7 की उप-धारा (1) में उल्लिखित परिस्थितियों में अध्यासन बनाये रखना भी है, और किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इस कारण से कि उसने किराये के रूप में किसी धनराशि का भुगतान कर दिया है, यह नहीं समझा जायगा कि उसका अध्यासन प्राधिकृत है।

श्री रूप नाथ सिंह यादव—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 2 के उपखण्ड (ख) की दूसरी पंक्ति में शब्द "अथवा जलाच्छादित भूमि" निकाल दिया जाय और शब्द "राज्य सरकार" और "द्वारा" के बीच में निम्न वाक्य जोड़ दिया जाय—

"या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण,

मैं समझता हूं, मंत्री जी को इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिये। जमींदारी एबालीशन ऐक्ट में भी यह परिभाषा दी हुई है—जो पानी में जमीन है, वह जमीन नहीं होगी। ऐसी जमीन जो पानी में डूबी हुई है, वह जमीन है ही नहीं। इसलिये अगर उस भूमि को भी शामिल करते हैं तो एक अधिनियम जो इस सदन से पास हो चुका है उसके विपरीत होगा। इसलिये इसको तो आप हटा ही लें। दूसरे जो सड़कें सरकारी हैं उनके लिये तो आपने प्राविजन बना दिया लेकिन जो सड़कें स्थानीय निकायों की हैं उनमें भी यह कानून लागू होना चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि इस संशोधन को मानने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, माननीय रूपनाथ जी ने जो कहा उसी से इस बात की आवश्यकता है कि इन शब्दों को रहने दिया जाय, क्योंकि यदि यह शब्द न रहे "जलाच्छादित भूमि" तो ऐसा भी इंटरप्रेटेशन किया जा सकता है जिसमें यह कहा जाय कि यह उससे बाहर रहेगी। शासन की मंशा यह है कि जो हमने रेमेडी मांगी है जलाच्छादित भूमि के लिये वह उपलब्ध रहे। इस लिये जानबूझ कर ये शब्द यहां रखे गये हैं।

दूसरी बात यादव जी ने जो कही वह ठीक थी। लेकिन उसकी यहां आवश्यकता इसलिये नहीं है कि दूसरे संदर्भ में इसको स्वीकार करके इसको कवर कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—

आप वापस लेते हैं ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

वापस नहीं लूंगा। मंत्री जी ने मान ही लिया कि दूसरा वाला संशोधन ठीक है। पानी में डूबी हुई जमीन तो लैण्ड की परिभाषा में आती ही नहीं है इसलिये हमारी आपत्ति वैधानिक है।

श्री उदित नारायण शर्मा—

मैं यह निवेदन कर दूं कि परिभाषा तो वह होती है जो हम तय करते हैं। चूंकि हम यह परिभाषा देना चाहते हैं कि भूमि वह होगी जो जल में डूबी हुई हो इसलिये इसको रख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 के उपखंड (ख) की दूसरी पंक्ति में शब्द "अथवा जलाच्छादित भूमि" निकाल दिया जाय और शब्द "राज्य सरकार और "द्वारा" के बीच में निम्न वाक्य जोड़ दिया जाय—

"या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 3

3—राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा—

विहित प्राधिकारियों की नियुक्ति

(क) ऐसे व्यक्तियों को जो राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी हों अथवा निगमित प्राधिकरण के तत्समान श्रेणी के अधिकारी हों, जिन्हें वह उचित समझे, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ विहित प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगा; और

(ख) ऐसी स्थानीय सीमायें अथवा सार्वजनिक भू-गृहादि की श्रेणियां निर्धारित कर सकती है जिनके भीतर अथवा जिनके सम्बन्ध में विहित प्राधिकारी इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन विहित प्राधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, और उन पर आरोपित कर्त्तव्यों का पालन करेंगे।

श्री हरिनाथ तिवारी—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 के उपखंड (क) में 'राजपत्रित अधिकारी' के बाद 'जो मुंसिफ अथवा उसी तत्समान श्रेणी का हो" जोड़ा जाय तथा "अथवा निगमित प्राधिकरण के तत्समान श्रेणी के अधिकारी हों" निकाल दिया जाय।

जहां पर निगमित अधिकारी के लिये कहा गया है उस डेफिनीशन में जितने भी हों उनके लिये कहा जाता है कि वह राजपत्रित अधिकारी नहीं होंगे और वह प्राइवेट सर्वेन्ट्स हैं। पहले तो राजपत्रित के लिये ही हमको आपत्ति थी कि राजपत्रित में आप तहसीलदार रख देंगे। आपने एविक्शन का सीमाधिकार दिया है मुंसिफ को। यह पूरा का पूरा विधेयक बेदखली का है। आपने इसमें राजपत्रित अधिकारी दे दिया है। कोई तहसीलदार या नायब तहसीलदार जब वह करेगा तो इसमें टाइटिल वगैरह के केसेज इनवाल्व्ड होते हैं। माननीय मंत्री जी इसको मान लें। इसमें बड़ी त्राहि-त्राहि मचेगी। इसलिये माननीय मंत्री जी इसको मानें। इसलिये मुंसिफ वहां मान लें तो अच्छा होगा।

श्री उदित नारायण शर्मा—

मैंने जो पहले उत्तर दिया था इसके बारे में उत्तर दे दिया है। यह हमको मान्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 के उपखण्ड (क) में "राजपत्रित अधिकारी" के बाद "जो मुंसिफ अथवा उसी तत्समान श्रेणी का हो" जोड़ा जाय तथा 'अथवा निगमित प्राधिकरण के तत्समान श्रेणी के अधिकारी हों" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 4

बेदखली के आदेश के विरुद्ध कारण बताने का नोटिस जारी करना

4—(1) यदि विहित प्राधिकारी की स्वयं अथवा राज्य सरकार या निगमित प्राधिकरण की ओर से प्राप्त आवेदन-पत्र या प्रतिवेदन पर, यह राय हो कि किन्ही व्यक्तियों का किन्हीं सरकारी भू-गृहादि पर अप्राधिकृत अध्यासन है, और उन्हें बेदखल किया जाना चाहिये, तो विहित प्राधिकारी एतद्पश्चात् उपबन्धित रीत से एक लिखित नोटिस जारी करेगा जिसमें ऐसे सभी सम्बन्धित व्यक्तियों से यह कारण बताने को कहा जायगा कि बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाय।

(2) नोटिस में—

(क) वे आधार बताये जायेंगे जिन पर बेदखली का आदेश देने का प्रस्ताव हो; और

(ख) सभी सम्बन्धित व्यक्तियों से अर्थात्, उन सभी व्यक्तियों से जो सार्वजनिक भू-गृहादि का अध्यासन कर रहे हैं या कर रहे हों, अथवा जो उनमें हित का दावा करें, प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व, जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जाये, और जो उसके जारी किये जाने के दिनांक से दस दिन से पूर्व का न हो, कारण बताने की, यदि कोई हो, अपेक्षा की जायेगी ।

(3) विहित प्राधिकारी उस नोटिस को सार्वजनिक भू-गृहादि के बाहरी दरवाजे अथवा उसके किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर लगा कर और किसी अन्य रीति से, यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे, उसकी तामील करायेगा, और तदुपरान्त यह समझा जायगा कि उक्त नोटिस सभी संबद्ध व्यक्तियों को यथाविधि दे दी गई है ।

(4) यदि विहित प्राधिकारी यह जनाता हो अथवा उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि किन्हीं व्यक्तियों का सार्वजनिक भू-गृहादि पर अध्यासन है, तो उप-धारा (3) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह नोटिस की एक प्रति प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर डाक द्वारा या उस व्यक्ति को प्रदान करके अथवा प्रस्तुत करके या ऐसी अन्य रीति से , जो विहित की जाय, तामील करायेगा ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 4(1) की दूसरी पंक्ति में शब्द "किन्हीं" के बाद वाला शब्द "सरकारी" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर शब्द "सार्वजनिक" लिख दिया जाय ।

इसमें माननीय मंत्री जी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये । मालूम होता है कि जो पुराना अधिनियम था उसमें शब्द सरकारी था आपने यहां पर उसको सार्वनिक बनाया है । तो सार्वजनिक शब्द होना चाहिये । आपने परिभाषा में कह दिया है—"सार्वजनिक भू-गृहादि का तात्पर्य किसी ऐसे भू-गृहादि से है" . . . आपने केवल सरकारी जमीन के लिये कह दिया, सार्वजनिक जमीन के लिये कौन दफा लागू होगी ? इसकी मंशा उलट जायेगी । इसलिये माननीय मंत्री जी मान लें ।

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, यह संशोधन स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 4(1) की दूसरी पंक्ति में शब्द "किन्हीं" के बाद वाला शब्द "सरकारी" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर शब्द "सार्वजनिक" लिख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हरिनाथ तिवारी—

माननीय अध्यक्ष जी, संशोधन है—खण्ड 4 के उपखण्ड (2) (ख) में शब्द "जारी" के स्थान पर शब्द "प्राप्त" रख दिया जाय और शब्द "दस" के स्थान पर शब्द "तीस" रख दिया जाय ।

[श्री हरिनाथ तिवारी]

अभी माननीय मंत्री जी बताया कि वहां जारी होने का मतलब दूसरा है । अब माननीय मंत्री जी ने मानना शुरू कर दिया है । इसको भी मान लें । आप पढ़ लें—"जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जाय, और जो उसके बाद जारी किये जाने के दिनांक से दस दिन के पूर्व का न हो" तारीख जारी होने की लिखी है, दस दिन जारी होने के बाद, दफ्तर में कहां समय मिलेगा, वह कारण बतायेगा । इसलिये "जारी" के स्थान पर "प्राप्त" रख दिया जाय और "दस" के स्थान पर "तीस" रख दिया जाय ।

श्री उदित नारायण शर्मा—

यह संभव नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 4 के उपखंड 2(ख) में शब्द "जारी" के स्थन पर शब्द "प्राप्त" रख दिया जाय और शब्द "दस" के स्थान पर शब्द "तीस" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 4 के उपखंड (2) के भाग (ख) की चौथी पंक्ति में शब्द "दस" के बजाय "तीस" रख दिया जाय । पंजाब में यह कानून था और वहां सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर उसको खारिज कर दिया था कि कानून बहुत ही आब्रिट्रेरी तथा समरीली नहीं होना चाहिये । ऐसा न हो कि यह अवैध हो जाय । इसलिये 1 महीने का नोटिस होना आवश्यक है ।

श्री उदित नारायण शर्मा—

इसमें थोड़ा सा भ्रम हो रहा है । दस दिन का जो समय दिया गया है यह न्यूनतम अवधि है, उससे अधिक जितनी भी अवधि वह चाहें दे सकते हैं । इससे किसी के अधिकारों का हनन भी इसलिये नहीं होता है कि यह दस दिन का समय इसलिये देते हैं कि वह उज्र-दारी करेंगे, उसमें निर्णय होने वाला नहीं है । इसलिये दस दिन का समय रखा गया है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (2) के भाग (ख) की चौथी पंक्ति में शब्द "दस" के बजाय "तीस" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 4 का उपखंड (3) निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित लिख दिया जाय:—

"विहित प्राधिकारी उस नोटिस को उन सभी संबंधित व्यक्तियों पर व्यक्तिगत रूप से अथवा सार्वजनिक भू-गृहादि के बाहरी दरवाजे या उसके किसी अन्य सहज दृश्य भाग पर लगा कर और किसी अन्य रीति से जैसा कि जाब्ता दीवानी में उल्लिखित है तामील करायेगा।"

मान्यवर, यह जरूरी है । विधेयक में आप देखेंगे एक दम से शुरू में कह दिया कि पर्सनल सर्विस की कोई जरूरत नहीं है । हम किसी के मकान के दरवाजे पर चिपका देंगे और वह नोटिस मान लिया जायगा । इसमें बहुत अन्याय होने की संभावना है । हर ऐक्ट में चाहे सेंटर का हो अथवा प्रादेशिक हो पहले व्यक्तिगत सर्विस नोटिस की जाती है। मेरा निवेदन है कि यह संशोधन मान लिया जायगा ।

श्री उदित नारायण शर्मा—

जिस रूप में पहले यह आया था उसमें भी नियमों में पर्सनल सर्विस का स्थान दिया जा रहा था । उनका कहना सही है कि सबसे पहले जो सर्विस की जाय वह पर्सनल सर्विस होनी चाहिये ।

श्रीमन्, मुझे उनका संशोधन स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 4 का उपखंड (3) निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित लिख दिया जाय–

"विहित प्राधिकारी उस नोटिस को उन सभी संबंधित व्यक्तियों पर व्यक्तिगत रूप से अथवा सार्वजनिक भू-गृहादि के बाहरी दरवाजे या उसके किसी अन्य सहज दृश्य भाग पर लगा कर और किसी अन्य रीति से जैसा कि जाब्ता दीवानी में उल्लिखित है, तामील करायेगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हरिनाथ तिवारी—

माननीय अध्यक्ष जी वैसा ही करीब-करीब मेरा संशोधन भी है। उसी के अनुसार मैंने भी रखा है कि आपका जो खंड 4 का उपखंड (3) है उसके स्थान पर खंड 4 हो जाय और खंड 3 के स्थान पर खंड 4 हो जाय। इससे आपके प्रारूप में भी किसी प्रकार का अन्तर नहीं पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष—

आप पहले अपना संशोधन पढ़ दें।

श्री हरिनाथ तिवारी—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 4 (3) में कुल इबारत निकाल दी जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दी जाय—

"यदि विहित अधिकारी यह जानता हो अथवा उसको विश्वास हो कि किन्हीं व्यक्तियों का सार्वजनिक भू-गृहादि पर अध्यासन है तो वह नोटिस की एक प्रति प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर डाक द्वारा या उस व्यक्ति को प्रदान करके अथवा प्रस्तुत करके या ऐसी अन्य रीति से जो विहित की जाय तामील करायेगा ।"

खंड 4 (4) में कुल इबारत निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"यदि विहित अधिकारी विहित भांति सूचना खंड 3 के अनुसार न करा पावे तो विहित अधिकारी नोटिस को सार्वजनिक भू-गृहादि के बाहरी दरवाजे अथवा उसके किसी अन्य सहज दृश्य भाग पर लगाकर और किसी अन्य रीति से यदि कोई हो जिसे वह उचित समझे उसकी तामील करायेगा और तदुपरान्त यह समझा जायेगा कि उक्त नोटिस की तामील यथाविधि हो गई।" तो भाषा इसकी शुद्ध रखी गई है। किन्तु वह उल्टा हो गया है और सही रूप में रखा गया है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे मान लेंगे।

श्री हिम्मत सिंह—

इसमें सीधे-सीधे यह था कि उसकी तामील खंड 3 में रख दी गई थी तो उसमें ऐसा हो सकता है कि वह 10–15 दिन के लिये बाहर गया हो इसलिये खण्ड 4 में रखा गया है । इसलिये माननीय मन्त्री जी को माननीय तिवारी जी की बात को मान लेना चाहिये ।

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, इसकी आवश्यकता नहीं है। यह हमें मान्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 4(3) में कुल इबारत निकाल दी जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दी जाय—

"यदि विहित अधिकारी यह जानता हो अथवा उसको विश्वास हो कि किन्हीं व्यक्तियों का सार्वजनिक भू-गृहादि पर अध्यासन है तो वह नोटिस की एक प्रति प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर डाक द्वारा या उस व्यक्ति को प्रदान करके अथवा प्रस्तुत करके या ऐसी अन्य रीति से जो विहित की जाय तामील करायेगा।"

खण्ड 4(4) में कुल इबारत निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"यदि विहित अधिकारी विहित भांति सूचना खंड 3 के अनुसार न करा पावे तो विहित अधिकारी नोटिस को सार्वजनिक भू-गृहादि के बाहरी दरवाजे अथवा उसके किसी अन्य सहज दृश्य भाग पर लगाकर और किसी अन्य रीति से यदि कोई हो जिसे वह उचित समझे उसकी तामील करायेगा और तदुपरान्त यह समझा जायगा कि उक्त नोटिस की तामील यथाविधि हो गई।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर हाथ उठा कर अस्वीकृत हुआ।)

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 4 के उपखंड (4) में शब्द "अध्यासन" के पहले और शब्द "भू-गृहादि पर" के बाद शब्द "अप्राधिकृत" जोड़ दिया जाय और तीसरी पंक्ति में शब्द "डाक" के पहले शब्द "रजिस्ट्री" जोड़ दिया जाय।

यह बिल्कुल शाब्दिक संशोधन है। माननीय मन्त्री जी को कोई आपत्ति नहीं होगी। क्योंकि जहां आपने कहा है "सार्वजनिक भू-गृहादि" पर अध्यासन है तो उसमें "अप्राधिकृत" और होना चाहिये, यह भूल हो गयी है। इसी तरह से "डाक" के पहले "रजिस्ट्री" होना आवश्यक है।

श्री उदित नारायण शर्मा—

रजिस्ट्री वाली बात तो आपकी मान्य है, "रजिस्ट्री" कर दिया जाय, लेकिन पहली बात इसलिये मान्य नहीं है कि उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि किस जगह पर ये शब्द आये हैं वहां पर हैं जहां हमने यह कहा है कि यह आदमी का अनधिकृत कब्जा है। यदि उसके अलावा कोई दूसरा आदमी भी कब्जा किये तो उसको भी अधिकृत नहीं कहा जा सकता, वरना दिक्कत में पड़ जायेंगे। इसलिये उसको वहां पर नहीं रहना चाहिये। दूसरा जरूरी है।

श्री अध्यक्ष—

एक रामलाल भाई जी का भी है इसी प्रकार का।

श्री वंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

रामलाल भाई नहीं हैं।

श्री शिवप्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली)—

मैं तो हूं, साथ में मेरा भी नाम है। मैं पेश किये देता हूं कि खंड 4 के उपखंड (4) की तीसरी पंक्ति में शब्द "डाक" के पहले शब्द "रजिस्ट्री" जोड़ दिया जाय।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

इसमें आप का यह मतलब है कि प्राधिकारी जानता हो या उसे विश्वास करने का कारण हो कि किन्हीं व्यक्तियों का अध्यासन है। तो अगर अध्यासन है तब तो आप उसको नोटिस दे ही नहीं सकते, वह इल्लीगल होगा, तभी नोटिस देंगे और ऐक्शन लेंगे अगर अनधिकृत कब्जा है। अधिकृत वाले को कैसे निकालेंगे। इसलिये शब्द "अप्राधिकृत" रहना आवश्यक है।

श्री उदित नारायण शर्मा—

मैंने निवेदन कर दिया कि वह मुझे स्वीकार नहीं है। उसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं रूपनाथ सिंह जी के संशोधन को दो अंशों में लिये लेता हूं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 के उपखण्ड (4) में शब्द "अध्यासन" के पहले और शब्द "भू-गृहादि पर" के बाद शब्द "अप्राधिकृत" जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

अब मैं रूपनाथ सिंह जी के संशोधन के दूसरे अंश को लेता हूं साथ में श्री शिवप्रसाद पांडिया का है, जो उसी प्रकार का है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 के उपखण्ड (4) की तीसरी पंक्ति में शब्द "डाक" के पहले शब्द "रजिस्ट्री" जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 4 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 5 और 6

अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली

5—(1) यदि धारा 4 के अधीन नोटिस के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा बताये गये कारण पर, यदि कोई हो, और किसी ऐसे साक्ष्य पर, जिसे वह उसके समर्थन में प्रस्तुत करे, विचार करने के पश्चात् तथा उसे सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात्, विहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि सार्वजनिक भू-गृहादि पर अप्राधिकृत अध्यासन है, तो विहित प्राधिकारी बेदखली का आदेश दे सकेगा जिसमें उसके कारण अभिलिखित किये जायंगे और यह निदेश होगा कि उन सार्वजनिक भू-गृहादि को उन सभी व्यक्तियों द्वारा, जिनका उस पर या उसके किसी भाग पर अध्यासन हो, ऐसे दिनांक को, जो आदेश में निर्दिष्ट किया जाय, खाली कर दिया जायगा, और उस आदेश की एक प्रति उस सार्वजनिक भू-गृहादि के बाहरी दरवाजे या उसके किसी अन्य सहज दृश्य भाग पर लगवाएगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति बेदखली के आदेश का, उपधारा (1) के अधीन उसके प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन के भीतर, अनुपालन करने से इन्कार करे या अनुपालन न करे, तो विहित प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा तदर्थ यथाविधि

प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उक्त व्यक्ति को उस सार्वजनिक भू-गृहादि से बेदखल कर सकेगा और उन पर कब्जा ले सकेगा, और उस प्रयोजन के लिये इतने बल का प्रयोग कर सकेगा, जितना आवश्यक हो ।

सार्वजनि भू-गृहादि पर अप्राधिकृत अध्यासियों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति का निस्तारण

6—(1) यदि कोई व्यक्ति धारा 5 के अधीन किन्हीं सार्वजनिक भू-गृहादि से बेदखल कर दिया गया हो, तो विहित प्राधिकारी उन व्यक्तियों को, जिनके कब्जे से सार्वजनिक भू-गृहादि को लिया गया हो, कम से कम चौदह दिन का नोटिस देने के पश्चात् और उस नोटिस को कम से कम एक ऐसे समाचार-पत्र में जिसका उस परिक्षेत्र में परिचालन हो, प्रकाशित करने के पश्चात् उन भू-गृहादि पर रह गई किसी सम्पत्ति को, जिसके अन्तर्गत गिराये गये किसी भवन का मलवा अथवा एकत्रित न की गई कोई फसल या फलों के वृक्ष भी हैं, हटा सकेगा या हटवा सकेगा अथवा सार्वजनिक नीलाम द्वारा उसका निस्तारण कर सकेगा ।

(2) यदि कोई सम्पत्ति उपधारा (1) के अधीन बेची जाय, तो उसके विक्रय-आगम का, उसमें से विक्रय व्यय और राज्य सरकार या निगमित प्राधिकारण को बकाया किराया, क्षतिपूर्ति या व्यय के मद्दे देय धनराशि, यदि कोई हो, काटने के पश्चात भुगतान ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को किया जायगा जो विहित प्राधिकारी को उसे पाने के हकदार प्रतीत हों :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि विहित प्राधिकारी यह विनिश्चय करने में असमर्थ हो कि किस व्यक्ति या किन व्यक्तियों को शेष धनराशि देय है अथवा उसका किस प्रकार अभिभाजन किया जाय, तो वह ऐसे विवाद को सक्षम अधिकारिता युक्त सिविल न्यायालय को अभिदिष्ट कर सकेगा और उस पर उस न्यायालय का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

श्री हरिनाथ तिवारी—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 5 के उपखण्ड (2) की अन्तिम 2 पंक्तियों में से "और उस प्रयोजन के लिये. . .आवश्यक हो" निकाल दिया जाय ।

इसमें यह है कि उक्त प्रयोजन के लिये उतने बल का प्रयोग कर सकेगा जितना आवश्यक हो । मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो बेदखली के एक्यूजीशन का कानून है उसमें मन्त्री जी डंडे का राज्य कायम करना चाहते हैं । वे लोग बिना कहे ही बल का प्रयोग करते हैं । अगर इसमें बल प्रयोग करने की बात कह दी गई तो अनर्थ हो सकता है । मैं समझता हूं कि बेदखली के तरीके को अपनाया जाय और डण्डे का इस्तेमाल न किया जाय । मन्त्री जी इसको मानें नहीं तो बड़ी-बड़ी दुर्घटनायें हो सकती हैं ।

श्री उदित नारायण शर्मा—

मैंने आरम्भ में ही कह दिया कि यह सम्भव नहीं है । इसको मैं नहीं मान सकता ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 के उपखण्ड (2) की अन्तिम 2 पंक्तियों में से "और उस प्रयोजन के लिये. . .आवश्यक हो" निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 और 6 इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 7

सार्वजनिक भू-गृहादि के संबंध में किराया या क्षतिपूर्ति का भुगतान कराने का अधिकार

7—(1) यदि किसी व्यक्ति पर किन्हीं सार्वजनिक भू-गृहादि के संबंध में देय किराया बकाया हो, तो विहित प्राधिकारी आदेश द्वारा, उस व्यक्ति से ऐसे समय के भीतर और ऐसी किस्तों में, जो आदेश में निर्दिष्ट की जायं, बकाये का भुगतान करने की अपेक्षा कर सकेगा, और उस व्यक्ति द्वारा उसका अथवा उसकी किसी किस्त का भुगतान न करने पर यह समझा जायगा कि सार्वजनिक भू-गृहादि पर उसका अप्राधिकृत अध्यासन है ।

(2) यदि किसी व्यक्ति का किन्हीं सार्वजनिक भू-गृहादि पर अप्राधिकृत अध्यासन है अथवा किसी समय रहा हो, तो विहित प्राधिकारी क्षतिपूर्ति निर्धारण करने के उन सिद्धान्तों का ध्यान रखते हुए, जो विहित किये जायं, ऐसे भू-गृहादि के प्रयोग तथा अध्यासन के लेखे क्षति की धनराशि का निर्धारण कर सकेगा और, आदेश द्वारा, उस व्यक्ति से ऐसे समय के भीतर और ऐसी किस्तों में, जो आदेश में निर्दिष्ट की जायं, उस धनराशि के भुगतान करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(3) किसी व्यक्ति के विरुद्ध उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि उस व्यक्ति को ऐसी लिखित नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् जिसमें उससे ऐसे समय के भीतर, जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जाय, यह कारण बताने को न कहा गया हो कि ऐसा आदेश क्यों न दिया जाय, और जब तक कि उसकी आपत्तियों पर, यदि कोई हों, और किसी साक्ष्य पर, जिसे वह उनके समर्थन में प्रस्तुत करे, विहित प्राधिकारी द्वारा विचार न कर लिया जाय ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 7 की पहली पंक्ति में शब्द "किराया" के बाद शब्द "4 माह का" जोड़ दिया जाय ।

खण्ड 7 उस समय तक पूरा नहीं होगा जब तक यह नहीं होगा कि कितने महीने का किराया बाकी हो । इसमें कम से कम रीजनेबिल समय होना चाहिए तब नालिश हो । रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट में 4 महीने का है । यदि यह नहीं होगा तो एक दिन का भी किराया बाकी होगा तो मुकदमा दायर कर दिया जायेगा ।

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 की पहली पंक्ति में शब्द "किराया" के बाद शब्द "4 माह का" जोड़ दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हरिनाथ तिवारी—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 7 के उपखन्ड (3) में "जारी किये जाने" के बाद व "के पश्चात्" के पहले "तथा तामील होने" बढ़ा दिया जाय ।

इस खण्ड में जारी होने की बात कही गई है लेकिन तामील हुआ या नहीं इस का पता नहीं चलता है । इसलिए इसका प्रयोग आवश्यक है ।

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, इसकी आवश्यकता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 के उपखण्ड (3) में "जारी किये जाने" के बाद व "के पश्चात्" के पहले "तथा तामील होने" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 7 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 8

विहित प्राधिकारी के अधिकार

8—निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने या किसी अपील की सुनवाई करने के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी तथा अपील अधिकारी को वे शक्तियां प्राप्त होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वाद का विचार ण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती है, अर्थात्— 1908 का अधिनियम 5

(क) किसी व्यक्ति का समन करना और उसे हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेज का प्रकटीकरण और उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय।

श्री हरिनाथ तिवारी—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 8 में "अर्थात्" से उपखन्ड (क), (ख), (ग) तक निकाल दिया जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, यह राजपत्रित अधिकारी क्यों न हों कैसे फैसला करे मुकदमे का इसके नियम हैं, सी० पी० सी० में सारे नियम दिये हैं। आपने सी० पी० सी० का तीन चीज के लिये दिया है। हमारा कहना यह है कि सी० पी० सी० में जो नियम बने हुए हैं उनके अनुसार होना चाहिए। उसके प्रोसीजर के अनुसार होना चाहिये वरना यह तो जंगल राज हो जायगा। किसी पर कोई नियन्त्रण नहीं रहेगा। इसके लिये आप सी० पी० सी० को मान्य रखें।

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं इसको स्वीकार नहीं करता।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 में "अर्थात्" से उपखण्ड (क), (ख), (ग) तक निकाल जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

श्रीमन, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 8 की दूसरी पंक्ति में शब्द "अपील अधिकारी" के बाद शब्द "निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में" बढ़ा दिये जायं।

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, मुझे यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 की दूसरी पंक्ति में शब्द "अपील अधिकारी" के बाद शब्द "निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 8 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 9 से 12

अपील

9—(1) धारा 5 या धारा 7 के अधीन किन्हीं सार्वजनिक भू-गृहादि के सम्बन्ध में विहित प्राधिकारी के प्रत्येक आदेश की अपील, अपील अधिकारी को होगी, जो उस जिले का जिसमें सार्वजनिक भू-गृहादि स्थित हों जिला न्यायाधीश अथवा ऐसा न्यायिक अधिकारी होगा, जो सिविल न्यायाधीश के पद से कम न हो, जिसे जिला न्यायाधीश तदर्थ पदाभिहित करे।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील— —

(क) धारा 5 के अधीन किसी आदेश से अपील की दशा में, उस धारा की उपधारा (1) के अधीन उस आदेश के प्रकाशन के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर, और

(ख) धारा 7 के अधीन किसी आदेश से अपील की दशा में, उस दिनांक से जब अपीलार्थी को आदेश संसूचित किया जाय, पन्द्रह दिन के भीतर की जायगी:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अपील अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि अपीलार्थी पर्याप्त कारण से नियत समय के भीतर अपील निवेशित नहीं कर सका तो वह अपील को पन्द्रह दिन की उक्त कालावधि के पश्चात् भी ग्रहण कर सकेगा।

(3) यदि विहित प्राधिकारी के किसी आदेश से अपील की जाती है तो अपील अधिकारी उस आदेश का प्रवर्तन ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझे, रोक सकेगा।

(4) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील अपील अधिकारी द्वारा यथाशक्य शीघ्र निपटाई जायेगी।

(5) इस धारा के अधीन किसी अपील के खर्चे अपील अधिकारी के विवेकाधीन होंगे।

(6) जिला न्यायाधीश उपधारा (1) के अभिदिष्ट किसी न्यायिक अधिकारी के समक्ष विचाराधीन किसी अपील को वापस ले सकता है और या तो उसका निस्तारण स्वयं कर सकता है या उसका अन्तरण उक्त उप-धारा में अभिदिष्ट किसी अन्य न्यायिक अधिकारी को कर सकता है।

आदेशों की अन्तिमता

10—इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबन्धित व्यवस्था को छोड़ कर, इस अधिनियम के अधीन विहित प्राधिकारी या अपील अधिकारी द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी मूल वाद, आवेदन-पत्र या निष्पादन कार्यवाही में आपत्ति नहीं की जा सकेगी और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई भी आदेश नहीं दिया जायगा ।

अपराध तथा शास्ति

11—(1) यदि कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किन्हीं सार्वजनिक भू-गृहादि से बेदखल किया गया हो, उन भू-गृहादि पर फिर से अध्यासन, ऐसे अध्यासन के लिए बिना किसी प्राधिकार के, कर लें, तो वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा ।

(2) कोई मजिस्ट्रेट जो उप-धारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराये उस व्यक्ति को सरसरी तौर से बेदखल करने का आदेश दे सकेगा और किसी अन्य कार्यवाही पर, जो उसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह व्यक्ति इस प्रकार बेदखल किये जाने का भागी होगा ।

सूचना प्राप्त करने का अधिकार

12—यदि विहित प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किन्हीं व्यक्तियों का किन्हीं सार्वजनिक भू-गृहादि पर अप्राधिकृत अध्यासन है, तो विहित प्राधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उन व्यक्तियों या किसी अन्य व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकता है कि उन व्यक्तियों के जिनका उक्त सार्वजनिक भू-गृहादि पर अध्यासन हो, नामों तथा अन्य ब्योरों के सम्बन्ध में सूचना प्रस्तुत करें और प्रत्येक व्यक्ति, जिससे ऐसी अपेक्षा की गयी हो, ऐसी सूचना जो उसके पास हो, देने के लिये बाध्य होगा ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 9 (2) के उपखंड (ख) में "पन्द्रह" के स्थान पर "तीस" रख दिया जाय तथा प्रतिबन्ध में भी "पन्द्रह" के स्थान पर "तीस" रख दिया जाय।

मान्यवर, हर अधिनियम में अपील की मियाद 30 दिन हुआ करती है लेकिन यहां पर केवल 15 दिन रख दिया गया है। यह बहुत कम है। एग्रीब्ड पार्टी को कम से कम 30 दिन का मौका तो मिलना ही चाहिए।

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, इसमें हमारी सारी मंशा ही जल्दी करने की है इसलिए अधिक इन्तजार नहीं कर सकेंगे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 (2) के उपखण्ड (ख) में "पन्द्रह" के स्थान पर "तीस" रख दिया जाय तथा प्रतिबन्ध में भी "पन्द्रह" के स्थान पर "तीस" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 9 के उपखण्ड (3) के आगे निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जाय—"और अपील करने की मियाद तक उक्त आदेश का इजराय विहित अधिकारी द्वारा नहीं किया जायगा।"

मान्यवर, अगर उसको नकल मिलने में देर हो गयी और इसी बीच विहित अधिकारी ने उसको बेदखल कर दिया तो यह उसके प्रति हैरेसमेंट हो जायगा। उस समय तक बेदखली की कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए जब तक उसको नकल न मिल जाय। अगर ऐसा नहीं होगा तो घोर अन्याय हो जायगा।

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, हमने इसमें यह प्राविधान किया है कि अगर अपील कोर्ट चाहे तो उसको मुलतवी कर सकती है। इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 9 के उपखंड (3) के आगे निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिये जाय—

"और अपील करने की मियाद तक उक्त आदेश का इजराय विहित अधिकारी द्वारा नहीं किया जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 9, 10, 11 व 12 इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खन्ड 13 से 19

दायादों तथा विधिक प्रतिनिधियों के दायित्व

13—(1) यदि किसी व्यक्ति की, जिसके विरुद्ध बकाया किराये के अवधारण के लिये अथवा क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिये कोई कार्यवाही की जानी हो अथवा की गयी हो, उस कार्यवाही के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो जाय, तो कार्यवाही उस व्यक्ति के वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध की जा सकेगी, या यथास्थिति, जारी रखी जा सकेगी।

(2) किसी व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार या निगमित प्राधिकरण को देय धनराशि, चाहे वह बकाया किराये या क्षतिपूर्ति अथवा व्यय के रूप में हो, का भुगतान, उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात्, उसके वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों द्वारा किया जायगा, किन्तु उनका दायित्व मृतक की परिसम्पत्तियों, जो उनको प्राप्त हुई हों और जिनका यथाविधि निस्तारण न किया गया हो, के परिमाण तक ही सीमित होगा।

मालगुजारी की बकाया के रूप में किराये आदि की वसूली

14—यदि कोई व्यक्ति, धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन देय बकाया किराये या उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन देय क्षति की धनराशि अथवा धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन राज्य सरकार या निगमित प्राधिकरण को दिलाये गये खर्चे अथवा ऐसे किराये, क्षति की धनराशि या खर्चे के किसी भाग का, उससे संबंधित आदेश में निर्दिष्ट समय के भीतर, यदि कोई हो, भुगतान करने से इनकार करे या भुगतान न करे तो विहित प्राधिकारी कलेक्टर को देय धनराशि के बारे में एक प्रमाण पत्र-जारी कर सकेगा, जो मालगुजारी की बकाया के रूप में उसकी वसूली के लिये कार्यवाही करेगा।

अधिकारिता का वर्जन

15—किसी ऐसे व्यक्ति की बेदखली के सम्बन्ध में, जिसका किन्हीं सार्वजनिक भू-गृहादि पर अप्राधिकृत अध्यासन है, या धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन देय बकाया किराये अथवा उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन देय क्षतिपूर्ति या धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन राज्य सरकार अथवा निगमित प्राधिकरण को दिलाये गये व्यय या ऐसे किराये, क्षतिपूर्ति अथवा व्यय के किसी भाग की वसूली के सम्बन्ध में किसी वाद या कार्यवाही को ग्रहण करने की अधिकारिता किसी न्यायालय को नहीं होगी ।

सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

16—राज्य सरकार या निगमित प्राधिकरण या अपील अधिकारी या विहित प्राधिकारी के विरुद्ध ऐसी किसी भी बात के सम्बन्ध में जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम अथवा दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावना से की गयी हो या की जाने के लिये आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

सरकार या निगमित प्राधिकरण एक पक्ष होगा

17—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रत्येक कार्यवाही में, यथास्थिति, राज्य सरकार या निगमित प्राधिकरण एक पक्ष होगा ।

(2) विशेषतया, और उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, राज्य सरकार या निगमित प्राधिकरण को साक्ष्य प्रस्तुत करने और साक्षियों का प्रतिपरीक्षण करने, और विहित प्राधिकारी के ऐसे आदेश के विरुद्ध, जिसमें धारा 5 के अधीन बेदखली का आदेश देने से इनकार किया गया हो या जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा किराया अथवा क्षति की धनराशि के भुगतान कराये जाने के लिये धारा 7 के अधीन इनकार किया गया हो, धारा 9 के अधीन अपील करने, का अधिकार होगा ।

नियम बनाने की शक्ति

18—(1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(2) विशेषतया, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकेगी, अर्थात्—

(क) इस अधिनियम के अधीन दी जाने के लिये अपेक्षित या प्राधिकृत किसी नोटिस का प्रपत्र और वह रीति जिसमें उसकी तामील की जा सकेगी;

(ख) इस अधिनियम के अधीन जांच करना;

(ग) विहित प्राधिकारियों में कार्य का वितरण और आवंटन और एक विहित प्राधिकारी के समक्ष लम्बित किसी कार्यवाही का दूसरे विहित प्राधिकारी को अंतरण;

(घ) सार्वजनिक भू-गृहादि पर कब्जा लेने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ङ) वह रीति जिसमें अप्राधिकृत अध्यासन के लिये क्षति की धनराशि निर्धारित की जा सकेगी और वे सिद्धान्त जिनका ऐसी क्षतिपूर्ति का निर्धारण करने में ध्यान रखा जायगा;

(च) वह रीति जिसमें अपीलें की जा सकेंगी और अपीलों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(छ) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना हो या जिसे विहित किया जाय ।

(3)—इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, कुल चौदह दिन की कालावधि की लिए ,जो एक सत्र या दो आनुक्रमिक सत्रों में पूर्ण हो सकती है, रखे जायेंगे , और यदि, उक्त अवधि में दोनों सदन किसी नियम में कोई परिष्कार करने के लिये सहमत हों अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिये, तो तत्पश्चात् वह नियम केवल ऐसे परिष्कृत रूप में प्रभावी होगा अथवा प्रभावी नहीं रहेगा, जैसी भी दशा हो, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन उक्त नियम के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

निरसन तथा पारिणामिक संशोधन

19—(1) निम्नलिखित अधिनियमितियां एतद्द्वारा निरस्त की जाती हैं, अर्थात:—

(क) उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) अधिनियम, 1952;

(ख) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानि-पूर्ति की वसूली) अधिनियम, 1959;

(ग) उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था अधिनियम, 1955 की धारायें 9, 19, 21, 23, 24 24—क, 24-ख, 24—ग, 24—घ, 24—ङ 24—च, 25 और 27;

(घ) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 69, 70, 71-क और 72;

(ङ) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 372 की उप-धारा (2);

(च) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1970 की धारा 33, 34 तथा 35;

(2) उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था अधिनियम, 1955 में:—

(क) धारा 7 में शब्द "बेदखली" के स्थान पर शब्द "बेदखली करवाने" रख दिये जायं;

(ख) धारा 22 में, उपधारा (1) में शब्द तथा अंक "अथवा धारा 21 की उपधारा (2)" निकाल दिये जायं;

(ग) धारा 28 में, उपधारा (2) में, खण्ड (छ) में शब्द तथा अंक "अथवा धारा 21 की उपधारा (2)", और खण्ड (झ) निकाल दिये जायं ।

(3) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 में:—

(क) धारा 64 में, उपधारा (1) में, खंण्ड (घ) में शब्द तथा अंक "और अध्याय 7" निकाल दिये जायं;

(ख) धारा 68 का प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जायं;

(ग) धारा 96 की उपधारा (4) निकाल दी जाय ।

(4) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 में, धारा 129–क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

महापालिका के भू-गृहादि के संबंध में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1966 के अध्याय 7 का लागू किया जाना

"129— क–उत्तर प्रदेश आवास एवं परिषद् अधिनियम, 1965 के अध्याय 7 के उपबन्ध किसी ऐसे भू-गृहादि के संबंध में जो महापालिका के हों या उसमें निहित हों अथवा महापालिका द्वारा पट्टे पर लिए गए हों, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त अधिनिम में यथा परिभाषित "परिषद् के भू-गृहादि" के संबंध में लागू होते हों और उसमें परिषद् तथा उक्त अधिनियम के अधीन नियत विषयों के लिए किए गए अभिदेश क्रमशः महापालिका तथा इस अधिनियम के अधीन विहित विषय के लिये किये गये अभिदेश समझे जाएंगे।"

(5) यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 में, धारा 120-ए के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

बोर्ड के भू-गृहादि के संबंध में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1966 के अध्याय 7 का लागू किया किया जाना

"120–ए—उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के अध्याय 7 के उपबन्ध किसी ऐसे भू-गृहादि के सम्बन्ध में, जो बोर्ड के हों या उसमें निहित हों अथवा बोर्ड द्वारा पट्टे पर लिए गये हों, इस ऐक्ट के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त अधिनियम में यथा-पारिभाषित "परिषद् के भू-गृहादि" के संबंध में लागू होंते हों और उसमें परिषद् तथा उक्त अधिनियम के अधीन नियत विषय के लिए किये गये अभिदेश क्रमशः इस ऐक्ट में यथापरिभाषित बोर्ड तथा इस ऐक्ट में नियत विषय के लिए गये अभिदेश समझे जायेंगे।"

(6) यूनाइटेड प्राविन्सेज टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 में—

(क) धारा 57 में, शब्द, अंक तथा अक्षर "और उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के अध्याय 7 जैसा कि वह धारा 95-क के अंतर्गत ट्रस्ट के भू-गृहादि पर लागू है, धारा 95-ए में अभिदिष्ट कृत्यों का संपादन करने के लिये भी," निकाल दिये जांय;

(ख) धारा 95–क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

ट्रस्ट के भू-गृहादि के संबंध में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1966 के अध्याय 7 का लागू किया जाना

"95–क—उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के अध्याय 7 के उपबंध किसी ऐसे भू-गृहादि के संबंध में जो ट्रस्ट के हों या उसमें निहित हों अथवा ट्रस्ट द्वारा पट्टे पर लिए गये हों, इस ऐक्ट के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त अधिनियम में यथापरिभाषित "परिषद् के भू-गृहादि" के संबंध में लागू होते हों और उसमें परिषद् तथा उक्त अधिनियम के अधीन नियत विषय के लिए किये गये अभिदेश क्रमशः ट्रस्ट तथा इस ऐक्ट के अधीन नियत विषय के लिये किये गये अभिदेश समझे जायेंगे।"

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 13 के उपखंड (2) के पश्चात् एक उपखंड (3) निम्न तौर से जोड़ दिया जाय—

"(3) यदि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध बकाया किराया की कार्यवाही उपखंड (1) व (2) के अधीन की जानी हो और वह भारत–पाक युद्ध के किसी शहीद सैनिक अथवा जवान के परिवार का सदस्य हो तो इस धारा की कोई बात उसके लिये मृत्यु के 3 वर्ष के भीतर तक नहीं लागू होगी।"

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है और सरकार को इसे मानने में कोई देरी नहीं करना चाहिए। यह प्राविजन बना रहे हैं कि यदि कोई किरायेदार है और उस पर बकाया है और वह मर जाय तो यह उसके वारिसों से वसूलयाबी कर लगे हम चाहते हैं कि इस मामले में नौजवानों के वारिसों के साथ रियायत की जाय जिनकी वजह से देश को विजय और गौरव प्राप्त हुआ और देश का सिर ऊंचा हुआ है। मुझे आशा है कि मंत्री जी इसे स्वीकार करने के लिये उठ रहे हैं और वह इसको मान लेगें।

श्री उदित नारायण शर्मा—

किसी सैनिक का या शहीद का परिवार कितना बड़ा होगा यह नहीं कहा जा सकता। उसकी आड़ लेकर कितने ही लोग लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे इसलिए यह हमें मान्य नहीं है। जहां तक शहीदों की विधवाओं का संबंध है नियम बनाते समय हम आप की भावनाओं का आदर करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 13 के उपखंड (2) के पश्चात् एक उपखंड (3) निम्न तौर से जोड़ दिया जाय:—

"(3) यदि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध बकाया किराया की कार्यवाही उपखंड (1) व (2) के अधीन की जानी हो और वह भारत-पाक युद्ध के किसी शहीद सैनिक अथवा जवान के परिवार का सदस्य हो तो इस धारा की कोई बात उसके लिए मृत्यु के 3 वर्ष के भीतर तक नहीं लागू होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 20 व 21

वैधीकरण

20—(1) किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, धारा 19 की उपधारा (1) में अभिदिष्ट किन्हीं भी अधिनियमितियों के अधीन (जिन्हें आगे इस धारा में निरस्त अधिनियमितियां कहा गया है) किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही (जिसके अन्तर्गत बनाये गये नियम, दिये गये आदेश, जारी की गयी नोटिसें, आदेशित या निष्पादित बेदखली, निर्धारित क्षति की धनराशि, वसूल किया गया किराया या क्षति की धनराशि या खर्चा और प्रारम्भ की गयी कार्यवाहियां भी हैं) अथवा इस आशय से किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही वैध और प्रभावी समझी जायगी मानों कि इस अधिनियम की धारा 15 के उपबंध आवश्यक परिष्कारों के साथ निरस्त अधिनियमितियों के भाग के

रूप में प्रारम्भ में ही अधिनियमित किये गये थे, और तदनुसार,—

(क) किसी निरस्त अधिनियमिति के अधीन वसूल किये गये किसी किराये या क्षति की धनराशि या खर्चे की वापसी के लिए, यदि ऐसी धनराशि को वापस करने के लिए केवल इस आधार पर दावा किया गया हो कि उक्त निरस्त अधिनियमिति असंवैधानिक तथा शून्य घोषित कर दी गई ह, किसी न्यायालय में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही न तो संधारित की जायगी और न जारी रखी जायगी;

(ख) कोई न्यायालय किसी ऐसी डिक्री या आदेश को, जिसमे किसी निरस्त अधिनियमिति के अधीन वसूल किये गये किराये या क्षति की धनराशि या खर्चे को केवल इस आधार पर वापस करने के लिये आदेश दिया गया हो कि उक्त निरस्त अधिनियमिति असंवैधानिक तथा शून्य घोषित कर दी गयी ह, प्रवृत न करेगा;

(ग) किन्हीं सार्वजनिक भू-गृहादि से किसी अप्राधिकृत अध्यासी को बेदखल करने के लिये या ऐसे भू-गृहादि का अध्यासन करने के निमित्त किराया अथवा क्षति की धनराशि की वसूली के लिये या उपर्युक्त कार्यवाहियों के खर्चे की की वसूली के लिये इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही या अन्य कार्य को केवल इस आधार पर करने से वर्जित न किया जायेगा कि निरस्त अधिनियमिति के अधीन तत्सदृश्य कार्यवाही या अन्य कार्य असंवैधानिक तथा शून्य घोषित कर दिये गये हैं और उक्त आधार पर किसी न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश द्वारा प्रतिषिद्ध कर दिये गये हैं।

(2) किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, और धारा 15 या धारा 19 में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व किसी निरस्त अधिनियमिति के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा धारा 15 में उल्लिखित किसी भी अनुतोष के लिये किसी न्यायालय में संस्थित या आरंभ की गयी तथा प्रारंभ की जाने के लिये आशयित और उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1970 (जिस आगे इस धारा में 1970 का अधिनियम कहा गया है) के प्रारम्भ होने पर या तो प्रारंभिक न्यायालय या किसी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में अथवा ऐसे प्राधिकरण के समक्ष लम्बित वाद या अन्य कार्यवाही का विहित प्राधिकारी को अन्तरण हो जायगा, और तदुपरांत विहित प्राधिकारी इस अधिनियम के संगत उपबंध के अधीन कार्यवाही के रूप में उसका निस्तारण करेगा, और किसी ऐसी कार्यवाही में—

(क) विहित प्राधिकारी उस प्रक्रम से, जहां से उस वाद या कार्यवाही का अन्तरण हो अग्रेतर कार्यवाही कर सकता है और उक्त प्रयोजन के लिये अन्तरण के पूर्व ऐसे वाद या कार्यवाही में जारी किये गये किसी समन या नोटिस, निवेशित लिखित वक्तव्य या उत्तर अथवा प्रस्तुत साक्ष्य को, इस अधिनियम के संगत उपबंध के अधीन अपने द्वारा जारी की गयी नोटिस, या, यथास्थिति, अपने समक्ष बताया गया कारण अथवा प्रस्तुत साक्ष्य मान सकेगा,

(ख) उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) अधिनियम, 1952 की धारा 10 और उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानि पूर्ति की वसूली) अधिनियम, 1959 की धारा 7 का 1970 के अधिनियम द्वारा निरसन किये जाने के पूर्व, उक्त धारा 10 के अधीन जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज) को अथवा उक्त धारा 7 के अधीन सिविल न्यायाधीश (सिविल जज) के समक्ष अभिदिष्ट कोई आपत्ति स्वयं विहित प्राधिकारी द्वारा निर्णीत की जायगी, और उक्त धाराओं के अधीन कोई अभिदेश, वाद या अपील उपशमित हो जायेगी :

प्रतिबंध यह है कि यदि इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व कोई ऐसा अभिदेश, वाद या अपील निर्णीत की जा चुकी है तो विहित प्राधिकारी उस निर्णय के अनुसार कार्य करेगा, जो, धारा 9 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम समझा जायगा ।

21—(1) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई क्रिया इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई क्रिया समझी जायेगी मानों यह अधिनियम 2 मार्च, 1972, को प्रवृत्त हो गया था । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2, 1972

श्री हरिनाथ तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 20 का उपखंड (1) निकाल दिया जाय ।

आप इसको देखें तो यह एक लूट है, वह स्वयं कहते हैं कि जो अधिनियम पहले बना था और उसके जो नियम थे और उसके अंतर्गत जो वसूलियां हुई थीं वह अदालत से नाजायज करार दे दी गई क्योंकि वह अधिनियम निरस्त कर दिया गया । इस तरह से वह सारी वसूलियां भी अनधिकृत हो गई । अब वह चाहते हैं कि इस तरह से अनधिकृत धन जो इन्होंने वसूल कर लिया उसे वापस न करे, यह तो लूट है, अनधिकृत रूप से वसूल किया गया पैसा यह वापस करना नहीं चाहते । इसलिये इसकी आवश्यकता नहीं है, वह पैसा वापस मिलना चाहिए ।

श्री उदित नारायण शर्मा—

बहुत स्पष्ट है कि यह माना नहीं जा सकता ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 20 का उपखंड (1) निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 20 और 21 इस विधेयक के अंग माने जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) विधेयक, 1972

सार्वजनिक भू-गृहादि से अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली करने और तिपय आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) विधेयक, 1972 जैसा कि सदन द्वारा संशोधन हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) विधेयक, 1972 जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) विधेयक, 1972

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

श्रीमन्, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, यह बहुत सीधा सादा सा बिल है और इसको लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि वहां पर जो ठेकेदार और व्यापारी होते थे, उनमें लड़ाई झगड़े होते थे। अब वहां पर इससे बहुत फायदा है इसलिये यह विधेयक लाया गया है। मुझे आशा है माननीय सदस्य इसको स्वीकार कर लेगें।

*श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलंदशहर)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) विधेयक, 1972 को जनमत जानने के लिये 3 माह तक घुमाया जाय।

जैसा माननीय मंत्री जी ने एक लाइन में कह दिया कि ठेकेदारों और व्यापारियों में झगड़े होते थे इसलिए इस बिल को लाया गया लेकिन इसके उद्देश्य और कारणों से ऐसा प्रतीत नहीं

---

†1 अप्रैल, 1972 की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होता है इसमें दिया गया है कि ठेकेदारों के मुनाफे को रोकने के लिये यह बिल लाया गया है। इसलिए इनके एक लाइन के भाषण में और उद्देश्य और कारणों में परस्पर विरोधाभास है। इसमें यह साफ नहीं है कि ठेकेदार जो थे, उत्तर प्रदेश में कहां होते थे, कैसे होते थे? ठेकेदारों ने एक मोनोपोली बना रखी थी और ये सारे ठेकेदार मिल जाते थे और जितना चाहते थे उसी हिसाब से लेते थे और बीड़ी निर्माताओं को अपनी मर्जी से बेचते थे और जो दाम चाहते थे उनसे लेते थे। झांसी और दूसरे क्षेत्र में ऐसे ही लोग ठेके लेते थे जिनके डंडे में जोर होता है। इसलिए माननीय मंत्री जी स्पष्ट रूप से नहीं कह पाये कि क्या पोजिशन है और क्या नहीं है। जो विधेयक है जनता इसको जानना चाहती है, समझना चाहती है कि यह हमारे लिए क्या आ गया है। इसलिये जनता का मत लेने के लिए, इसको 3 महीने के लिए परिचालित किया जाय जिससे इस बिल के बारे में मालूम पड़ जाय कि इसके बारे में जनता की क्या ओपीनियन है।

आगे बिल में कहा गया है कि सरकार किसी क्षेत्र को उतनी इकाइयों में विभाजित कर सकती जितनी वह उचित समझे। किन्तु यह नहीं बताया कि वह यूनिट कितना बड़ा होगा, कैसा होगा, ये सब बातें गोपनीय हैं। माननीय मंत्री जी को यूनिट को अभी से प्रेस्काइब कर देना चाहिए कि कितना बड़ा होगा और कैसा होगा और अभिकर्त्ता की नियुक्ति एक ही यूनिट के लिए एक ही होनी चाहिए। इसके बारे में भी जनता का क्या मत है, यह भी जानने के लिये कि अभिकर्त्ता या सहकारी समितियां बनें और जो प्रौफिट मिले उसको भी इन समितियों को मिल जाना चाहिए।

आगे आपने एक परामर्श समिति भी बनायी है।

(इस समय 3 बजकर 35 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

और मरापर्श समिति को एकमत तय करने का अधिकार दिया गया है लेकिन कौन-सी पत्तियां ठीक हैं या नहीं ठीक है वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उस पर भी अधिकार दिया जाना चाहिये कि वे भी कीमत के तय करने और पत्तियों के सेलेक्शन को भी देखें कि बीड़ी वाकई है या नहीं। माननीय मंत्री ने उस ओर ध्यान नहीं दिया है। मालूम होता है जब विधेयक बनाया है उस वक्त यह रह गया हो।

परामर्श दात्री समिति गठित कौन करेगा। इस समिति में वे लोग होने चाहिये जो इन पत्तियों से कसी प्रकार से संबंधित हों। उनमें गांव सभायें हैं, जंगलात के लोग हैं, किसान भी हैं, सरकार के भी जंगल हैं जसं गांव सभायें हैं और जंगलात के भागों में आते हैं वे चुनकर प्रतिनिधियों के रूप में भेजें। ऐसा न हो कि उसके प्रतिनिधि सरकार अपने ही आप नामीनेट कर दे। वह तो मनमानी होगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि परामर्शदात्री समिति में चुने हुए लोग आयें और उन लोगों का प्रतिनिधित्व नामीनेटेड लोगों से अधिक हो। मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करूंगा। इतना ही नहीं जहां कीमत कम होगी उसमें परामर्शदात्री समिति की राय ली जायेगी। लेकिन क्या आप उसे उचित समझेंगे कि जो बीड़ी निर्माता है उनसे टैन्डर मांग लिये जायं कि पत्तियां किस-किस रेट की हैं। पत्तियों का रेट भी निश्चित हो सकता है। इसमें इतनी राहत है कि जब अधिकारी के पास जायेगा कि यह पत्ती ठीक नहीं है या ठीक है तो वह रिजेक्ट भी कर सकता है। वह पत्ती कहां जायेगी, कैसे जायेगी इसका भी प्राविजन नहीं किया गया है। जो रिजेक्ट पत्ती है जिसका कि मालिक खुले बाजार में बेंच सकता था उसको पूरा अधिकार होना चाहिये। आपका विधेयक इस में खामोश है। यह समझ सोचकर देखना पड़ेगा।

इसके अलावा एक और कठिनाई आ जायेगी। सरकारी अधिकारी कहते हैं कि ये पत्तियां सरकारी जंगल की हैं। ये पत्तियां हमारी हैं। उसमें कोई चारागोई नहीं रक्खी गई है। इसीलिये यह कानून डिफैक्टिव है। इसी को जान लेने के लिये जनमत

[श्री हिम्मत सिंह]

संग्रह के लिये इसको प्रचारित करना चाहिये । हो सकता है कि इससे जो और लोग हैं जो इससे संबंधित हैं उनको राहत मिले । इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको जनमत जानने के लिये यह विधेयक तीन मास के लिये प्रचारित किया जाय।

*श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन पेश करता हूं कि उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) विधेयक, 1972 को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह में दे दें।

मान्यवर, यह विधेयक इतना जल्दी लाया गया है कि हमें यह अवसर नहीं मिला कि इसमें जनता की भावना क्या और हमारे अधिकतर गरीब जनता को समझाते कि यह विधेयक है । मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह तेंदू पत्ता व्यापार, झांसी, बांदा, मिर्जापुर आदि जिलों में होता है। अधिकतर इससे गरीब जनता और मजदूर वर्ग के लोग लाभान्वित होते हैं । पहले ऐसा था कि ठेकेदार लोग ज्यादती करते थे । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यह विधेयक इतनी जल्दी लाया गया है कि हम इससे दुखी है। हम चाहते थे जैसा कि निवेदन किया था कि कल विधेयक को न लिया जाय इसमें जो डेफीनिशन दी गई है उससे संकेत मिलता है यह बहुत डिफेक्टिव है।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्पादन हम करें और उसके मूल्य का निर्धारण अधिकारी करें तो यह तो हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हमें इसकी पूरी छूट होनी चाहिये कि जो हम उत्पादन करें उसका मूल्य भी हम ही निर्धारण करें । इस बिल पर हमारे ऊपर अनेक प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं कि खुले बाजार में हम मार्केट मूल्य पर हम मूल्य प्राप्त नहीं कर सकते और आपके जो अधिकारी होंगे वह मूल्यों का निर्धारण करेंगे । यह न्यायसंगत नहीं होगा । हमें अपने उत्पादन पर बाजार भाव पर मूल्य प्राप्त करने का अधिकार मिलना चाहिये । इस बिल में जो इकाईयों की परिभाषा दी गई है वह अत्यन्त भ्रामक है। इसमें यह नहीं बताया गया है कि किन-किन क्षेत्रों में यह इकाईयां गठित होंगी इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है और ये इकाईयां कितने क्षेत्र-फल में गठित होंगी, उनका क्षेत्रफल क्या होगा। इसको स्पष्ट किया जाय। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मिर्जापुर जिले के समीपस्थ जो इलाका है वहमध्य प्रदेश का है। वहां से लोग उन पत्तों को लेकर यहां आते हैं । नतीजा यह होता है कि वहां नाना प्रकार के झगड़े और मर्डर होते हैं । आप चाहें तो इसका पता लगा सकते है । मैं चाहता था कि यह जो कहा जाता है कि इससे सरकार को लाभ हो रहा है, तो बिलकुल निराधार है। बल्कि इससे जनता को तो नुकसान हो ही रहा है बल्कि सरकार को भी नुकसान हो रहा है। मैं यह भी चाहता हूं कि इस बिल के जरिये जो मनमाने अधिकार अधिकारियों को मूल्य निर्धारण के लिये दिये जा रहे हैं, उनको यह अधिकार नहीं दिये जायं।

मान्यवर एक दिक्कत मैं परिवहन और विक्रय के संबंध में कहना चाहूंगा । हम अपने पत्तों को बाहर नहीं ले जा सकते हैं जैसा कि इस बिल में नियम है। जो नियम हमारे अधिकारी लागू करेंगे उसके अन्तर्गत वहीं उन पत्तों को रखना होगा यह न्याय संगत नहीं है । हमारी मांग है कि खुले बाजार में उन्हें बेंचने की हमें अधिकार होना चाहिये ।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में यह भी प्राविधान है कि एक परामर्शदात्री समिति का गठन होगा। यह समिति मूल्य निर्धारण में अपनी राय देगी और इसमें 9 सदस्य होंगे । इसमें उत्पादकों के लिये तीन स्थान है। मैं यह निवेदन करना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चाहता हूं कि उत्पादक लोगों को अधिक स्थान इसमें मिलना चाहिये तभी उचित मूल्य का निर्धारण हो सकेगा । अतः मेरा सुझाव है कि कम से कम इसमें उत्पादक वर्ग के 5 सदस्य होने चाहिये । यह भी मेरा सुझाव है कि जिस क्षेत्र की यह समिति हो, उस क्षेत्र के विधायक इसमें रखे जायं ताकि वह गरीब आदमियों की मदद कर सकें और उन्हें उचित मूल्य दिलाने में सहायता कर सकें ।

मान्यवर, जैसा कि बिल से स्पष्ट होता है यह बिल बड़ी जल्दी में लाया गया है । आज अनेक चीजों का राष्ट्रीयकरण हो रहा है ? बैंक का हुआ और चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात हो रही है। लेकिन राष्ट्रीयकरण से गरीबों को कोई लाभ नहीं हुआ । यह जो विधेयक लाया जा रहा है उससे गरीब काश्तकारों के सारे अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है। इससे हमारे मौलिक अधिकारों पर भी कुठाराघात होता है । मुख्य मंत्री के आश्वासन देने के बावजूद भी यह बिल हमारे सामने एकायक लाया गया है । मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि आजकल विकेन्द्रीकरण की बात हो रही है, लेकिन सरकार ज्यादा से ज्यादा केंद्रीयकरण कर रही है जो कि न्यायसंगत नहीं है। उस एरिया की जनता को, छोटे काश्तकारों को लाभ पहुंचाने के बजाय सरकार उनके सारे अधिकारों को ही समाप्त किये दे रही है ।

दूसरी बात यह है कि पत्ते का मूल्य कैसे निर्धारित होगा । मिर्जापुर में दुद्धी और राबर्टसगंज जो गरीब लोग हैं वहां के लोग इस काम पर अधिकतर निर्भर करते हैं । आपने इसमें मूल्य का कोई संकेत नहीं किया है जो कि स्पष्ट रूप से होना चाहिये । पत्ती की गांठी में 30,40 पत्ते होने चाहिये 5 किलो की पसेरी मान कर इसको स्पष्ट होना चाहिये । अगर हम परामर्शदात्री समिति की बात को मानेंगे तो हमको उससे लाभ मिलेगा । इसको स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिये । आपको स्पष्ट लिखना चाहिये 4 रु० सैकड़ा या फिर डेढ रुपये गाठी के हिसाब से होना चाहिये । अधिकतर जो हमारी समितियां हैं मिर्जापुर की जो डी०सी०डी०एफ०, उसके जो एजेंट्स हैं उनको टेंडर देने की आवश्यकता नहीं थी । जिस तरह से समितियां चल रही हैं उनको ही वरीयता मिलनी चाहिये । टेंडर देने की बात जो करते हैं तो बड़े-बड़े कैपटिलिस्ट हैं वे कलकत्ता या गुजरात के हैं वे ही उसका लाभ उठा लेते हैं और जो हमारे यहां छोटे-छोटे काश्तकार हैं, गरीब लोग हैं वे मारे जायेंगे । गरीबों और छोटे वर्गों का धंधा ही समाप्त हो जायगा । अभी तक घर की मां बहने जाकर पत्ते का काम करके अपना जीवन यापन करती थीं । उनका यह धंधा समाप्त हो जायगा । यह जनहित विरोधी विधेयक है । आप कहते हैं कि संक्रमण काल में हम सहायता का काम करेंगे । अधिकारी ही उसकी जांच पड़ताल करेंगे और वे ही मुआवजा देंगे । मान्यवर, इसमें बड़ी कमियां है । जो ठेकेदार लोग हैं और उन्होंने काफी रुपया लगाया है, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने फरजी पैसा लगाया है । वे लोग गरीबों को चूसेंगे और इसकी पूरी छूट उनको मिल जायेगी । इसलिये जो परामर्शदात्री समिति की राय है उसको मानें । इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करना चाहता हूं ।

मान्यवर, इसमें यह भी लिखा गया है कि विक्रय के लिये जो पत्ते होंगे उसका मूल्य राज्य सरकार अपने मन से देगी । हमारे व्यापारियों के लिये जब कि उनको सर्टिफिकेट मिल जायगा तो वे लेंगे । यह होना चाहिये कि सरकार को बीड़ी पत्ता लेना ही पड़ेगा । मान्यवर, इन्हीं कारणों से भ्रष्टाचार पनपता है और धांधली होती है और जनता के अधिकारों का हनन होता है। सरकार को पूरी छूट दे दी गई है । स्टेट की मोनोपोली कर दी गई है जो कि पहले बड़े-बड़े लोगों के पास थी । मिर्जापुर ऐसे गरीब इलाके के लोगों का यह काफी बड़ा काम था । मान्यवर, इसी प्रकार से लाख का भी किया गया था । मिर्जापुर में लाख का किसी समय बहुत बड़ा काम होता था परन्तु अब उनका वह धंधा समाप्त कर दिया गया है । मंत्री जी उस इलाके में गये हैं और वहां की स्थिति से अवगत हैं । मान्यवर, हमारे अधिकारों का हनन नहीं किया जाना चाहिये ।

[श्री सूबेदार प्रसाद]

वहां के काश्तकारों का यह प्रमुख पेशा है और अधिकांश गरीब जनता इसका काम करके अपने पेटों का तथा बाल बच्चों का पालन-पोषण करती है। वहां के काश्तकारों का मुख्य धन्धा है। क्या यह उचित होगा कि इस प्रकार से गरीब जनता के अधिकारों का हनन कर दिया जाय। मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस पर इस साल के लिये छूट दे दी जाय। हमें जो उत्पादन का अधिकार मिला है उसको न लिया जाय। यह बिल जन विरोधी है। मान्यवर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल में जो तथ्य रक्खे गये हैं वह जनता के पक्ष में नहीं हैं। अमारे अधिकार छूट गये हैं। तो आप विचार कर लें और यदि बिल लाना ही है तो अगले साल तक छूट दे दें और उसके बाद बिल ले आवें, तो बड़ी कृपा होगी।

*श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन रखता हूं कि उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) विधेयक, 1972 को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और वह अपना प्रतिवेदन एक मास में सदन में प्रस्तुत करे। श्रीमन्, यह बिल जिस उद्देश्य से रक्खा गया है उसकी पूर्ति नहीं होती है। मैं इस बिल का स्वागत करता अगर वास्तव में यह बिल उसकी पूर्ति करता होता। इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस ऐक्ट की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि जिस उद्देश्य से यह अध्यादेश जारी किया गया था इलेक्शन के दौरान, वह चुनाव हो चुका है और वह आदमी जिसके कारण यह किया गया था, चुन कर आ गया है। इसलिये अब इसकी उपयोगिता नहीं रह गई है। लेकिन चूंकि अध्यादेश जारी किया गया है इसलिये एक्ट आयेगा। तो मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि अध्यादेश और ऐक्ट में बहुत अन्तर होता है।

अध्यादेश किसी इमरजेन्सी के लिये जारी किया जाता है लेकिन जब विधि की यह शक्ल लेता है तब निश्चित रूप से हर तरह से उसमें व्यवस्था होना चाहिये। लेकिन इस ऐक्ट में उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कैसे किसी को जानकारी होगी कि जो उत्पादन तेंदू पत्ती का है उसकी 3 कैटेगरी की गई हैं। (1) जो भूमि खातेदार की होगी, (2) ग्राम सभा या निकाय की भूमि होगी, (3) सरकारी भूमि होगी। लेकिन इसके जानने की क्या व्यवस्था होगी। जो गरीब है जिसका वोट खरीदने के लिये यह किया गया है उसका भला हो जाय। श्रीमन् इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये इस बिल में व्यवस्था नहीं की गई है। खातेदार या गांव सभा की भूमि है इसकी एक प्राधिकारी के सम्मुख घोषणा हो जावेगी। उसको यह अधिकार नहीं है कि वह खुद अपने पत्तों के लिये बातचीत कर सके। इसके लिये चुने हुये लोगों की समिति बनाई जानी चाहिये थी लेकिन यहां जो समिति बनाई गई है उसकी नियुक्ति सरकार करेगी। इस ऐक्ट में कमेटी के अधिकारियों के बारे में कोई चर्चा नहीं है। यह है कि जो सरकार नियमानुसार निर्धारित करे। यह बात तो अध्यादेश में संभव है लेकिन जब कानून बन रहा है तब मैं समझता हूं कि विधेयक में इन सभी बातों की व्यवस्था होनी चाहिये। एबसोलूट पावर्स सरकार ले रही है। इस कारण आदमी कोई दूसरा उपाय नहीं कर सकता है। प्राधिकारी नियुक्त किया गया है जो बतलायेगा कि फलां पत्ती कैसी है। तो इस अधिकारी को अधिकार है कि वह रिजेक्ट कर दे कि यह पत्तियां बीड़ी बनाने के योग्य नहीं हैं।

एक अधिकारी आपने बना दिया कि वह उनकी अपील सुने और देखे कि उनको क्या मुआवजा दिया जाय कि न दिया जाय। इन अधिकारियों को मुकर्रर करने से क्या होगा। यहां भी वही हाल होगा जैसा कि एफ० सी० आई० के एजेन्ट्स करते हैं। श्रीमन्, अगर वे प्रसन्न न रहे, और उनकी पूजा न की गयी तो वे अच्छे गेहूं को भी रिजेक्ट कर देते हैं। पिछले साल गेहूं की खरीद में यह बहुत धांधली हुई। क्वालिटी इंसपेक्टर होता है। वह कह देगा कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह माल ठीक नहीं है। मान्यवर वही हालत बीड़ी की पत्ती के बारे में भी होगी। वह कह देंगे कि तेंदू की पत्ती बीड़ी बनाने लायक नहीं है और उसको रिजेक्ट कर देंगे। श्रीमन् हजारों का वारा न्यारा हो जायेगा। श्रीमन् इससे ज्यादा परेशानी होगी छोटे खातेदारों को। बड़े लोगों को इसमें कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि वे लोग अपनी हर जगह पहुंच रखते हैं। तो श्रीमन् इसमें क्लियरली इस बात का स्पष्टीकरण होना चाहिये कि किन-किन कन्डीशन में क्या-क्या खराबियां होंगी तो वे पत्तियां रिजेक्ट की जावेंगी। यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि पत्तियों में क्या क्या गुण होंगे तब वे जाकर स्वीकार की जावेंगी। मान्यवर, आप अच्छी तरह से सरकारी मशीनरी को जानते हैं और सब बातें जानते हुये उनके हाथों में पावर दे देना किसी तरह उचित नहीं होगा। यह जनतन्त्र की स्प्रिटि के खिलाफ है, जिसका कि आप दम भरते हैं।

श्रीमन्, दूसरी चीज इसमें देखें। अगर किसी ने पत्ती सप्लाई किया और किसी ने उसकी शिकायत कर दी कि वह उसके जमीन की नहीं है, जैसा कि दफा 4 में दिया है, यह कह दिया कि यह तो सरकारी जमीन की है। तो फिर इसकी जांच करने का कोई उचित प्राविधान नहीं है। वे कह देंगे कि यह आपकी जमीन की नहीं है या वे कह देंगे कि यह तेंदू पत्ती सरकारी जमीन की है। तो उसके लिये कोई उचित रास्ता नहीं है। और फिर विशेषत: यह है कि उस अधिकारी का आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी भी न्यायालय में अपील नहीं हो सकेगी। तो इस तरह से छोटे-छोटे अधिकारियों को अब्सल्यूट राइट्स देने जा रहे हैं जिनके बारे में बराबर शिकायतें आती रहती हैं। एक छोटा सा अधिकारी कह दे कि यह आपके खेत की नहीं है और हम अपने अधिकारों से महरूम हो जायं तो यह बात बड़ी आपत्तिजनक है।

इसमें श्रीमन् आगे यह है कि जो खातेदार हैं वह रजिस्ट्री कराये कि वह फलां गांव का रहने वाला है, उसकी फलां वल्दियत है और शकूनियत है और हम इतनी-इतनी पत्तियां सप्लाई करेंगे। अगर ज्यादा हो जायेंगी तो कह देंगे कि ज्यादा नहीं लेंगे। जैसा कि गन्ने के मामले में होता है कि वह कह देते हैं कि जिम्मेदार नहीं हैं। उसी तरह से इसमें भी कह देंगे। तो इस तरह से मान्यवर ब्लैक शुरू हो जायेगा।

बड़े लोगों के लिये मान्यवर इसमें और भी तमाम जगहों पर गुंजाइश रखी गयी है। ऊपर से राष्ट्रीयकरण हो रहा है किन्तु जो चुनाव में इनको चन्दा देते हैं, उनके लिये व्यवस्था है। मान्यवर, बड़े-बड़े ठेकेदार उसमें फायदा उठा सकते हैं। दफा 14 में दिया गया है कि यदि अपराध करने वाला कोई कम्पनी है तो वह दण्ड की उत्तरदायी नहीं होगी, यदि वह सिद्ध करदे कि उसने अपने नौकरों को रोक रखा है कि वह गड़बड़ी न करें। इससे यह बरी हो जायेगा। तो बड़ी-बड़ी कम्पनियों के लिये बड़ी छूट की व्यवस्था है ताकि उनसे चुनाव में पैसा ले सकें। इसलिये कम्पनियों को जो छूट दी गई है यह छूट समाप्त होना चाहिये।

साथ ही जो संक्रमणकालीन उपबन्ध हैं, यह बड़ा ही भ्रमात्मक है और इसका लोग नाजायज फायदा उठायेंगे। किसी भी समय दोनों मिल सकते हैं। इसलिये इसके अन्तर्गत जो अधिकार दिया गया वह नहीं होना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को दोनों सदनों की प्रवर समिति को भेज दिया जाय ताकि एक सुव्यवस्थित ढंग से यह बिल आ सके।

*श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय सदस्यों को याद होगा कि इस तरह का कानून बनाने के लिये बहुत समय पहले से मांग होती रही है। सन् 1969 में भी इसी सदन में यह मांग की गयी थी कि मध्य प्रदेश की भांति यहां पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम प्यारे]

भी तेंदू की पत्ती के सम्बन्ध में अविलम्ब कानून बनाया जाना चाहिये। इसके पीछे मंशा यही थी कि जो श्रमिकों एवं किसानों का शोषण होता था वह बन्द हो सके। गोस्वामी जी उधर बैठते हैं, उनको याद होगा कि गुप्ता जी के जमाने में भी एक कमेटी बनायी गयी थी जिसने सर्वसम्मति से इसके राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की थी। उसकी यह राय थी कि जल्दी से जल्दी सरकार को इस काम को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। इस सूबे में सब से ज्यादा हमारे क्षेत्र में तेंदू की पत्ती का काम होता है। अभी काश्तकारों की पत्ती को बिना पैसा दिये हुये यह ठेकेदार लोग ले लिया करते थे। यह लोग पटवारी को मिला लेते थे, रेंजर को मिला लेते थे, वन विभाग के कर्मचारियों को मिला लेते थे, और परमिट बनवा लेते थे। काश्तकारों को उचित मूल्य तक नहीं मिल पाता था। वे लोग मिर्जापुर आदि से गुंडों को बुलवाते थे और काश्तकारों की पत्तियों पर अधिकार करते थे। उनको पैसा नहीं देते थे। इसलिये आज जिस मंशा से यह विधेयक लाया गया है उसके लिये मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने मंत्री जी से प्रार्थना की थी कि इस तरह का विधेयक जल्दी से आना चाहिये।

मान्यवर, इसमें बहुत सी व्यवस्थाओं को करना होगा। इसकी जो मंशा है, कि जिस उद्देश्य से लाया गया है, उससे सभी साहबान सहमत हैं। हमारे सूबेदार सिंह ने भी कहा कि इसे अगले साल लाएं और सुधार कर लाएं। मैं दो-एक सुझाव देना चाहता हूं। जहां टैण्डर का सिस्टम है, उसके स्थान पर ओपेन आक्शन होना चाहिए। इसमें कम्पटीशन होगा और छोटे-छोटे आदमियों को भी लेने का, रोजगार करने का मौका मिलेगा। जो कीमत उत्पादकों या मजदूरों के लिए रखी गई है, वह ठीक मध्य प्रदेश वाली यहां लागू कर दी गई है। हमारे इलाके में 3 रुपया कम से कम मजदूरी है। मंत्री जी यह व्यवस्था करें कि जो वहां मजदूरी पहले मिलती थी, उससे उनका सारे बरसात का खर्च निकल आता था, अब भी यही ध्यान रखा जाए। मैं समझता हूं कि इसमें सरकार का उद्देश्य पैसा कमाने का नहीं होना चाहिए, इसमें जन कल्याण का उद्देश्य होना चाहिए और जनहित के दृष्टिकोण से मजदूरी रखी जानी चाहिए। इतनी मजदूरी उन्हें अवश्य दें, जिससे किसान का नुकसान न हो।

जहां तेंदू पत्ती होती है, आज 90 रुपये के भाव बिक रही है। तेंदू-पत्ते के भाव निर्धारित करने के 5 मुद्दे रखे गये हैं, लेकिन उसमें बाजार के भाव का मुद्दा नहीं रखा गया है। आप भी बाजार भाव से दें, जो 90 रुपये का भाव है। आप कम से कम 30 रुपया मजदूरी रखें। जो कमेटी की, परामर्शदात्री समिति की बात है, उसमें यह है कि एक साल तक मजदूरी में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन आप निश्चित करें कि यदि जनता की मांग होगी तो मजदूरी बढ़ाई जाएगी, जरूरत होगी तो अवश्य मजदूरी बढ़ाई जाएगी। मैं आपसे मांग करता हूं कि आप अधिकारियों की एक मीटिंग बुला लें, जिस तरह की मंशा है उसको आप पूरा कर दें, नहीं तो विभिन्न क्षेत्रों से आई मांग के अनुसार आप इसे स्थगित कर दें, इसका में कतई विरोधी नहीं हूं समर्थक हूं। इसमें यह व्यवस्था है, जो जनता को बीच के लोग लूटते थे, मजदूरों और काश्तकारों का शोषण करते थे, और अराजकता फैलती थी उनको रोका गया है। पुलिस, पटवारी और रेंजरों के अन्याय और अत्याचार को रोका गया है। इस बिल के द्वारा सभी तरह के अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। मेरा निवेदन है कि इस वर्ष से इसे लागू न करें तो अच्छा है, और लागू करें ही तो सारे पहलुओं को देख कर उनमें सुधार कर लागू करें। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी के इस बिल को लाने के लिए बधाई देता हूं और इसका समर्थन करता हूं।

(श्री बंशीधर पांडेय का नाम पुकारे जाने पर).

श्री डूंगर सिंह विष्ट (जिला नैनीताल)—

श्रीमन् 4 बज गये, नियम 51 वाली सूचनाएं ले ली जाएं तो अच्छा हो।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष जी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि वन मंत्री जी ने इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया। तेंदू-पत्ते का जो यह विधेयक है जब इसके राष्ट्रीयकरण की बात आती है तो बहुत सारे वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स, जिन पर इसका प्रहार पड़ने वाला होता है, वे बड़ी चिल्ल-पों मचाते हैं, और दबाव डालते हैं। मैं अच्छी तरह से इसको समझता हूं। मैं मिर्जापुर जिले के बारे में जानता हूं, रामप्यारे जी बैठे हैं—मैं मिर्जापुर जिले में तेंदू पत्ती के व्यापारियों को, उनके एजेंटों को खूब अच्छी तरह से जानता हूं और यह भी जानता हूं कि कैसे-कैसे दबाव वेस्टेड इंटरेस्ट्स के सरकार पर पड़ते हैं चाहे वह किसी की सरकार रही हो। राष्ट्रीयकरण की जब बात आयी तो इस प्रकार के दबाव पड़े और इस बार भी मैं जानता हूं कि हमारे राजा साहब जो वन मंत्री हैं इन पर बहुत दबाव पड़े और ऐसे क्वार्टर से भी पड़े जो बड़ा बेटी था लेकिन मुझे खुशी है कि आप उसमें झुके नहीं। अगर किसी स्तर पर आप झुक जायेंगे तो मुझे अफसोस होगा क्योंकि इसकी मंशा ही समाप्त हो जायगी।

मैं इसकी धाराओं को पढ़ रहा था। मुझे कई जगहों पर ऐसा लगा कि अगर आप राष्ट्रीयकरण करते हैं तो एकदम से कर दें, फिर उसमें कोई इंटरमीडियरी नहीं होना चाहिये। एजेन्ट जो आप टेण्डर लेकर नियुक्त करेंगे तो टेण्डर की प्रणाली तो आप देखते हैं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, इन जगहों पर हम विचार कर रहे हैं कि इस प्रणाली को समाप्त किया जाय क्योंकि इससे निर्माण-कार्यों में बड़ा भ्रष्टाचार होता है। तो कम्प्लीट सरकार का कब्जा हो। राष्ट्रीयकरण इसीलिये फेल हो जाता है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन करते-करते वही रूप हो जाता है जो राष्ट्रीयकरण करने से पहले रहता है। जितनी प्रणाली इसमें जोड़ी गयी है यह सब आप काट दीजिये। राष्ट्रीकरण आप करिये, आप अपने कर्मचारी को नियुक्त कीजिये और उसके ऊपर पूरी कड़ाई रखिये। अगर वह गड़बड़ करे तो उसको निकाल दीजिये। जब आप एजेन्ट नियुक्त करते हैं तो वह अपने तरीके निकाल लेता है। आप देखें कि पी० डब्ल्यू० डी० में टेण्डर देने वाला एक हैरिडिटरी ग्रुप बन गया है जिसको आप कभी एबालिश नहीं कर सकते। ऐसे ही आपकी तेंदू पत्ती में एजेन्ट ग्रुप घुस जायंगे और वही गड़बड़ी हो जायगी।

आप जो कमेटी की बात करते हैं कि उसमें उत्पादकों का भी 1/3 करें, दो-तिहाई नामिनेट कर दें, तो फिर सरकार पर दबाव पड़ेगा। आप प्राइस तय करने का, उसका संचालन करने के नियम बना दें फिर कमेटी बनाने की क्या जरूरत है। आपका डी० एफ० ओ० गजटेड आफिसर हैं। उसके ऊपर के किसी अफसर को कर दीजिये ताकि आटोमेटिक उसका परिचालन हो। कमेटी वगैरह भ्रष्टाचार की जड़ हो जायेंगे।

किसी ने कहा कि इस साल से यह लागू न हो। जब आप ऐक्ट की तहे दिल से तारीफ करते हैं तो फिर इस साल से क्यों न लागू हो? आपको तो कहना चाहिये था कि 5 साल पहले से हो जाय। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसको भी स्पष्ट कर दीजिये कि 72 के बजाय 69 पढ़ा जाय। ऐसी बातों को ऐक्ट में चेंज कर लें अगर ऐसा न कर सकें तो जिस समय नियम बनाएं तो हमारी बातों को ध्यान रखें ताकि राष्ट्रीयकरण की परिभाषा पूरी तरह से सम्भव हो सके।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

श्रीमन्, यह विधेयक बहुत ही नीति से सम्बन्ध रखता है। माननीय मंत्री जी ने जो थोड़ा विचार व्यक्त किया उससे मुझे यह ज्ञान हुआ कि माननीय मंत्री जी को विधेयक के बारे में कुछ ज्ञान है ही नहीं। राज्य का एकाधिकार होने जा रहा है, अब राष्ट्रीयकरण कह लो। राष्ट्रीय-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

करण अगर हो तो ऐसी वस्तु का हो जो जीवन के लिए आवश्यक हो तथा जिसका व्यापार पूंजी-पतियों के हाथ में हो। तब समझा जा सकता है कि राष्ट्रीयकरण करने से पैसा गरीबों की जेब में आयेगा। तेंदू पत्ते का व्यापार कौन करता है? बीड़ी कौन बनाता है? माननीय मंत्री जी को थोड़ा सा ज्ञान है। कौन बिड़ला, टाटा, डालमिया बैठा है, कौन आपका वी० आर० मोहन बैठा है? छोटे-छोटे लोग जो गरीब हैं, जिन्होंने आप को स्वयं प्रभावित किया है, वह अल्प संख्यक लोग हैं, उनके लिए यह जीवन यापन का साधन है। वे महिलाएं हैं, जो अपनी इज्जत की वजह से बाहर कार्य नहीं कर सकती हैं वह घर में बैठ कर बीड़ी बनाती हैं और अपने बच्चों के हाथ बिकवाती हैं। बीड़ी का सारा का सारा काम गरीब करता है। उस उद्योग को सरकार अपने हाथ में लेने जा रही है।

दूसरी तरफ क्या बीड़ी जीवन की आवश्यक वस्तु है? कोई नहीं कहेगा कि बीड़ी जीवन के लिए आवश्यक वस्तु है। दोनों चीजें सिद्ध करती हैं कि यह जो कदम उठाया गया है गरीबों को मारने के लिए, जैसा कि बहुत लोग कहते हैं कि गरीब ही हटा देना चाहते हैं, यह उसी का द्योतक है। उन्होंने कहा कि जो नीलाम की प्रथा है उससे सरकार को आय होगी। इसी सदन में अंग्रेजी शराब की प्रथा एजेन्ट द्वारा बटवाने की है। सरकार उसको हटाने जा रही है। सरकार ने यह उदाहरण रखा कि हम नीलाम से कराएंगे तो अधिक पैसा मिलेगा।

यह सरकार कमीशन एजेंट के जरिये से जो शराब बेचती थी उसको नीलाम के जरिये बेचने लगी यह कह कर कि नीलाम से अधिक धन आयेगा लेकिन अब सरकार कहती है कि नीलाम से कम धन आयेगा और एजेंट से उसे अधिक धन मिलेगा। मैं जानना चाहता हूं कि लीसे का वह राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं करती जब कि तेंदू की पत्ती का वह राष्ट्रीकरण करने जा रही है। पी० ए० सी० में जितने अधिकारी आये उन्होंने बताया कि एजेंट के माध्यम से पैसे लीसे के अधिक आते हैं।

गान्धी जी को आज हम भूल गये और इन्दिरा के समाजवाद में हम गरीबों को मारेंगे। नेहरू जी ने 11 दिसम्बर, 1963 को लोक सभा में बोलते हुए कहा था 'अब रह रह कर मेरा ध्यान महात्मा गांधी के दृष्टिकोण पर जाता है। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे लोगों की एक बड़ी तादाद ऐसी है जिन तक आधुनिक मशीनें नहीं पहुंची हैं और न अर्से तक पहुंच पायेंगी। हमको इस अत्यन्त गरीब देशवासियों के बारे में सोचना चाहिये और उनकी स्थिति सुधारने के लिये जल्दी से जल्दी जो कुछ कर सकते हैं, करना चाहिये। यह चीज मुझे बहुत परेशान करती है। अब आप देखें गांधी जी क्या चाहते थे? मेरे सपनों का भारत में गांधी जी के यह वचन हैं" जब राज सत्ता जनता के हाथ में आ जाती है तब प्रजा की आजादी में होने वाले हस्तक्षेप की मात्रा कम हो जाती है। दूसरे शब्दों में, जो राष्ट्र अपना काम राज्य के हस्तक्षेप के बिना ही शान्तिपूर्वक और प्रभावपूर्ण ढंग से कर दिखाता है उसे ही सच्चे अर्थों में लोकतंत्रात्मक कहा जा सकता है। उनका कहना था कि स्वराज्य का अर्थ है सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने के लिये लगातार प्रयत्न।

आपका यह राष्ट्रीयकरण नहीं सरकारीकरण है। राष्ट्रीयकरण का अर्थ होता है राज्य की जनता के हाथ में थाती और सरकारीकरण है राज्य के हाथ में थाती। सरकारी करण का नतीजा क्या हुआ है। जितने विद्युत् बोर्ड हैं, नहरें हैं कितना घाटा आपको हो रहा है। लोक सभा में एक मन्त्री जी बोल रहे थे। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि सरकारी कारखानों में 3 करोड़ 80 लाख रुपये का घाटा हुआ। इन्दिरा जी ने जिस कारखाने को छुवा और वह घाटे में चला गया। 24 फरवरी को मुख्य मन्त्री जी के दिमाग में तेंदू की पत्ती के सरकारीकरण का विचार इसलिये आया कि चुनाव लड़ रहे थे मिर्जापुर में। लोगों को वहा खुश करके वोट लेना था। कह दिया हम आपको एजेंट बनायेंगे धन कमाने के लिये। यह गरीब के हित में नहीं होगा तेंदू की पत्ती का सरकारीरकण करना।

श्री उपाध्यक्ष—

मौलिक दृष्टिकोण पर ही आपने इतना समय ले लिया ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

राष्ट्रीयकरण में क्या गड़बड़ियां हो रही हैं यह हमको समझने दीजिये ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि मिर्जापुर की कथा न पढ़ें ।

श्री उपाध्यक्ष—

गांधी जी और केन्द्र के मन्त्री को आप यहां पर ले रहे हैं तो यह एक अच्छा भाषण हो सकता है किन्तु इस अवसर के लिये उपयुक्त नहीं होता । आप अपनी सब बातों में गांधी जी का ज्यादा नाम ले रहे हैं.....

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

उन्हीं के नाम से तो जिन्दा हैं, मान्यवर ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब उनका नाम कोई नहीं ले रहा है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, अब मैं थोड़ा सा विधेयक के बारे में चर्चा कर लूं । सरकार ने कहा कि एजेंट नियुक्त होंगे और उसे सरकार नियुक्त करेगी । वे भी उन्हीं की इच्छा पर नियुक्त होंगे । यह भी उसमें उल्लेख किया गया है कि एक से अधिक एजेंट नियुक्त हो सकते हैं । यदि एक क्षेत्र के लिये एक एजेंट भी हो जाय तो भी हम मान सकते हैं किन्तु यहां तो लूट पाट हो रही है और ऐसा करने के लिये इन्हें मौका दिया जा रहा है । इसका नतीजा यह होगा कि अनेकों इकाइयों का एक एजेंट बन जायगा और इसका सारा व्यापार उसके हाथ में चला जायगा । बीड़ी बनाने के लिये एजेंट होंगे, खरीदने के लिये एजेंट होंगे और सब काम एजेंट के माध्यम से ही होगा । मान्यवर, इसमें कितनी कठिनाई होगी । छोटे-छोटे उद्योग धन्धे करने वाले लोगों के लिये आप क्या करने जा रहे हैं अगर आपको बीड़ी बनानी हो तो उसके लिये लाईसेन्स नहीं बनाना पड़ता और अब इसे भी एजेंट ही करेगा । यही नहीं परामर्शदात्री समिति बना रहे हैं और वह भी सरकार द्वारा नामजद होगी । इसमें कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है उस समिति में कितनी संख्या होगी । यहां तो उत्पादक तीन हो गये । सरकारी वनों से, गांव सभा वाले और निजी खातेदार । इसमें उत्पादकों का जो 1/3 प्रतिनिधित्व होगा वह किस रूप से होगा . .

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

श्रीमन् मैं अब समाप्त ही करता हूं । तो मैं कह रहा था कि इसमें जो 1/3 उनका प्रतिनिधित्व रखा गया है उसमें हमको तो ऐसा लगता है कि उत्पादन की नीति भी सरकार ही निर्धारित करेगी । वही राय देगी कि क्या काम होना चाहिये तो सरकार का दाम निश्चित करने की भी कोई निश्चित प्रणाली इस विधेयक में नहीं दिखाई देती है । एक डिपो होगा जिसमें सभी लोग ले जाकर देंगे । तो सरकार खरीद भी कर सकती है । कैसे सरकार खरीदती है उसकी हालत को मन्त्री जी खुद समझते हैं । हम लोगों ने सोचा कि जनतंत्र को आप मानते हैं तो थोड़ा पूर्वी जिला होगा, गरीब जिला होगा, गरीबों को रोजी मिल जायगी, तो तीन महीने के लिये

[श्री शम्भू नाथ चौधरी]

इसको जनता में घुमाने पर राय ले लीजिये ताकि मालूम हो जाय कि जनता आपके पक्ष में है या हमारे में है । फिर आइये मैदान में, निर्णय हो जायगा । इसलिये मैं इस विधेयक में यह संशोधन रखता हूं ।

श्री हिम्मत सिंह—

मान्यवर, मैं तो समझता हूं कि कुल माननीय सदस्यों ने मेरा ही समर्थन किया है और इस विधेयक में इतनी कमियां डाली हैं कि यह प्रचलन के लिये जाना ही चाहिये । इसकी जो प्रक्रिया है वह गड़बड़, रिजेक्शन की और सिलेक्शन की प्रक्रिया गड़बड़ । क्षेत्रों का डिवीजन सब गड़बड़ है इसलिये जनता के विचार जानने जरूरी हैं और ऊपर लागू होगा, क्या लागू होगा सब गड़बड़ ही गड़बड़ है, इसलिये मन्त्री जी इसको 3 मास के लिये घुमावें ।

श्री सूबेदार प्रसाद—

तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) विधेयक पर जैसा कि इससे जाहिर होता है कि इसमें अनेक खामियां और अनियमिततायें और संपूर्ण अधिकार का हनन हो रहा है । इसलिये इसपर जोर देना आवश्यक है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, उसका प्रतिवेदन आ जाय तो लागू कर लें ।

श्री अजीत प्रताप सिंह—

श्रीमन्, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ज्यादातर सदस्यों ने इस विधेयक को पसन्द किया और उसका स्वागत किया । इससे मालूम होता है कि हमारे दोस्त ने जो संशोधन रखा है कि इसको जनता में घुमाया जाय, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इसको नहीं स्वीकार करता ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) विधेयक, 1972 को जनमत जानने के लिये 3 माह तक घुमाया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) विधेयक, 1972 को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह में दे दे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) विधेयक, 1972 को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो और वह अपना प्रतिवेतन एक मास में सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 2

परिभाषायें 2—जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) किसी इकाई के सम्बन्ध में "अभिकर्त्ता" का तात्पर्य उस इकाई के सम्बन्ध म धारा 4 के अधीन नियुक्त अभिकर्ता से है;

(ख) "इकाई" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन संघटित इकाई से है;

(ग) "खातेदार" का तात्पर्य किसी भूमिधर, सीरदार, असामी, सरकारी पटटेदार या अन्य सरकारी अनुदान-ग्रहीता से है;

(घ) "तेंदू पत्ता उत्पादक" का तात्पर्य, ऐसी भूमि पर उगाये गये तेंदू पत्तों के सम्बन्ध में जो तत्समय—

ऐक्ट संख्या 16 1972

(1) राज्य सरकार में निहित तथा उसके द्वारा धृत हो अथवा इन्डियन फारेस्ट ऐक्ट, 1927 के अधीन आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में संघटित हो, राज्य सरकार से है;

(2) किसी गांव सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकरण में निहित तथा उसके द्वारा धृत हो, ऐसी गांव सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकरण से है;

(3) किसी खातेदार द्वारा धृत हो, ऐसे खातेदार से है;

(4) राज्य सरकार अथवा उपर्युक्त गांव सभा, स्थानीय प्राधिकरण या खातेदार की ओर से किसी भोग-बन्धकी, काश्तकार या पट्टेदार द्वारा धृत हो, यथास्थिति, ऐसे भोग बन्धकी, काश्तकार या पट्टेदार से है;

(5) विधि द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किये गये किसी रिसीवर की अभिरक्षा में हो, ऐसे रिसीवर से है;

(6) किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा धृत हो, ऐसे व्यक्ति से है;

(ङ) किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में "नियत दिनांक" का तात्पर्य उस दिनांक से है जब से यह अधिनियम उस क्षेत्र में प्रवृत्त हो;

(च) "वर्ष" का तात्पर्य पहिली जुलाई से प्रारम्भ होने वाले तथा अगली तीस जून को समाप्त होने वाले वर्ष से है;

(छ) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है;

ऐक्ट संख्या 16, 1927

(ज) ऐसे शब्दों तथा पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त किये गये हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, 1927 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उक्त ऐक्ट में उन्हें दिये गये हों।

श्री हिम्मत सिंह—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 2 के उपखंड (ङ) में से "उस क्षेत्र में" निकाल दिया जाय।

मान्यवर, मैंने अपना संशोधन इसलिये रखा है कि अभी उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक सारे उत्तर प्रदेश में आज तक लागू नहीं हुआ है। माननीय सदस्य चाहें कहीं के भी क्यों न हों, बहस के दौरान वे कह रहे थे कि अभी यह लागू न किया जाय। मुझे संदेह हो रहा है कि यह सब जगह लागू नहीं हो पायेगा। इसलिये मैंने इसको निकालने का संशोधन किया है कि यह विधेयक एक साथ लागू हो, टुकड़ों टुकड़ों में न हो।

श्री अजीत प्रताप सिंह--

मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 के उपखण्ड (ङ) में से "उस क्षेत्र में" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री सूबेदार प्रसाद--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 2 के उपखण्ड (च) में "वर्ष" का तात्पर्य पहली जुलाई, 1972 से प्रारम्भ होकर अगली 30 जून को समाप्त होने वाले वर्ष से है।

श्री अजीत प्रताप सिंह--

मुझे यह स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 के उपखण्ड (च) में "वर्ष" का तात्पर्य पहली जुलाई, 1972 से प्रारम्भ होकर अगली 30 जून को समाप्त होने वाले वर्ष से है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रियासत हुसैन--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 2 के उपखण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित रखा दिया जाय--

"(च) 'वर्ष' का तात्पर्य ऐसे बारह महीनों की अवधि से है जो विहित की जाय।"

श्री अजीत प्रताप सिंह--

मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 के उपखण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

(च) "वर्ष" का तात्पर्य ऐसे बारह महीनों की अवधि से है जो विहित की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खन्ड 3

इकाइयों का संघटन

3--राज्य सरकार किसी क्षेत्र को उतनी इकाइयों में विभाजित कर सकती है जितनी वह उचित समझे।

श्री हिम्मत सिंह--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 3 में से "जितनी वह उचित समझे" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर "जो दस एकड़ से अधिक न हो" रख दिया जाय।

श्री अजीत प्रताप सिंह--

मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में से "जितनी वह उचित समझें" निकाल दिया जाय और इसके स्थान पर "जो दस एकड़ से अधिक न हो" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खन्ड 4

अभिकर्ताओं की नियुक्ति

4—(1) राज्य सरकार, अपनी ओर से, तेंदू पत्तों का क्रय और उसका व्यापार करने के प्रयोजनार्थ, विभिन्न इकाइयों के सम्बन्ध में अभिकर्ता नियुक्त कर सकती है, और कोई भी ऐसा अभिकर्ता एक से अधिक इकाई के सम्बन्ध में नियुक्त किया जा सकता है।

(2) ऐसी नियुक्ति की शर्तें तथा प्रतिबन्ध और तत्संबंधी प्रक्रिया वह होंगी जो विहित की जायं।

श्री हिम्मत सिंह—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 4 के उपखण्ड (1) में से "और कोई भी ऐसा अभिकर्ता. . . जा सकता है" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर "सहकारी समिति को वरीयता दी जायगी" रख दिया जाय।

मान्यवर, इस तरह से एक आदमी की सारे सूबे में मनोपोली बना दी गई है। इसीलिये मैंने संशोधन रखा है कि एक आदमी को एक ही मिले और दूसरे यह कि सहकारिता समिति को वरीयता दी जायगी।

श्री अजीत प्रताप सिंह—

श्रीमन्, मुझे यह स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 4 के उपखंड (1) में से "और कोई भी ऐसा अभिकर्ता. . जा सकता है" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर "सहकारी समिति को वरीयता दी जायगी" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 4 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खन्ड 5

तेंदू पत्तों के विक्रय, क्रय तथा परिवहन पर निर्बन्धन

5—नियत दिनांक को तथा उसके पश्चात्—

(क) कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत राज्य सरकार के किसी अधिकारी अथवा उस इकाई, जिसमें पत्ते उगे हों, से सम्बन्धित किसी अभिकर्ता से भिन्न किसी भी व्यक्ति को तेंदू के पत्तों का विक्रय नहीं करेगा;

(ख) उक्त सरकार, अधिकारी या अभिकर्ता से भिन्न कोई भी व्यक्ति उक्त सरकार, अधिकारी या अभिकर्ता से भिन्न किसी भी व्यक्ति से तेंदू पत्तों का क्रय नहीं करेगा,

और न किसी ऐसी भूमि, जिसका वह स्वामी या खातेदार न हो, पर उगाये गये तेंदू पत्तों का संग्रह करेगा;

(ग) उक्त सरकार, अधिकारी या अभिकर्ता से भिन्न कोई भी व्यक्ति तेंदू पत्तों का परिवहन निम्नलिखित दशाओं के सिवाय, नहीं करेगा, अर्थात्:—

(1) यदि वह, तेंदू पत्ता उत्पादक होने की दशा में, इकाई के भीतर, जहां ऐसे पत्ते उगे हों, किसी स्थान से पत्तों का परिवहन उसी इकाई में किसी अन्य स्थान के लिये करें; अथवा

(2) यदि वह पत्तों का परिवहन उक्त सरकार, अधिकारी या अभिकर्ता की ओर से करे; अथवा

(3) यदि उसने उक्त सरकार, अधिकारी या अभिकर्ता से पत्तों का क्रय या तो उत्तर प्रदेश के भीतर बीड़ियां बनाने के लिये अथवा उत्तर प्रदेश के बाहर पत्तों का विक्रय करने के लिये किया हो, और वह ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से, जिसे विहित किया जाय, तदर्थ जारी किये गये अनुज्ञापत्र की शर्तों और प्रतिबन्धों के अनुसार उक्त इकाई के बाहर उनका परिवहन करे ।

श्री सूबेदार प्रसाद—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 5 के उपखंड (क) को निम्नलिखित प्रकार से रखा जाय—

(क) कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत राज्य सरकार के किसी अधिकारी अथवा उस इकाई, जिसमें पत्ते उगे हों, से सम्बन्धित किसी अभिकर्ता हो खुले आम बाजार में निर्धारित उचित मूल्य पर ही विक्रय करेगा ।

खंड 5 के उपखंड (ग) में चौथी क्लाज जोड़ दिया जाय—

(4) यदि उत्पादक को उक्त सरकार, अधिकारी या अभिकर्ता द्वारा पत्तों का उचित मूल्य न मिले ।

मान्यवर, इसमें विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाया गया है । हमें बाजार के भाव पर अपनी संपत्ति को बेचने का अधिकार होना चाहिये । आशा है मन्त्री जी इसको मान लेंगे ।

श्री अजीत प्रताप सिंह—

मुझे यह स्वीकार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 5 के उपखंड (क) को निम्न प्रकार से रखा जाय—

(क) कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत राज्य सरकार के किसी अधिकारी अथवा उस इकाई, जिसमें पत्ते उगे हों, से सम्बन्धित किसी अभिकर्ता हो खुले आम बाजार में निर्धारित उचित मूल्य पर ही विक्रय करेगा ।

खंड 5 के उपखंड (ग) में चौथी क्लाज जोड़ दिया जाय—

4—यदि उत्पादक को उक्त सरकार, अधिकारी या अभिकर्ता द्वारा पत्तों का उचित मूल्य न मिले ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 5 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड 6

परामर्श समिति का संघटन

6--(1) राज्य सरकार प्रत्येक ऐसे एक आयुक्त के डिवीजन के लिये, जहां तेंदू पत्ते उगते हों, एक परामर्श समिति प्रत्येक वर्ष के लिये संघटित करेगी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सदस्यों में एक-तिहाई से अनधिक सदस्य तेंदू पत्ता उत्पादकों में से होंगे।

(2) प्रत्येक डिवीजन की परामर्श समिति, राज्य सरकार को, समय-समय पर उस डिवीजन में विक्रय के लिये प्रस्तुत तेंदू पत्तों के राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से क्रय के उचित और युक्तियुक्त मूल्य निर्धारण के विषय में, तथा ऐसे अन्य विषयों पर भी जो राज्य सरकार द्वारा उसे अभिदिष्ट दिये जायें, परामर्श देगी।

(3) समिति की कार्यवाही का संचालन ऐसी रीति से किया जायगा जो विहित की जाय।

श्री सूबेदार प्रसाद--

उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 6 के उपखंड (1) को निम्न प्रकार से रखा जाय--

(1) राज्य सरकार प्रत्येक ऐसे एक आयुक्त के डिवीजन के लिये जहां तेंदू पत्ते उगते हों, एक परामर्श समिति प्रत्येक वर्ष के लिये संगठित करेगी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट 9 सदस्यों में तदर्थ जिले के निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य अवश्य होंगे।

श्री अजीत प्रताप सिंह--

मान्यवर, मुझे यह स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 6 के उपखंड (1) को निम्न प्रकार से रखा जाय--

(1) राज्य सरकार प्रत्येक ऐसे एक आयुक्त के डिवीजन के लिये जहां तेंदू पत्ते उगते हों, एक परामर्श समिति प्रत्येक वर्ष के लिये संगठित करेगी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट 9 सदस्यों में तदर्थ जिले के निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य अवश्य होंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री हिम्मत सिंह--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 6 के प्रतिबन्ध में से "एक तिहाई" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर "पांच" रख दिया जाय और "उत्पादकों में से होंगे" के बाद निम्नलिखित बढ़ाया जाय--

"जो उत्पादकों द्वारा चुने गये हों"

खंड 6 के उपखंड (2) में "निर्धारण के विषय" के बाद और "तथा ऐसे अन्य विषयों पर" के पहले निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--

"तेंदू बीड़ी बनाने योग्य है या नहीं"

[श्री हिम्मत सिंह]

मान्यवर, यह दोनों संशोधन बहुत सीधे सादे हैं। इस समय राज्य सरकार अपनी मनमानी करना चाह रही है और उनको ही नियुक्त करना चाहती है जो उनकी चाटुकारिता करते हैं। लेकिन चूंकि यह लोकतंत्र का समय है, इसलिये इसमें चुने हुए व्यक्ति आने चाहिये और संबंधित आदमियों में से ही आने चाहिये। उनमें से 5 आदमी चुन कर आयेंगे तो लोकतंत्र की जो यह हत्या कर रहे हैं, वह बच जायगी।

दूसरी चीज यह है कि जो परामर्श दात्री समिति बनायेंगे उसको यह अधिकार होना चाहिये कि वह यह तय करे कि वह तेंदू की पत्ती बीड़ी बनाने योग्य है या नहीं इसलिये परामर्शदात्री समिति को भी अधिकार देना चाहिये कि वह देखे कि पत्ती बीड़ी बनाने योग्य है या नहीं। वह निर्णय लेगी तो पत्ती देख कर ही लेगी, रिजेक्शन का काम उस समिति को देना चाहिये। अतः मंत्री जी इसे स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री अजीत प्रताप सिंह--

अस्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि खंड 6 के प्रतिबन्ध में से "एक तिहाई" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर "पांच" रख दिया जाय और "उत्पादकों में से होंगे" के बाद निम्नलिखित बढ़ाया जाय :--

"जो उत्पादकों द्वारा चुने गये हों।"

प्रश्न यह भी है कि खंड 6 के उपखंड (2) में "निर्धारण के विषय" के बाद और "तथा ऐसे अन्य विषयों पर" के पहले निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

"तेंदू बीड़ी बनाने योग्य है या नहीं"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 6 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 7

राज्य सरकार द्वारा मूल निर्धारण

7--(1) राज्य सरकार अन्य तथ्यों के साथ-साथ निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए ऐसा मूल्य निर्धारित करेगी, जिस पर वर्ष के दौरान डिवीजन की प्रत्येक इकाई में उसके द्वारा या उसके लिये या तेंदू पत्ता उत्पादकों से तेंदू पत्तों का क्रय किया जायगा, अर्थात्:--

(क) किसी इकाई के सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों में इस अधिनियम के अधीन तेंदू पत्तों का निर्धारित मूल्य, यदि कोई हो;

(ख) इकाई में उगाये गये पत्तों की किस्म;

(ग) इकाई में उपलब्ध परिवहन सुविधायें;

(घ) परिवहन व्यय; तथा

(ङ.) अनिपुण श्रमिक के लिये मजदूरी का इकाई में प्रचलित समान्य दर।

(2) इस प्रकार निर्धारित मूल्य ऐसे दिनांक के पूर्व और ऐसी रीति से, जैसा राज्य सरकार निदेश दे, प्रकाशित किया जायगा और उस वर्ष के दौरान जिसके सम्बन्ध में वह हो, उसमें परिवर्तन नहीं किया जायगा।

(3) यदि उपधारा (1) के अधीन मूल्य निर्धारित किये जाने के पूर्व, धारा 6 के अधीन परामर्श समिति संघटित हो गयी हो तो राज्य सरकार ऐसा मूल्य निर्धारण करने से पूर्व परामर्श समिति से, जहां व्यवहार्य हो, परामर्श करेगी।

श्री सूबेदार प्रसाद—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 7 के उप खंड (1) (ङ) में से शब्द "अनिपुण" को निकाल दिया जाय तथा निम्न एक अलग (च) क्लाज जोड़ दिया जाय—

"(च) पत्तों की गड्डी (पौधा या फल) में पत्ती की संख्या 30 और 40 के बीच में होगी और उसका मूल्य प्रति सैकड़ा (गड्डी) चार रुपये अथवा 1.25 नया पैसे प्रति 5 किलो से कम न होगा।

मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह गरीबों की रोजी रोटी का सवाल है, मजदूरों को कम पैसा देना ठीक नहीं होगा। इससे बेकारी बढ़ेगी इसमें यह उल्लेख स्पष्ट नहीं है इस लिये यह मूल्य के निर्धारण की बात रखी है।

श्री हिम्मत सिंह—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 7 के उपखंड (1) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"(च) बीड़ी के निर्माताओं से टेंडर प्राप्त करना।"

तथा खंड 7 के उप खंड (3) के अन्त म निम्नलिखित बढ़ाया जाय:

"जिसकी राय मान्य होगी।"

श्री अजीत प्रताप सिंह—

मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 7 के उप खंड (1) (ङ) में से शब्द "अनिपुण" को निकाल दिया जाय तथा निम्न एक अलग (च) क्लाज जोड़ दिया जाय—

(च) पत्तों की गड्डी (पौधा या फल) में पत्ती की संख्या 30 और 40 के बीच में होगी और उसका मूल्य प्रति सैकड़ा (गड्डी) चार रूपए अथवा 1.25 नया पैसे प्रति 5 किलो से कम न होगा।

तथा प्रश्न यह है कि खंड 7 के उपखंड (1) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

"(च) बीड़ी के निर्माताओं से टेंडर प्राप्त करना।"

तथा प्रश्न यह भी है कि खंड 7 के उप खंड (3) के अन्त में निम्नलिखित बढ़ाया जाय :

"जिसकी राय मान्य होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 7 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 8

राज्य सरकार विक्रय हेतु प्रस्तुत समस्त तेंदू पत्तों का क्रय करेगी

8—(1) राज्य सरकार समस्त तेंदू पत्ते, जो उसे या उसके लिये विक्रय हेतु राज्य सरकार द्वारा तदर्थ स्थापित किसी डिपो पर समान्य कार्य-समय में प्रस्तुत किये जायें, धारा 7, के अधीन निर्धारित मूल्य पर क्रय करने के लिये बाध्य होगी:

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार के तदर्थ नियुक्त किसी अधिकारी या अभिकर्ता, जैसी भी दशा हो, को ऐसे तेंदू पत्तों को क्रय करने से इंकार करने का अधिकार होगा जो उसकी राय में बीड़ी बनाने के प्रयोजनार्थ उपयुक्त न हों ।

(2) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन किसी अधिकारी या अभिकर्ता द्वारा उसके पत्तों को अस्वीकार करने के कारण क्षुब्ध हो, उससे पंद्रह दिन के भीतर और विहित रीति से प्रभागीय वन अधिकारी, या ऐसे अन्य अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अधिकृत किया जाय, परिवाद प्रस्तुत कर सकता है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन कोई परिवाद प्राप्त होने पर, सम्बद्ध अधिकारी उसकी सरसरी रूप से जांच करेगा और ऐसा आदेश देगा जो वह उचित समझे और उस दशा में जब उसे पत्तों को लेने से इंकार करना अनुचित प्रतीत हो, तो वह--

(क) यदि उसे प्रश्नगत पत्ते बीड़ियां बनाने के लिये उस समय तक उपयुक्त प्रतीत हों, तो, यथास्थिति प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता को उन्हें क्रय करने का निदेश देगा, और क्षुब्ध व्यक्ति के हक में ऐसा प्रतिकर दिये जाने का निदेश देगा जो पत्तों के लिये उसे दिये जाने वाले मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक न हो और जिसे वह उचित समझे; अथवा;

(ख) यदि उसे यह प्रतीत हो कि प्रश्नगत पत्ते बीड़ियां बनाने के लिये अब अनुपयुक्त हो चुके हैं, तो यथास्थिति, प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता को क्षुब्ध व्यक्ति के हक में कोई ऐसी धनराशि का, जो उपधारा (1) के अधीन ऐसे पत्तों के लिये उसे दिये जाने वाले मूल्य के बराबर हो, और ऐसा अतिरिक्त प्रतिकर जिसे वह ऐसे व्यक्ति को हुई हानि के लिये क्षतिस्वरूप देना उचित समझे, और जो ऐसे मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक न हो, देने का निदेश देगा ।

(4) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार या उसके प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता को यह विश्वास करने का कारण हो कि विक्रयार्थ प्रस्तुत कोई तेंदू पत्ते, राज्य सरकार में निहित और उसके द्वारा धृत भूमि पर या आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में संघटित भूमि पर उगाये गये हैं, तो ऐसे पत्ते, किसी मूल्य का भुगतान किये बिना, और केवल ऐसे संग्रहण-व्यय का भुगतान करके, यदि कोई हो, जिसे राज्य सरकार समय-समय पर अवधारित करे, हस्तगत किये जा सकते हैं ।

(5) उपधारा (4) के अधीन की गयी किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में उपधारा (2) तथा (3) के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे ।

(6) इस धारा के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा और किसी भी न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी ।

श्री हिम्मतसिंह--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 8 (1) प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--

"तो मालिक तेंदू पत्ती को अधिकार होगा कि वह बीड़ी निर्माताओं को बेच सकेगा।"

प्रश्न यह है कि जब पत्ती रिजेक्ट हो जायगी तो उसका क्या होगा, इसमें ऐसा प्राविधान नहीं है इसलिये उसको अधिकार होना चाहिये कि वह खुले बाजार में बीड़ी बनाने वालों को दिया जा सके ।

श्री सूबेदार प्रसाद--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 8 के उप खंड (1) का पैराग्राफ 2 निकाल दिया जाय।

श्री अजीत प्रताप सिंह--

मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 8 (1) प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--

"तो मालिक तेंदू पत्ती को अधिकार होगा कि वह बीड़ी निर्माताओं को बेच सकेगा।"

तथा

प्रश्न यह है कि खंड 8 के उप खंड (1) का पैराग्राफ 2 निकाल दिया जाय।)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री सुबेदार प्रसाद--

श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव है कि खंड 8 का उप खंड (2) निकाल दिया जाय।

श्री हिम्मत सिंह--

श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव है कि खंड 8 का उप खंड (4) निकाल दिया जाय। श्रीमन् ये पट्टी वालों से कह देंगे कि यह सरकार का है।

श्री सूबेदार प्रसाद--

श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव है कि खंड 8 के उप खंड (6) की पंक्ति 1 में शब्द "अंतिम" और 'होगा' के बीच में शब्द "न" जोड़ दिया जाय और पंक्ति 2 में से शब्द "नहीं" निकाल दिया जाय।

मान्यवर न्यायालय में जाने के अधिकार का हनन हो रहा है। मेरी प्रार्थना है कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार कर लें।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 8 का उप खंड (2) निकाल दिया जाय, खंड 8 का उप खंड (4) निकाल दिया जाय और खंड 8 के उप खंड में (6) की पंक्ति 1 में शब्द "अंतिम" और "होगा" के बीच शब्द "न" जोड़ दिया जाय और पंक्ति 2 में से शब्द "नहीं" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 8 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 9 से 17

उत्पादकों इत्यादि का रजिस्ट्रीकरण

9--(1) राज्य सरकार या किसी गांव सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकरण से भिन्न प्रत्येक तेंदू पत्ता उत्पादक, यदि किसी वर्ष के दौरान उसके द्वारा उगाये गये पत्तों की मात्रा ऐसी मात्रा से अधिक हो जाने की संभावना हो, जो विहित की जाय, विहित रीति से अपना रजिस्ट्रीकरण करायेगा।

बीड़ियों के निर्माता तथा तेंदू पत्तों के निर्यातकर्त्ता का रजिस्ट्रीकरण

(2) बीड़ियों का प्रत्येक निर्माता तथा तेंदू पत्ते का प्रत्येक निर्यात कर्त्ता ऐसी फीस का भुगतान करके और ऐसी रीति से, जो विहित की जाय, अपना रजिस्ट्रीकरण करायेगा ।

तेंदू पत्तों निस्तारण

10--(1) राज्य सरकार द्वारा या उसके लिये क्रय किये गये तेंदू पत्तों का विक्रय या उनका अन्य प्रकारसे निस्तारण ऐसी रीति से किया जायगा जैसा राज्य सरकार निदेश दे ।

(2) ऐसे तेंदू पत्तों की बिक्री जिनके संबंध में राज्य सरकार या कोई गांव सभा अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकरण उत्पादक हो, और यदि किसी ऐसे क्षेत्र में उत्पन्न तेंदू पत्तों जिनके किसी एक भाग के सम्बन्ध में राज्य सरकार उत्पादक हो और दूसरे भाग के सम्बन्ध में गांव सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकरण उत्पादक हो, को सरकार बेचती हो अथवा बिकवाती हो तो ऐसी बिक्री की शुद्ध आय का राज्य सरकार और ऐसी गांव सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के बीच प्रभाजन, राज्य सरकार द्वारा तदर्थ जारी किये गये किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार किया जायगा ।

शक्तियों का प्रतिनिधान

11--राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन अपनी कोई शक्ति या कृत्य ऐसे किसी अधिकारी को, जिसका पद सहायक अरण्यपाल के पद से कम न हो, प्रतिनिहित कर सकती है, जो उसका प्रयोग या सम्पादन, ऐसी शर्तों या निर्बन्धनों के अधीन, यदि कोई हों, जिन्हें राज्य सरकार आदेश में निर्दिष्ट करे, रहते हुए करेगा ।

प्रवेश करने, तलाशी लेने अभिग्रहण करने आदि के अधिकार

12--(1) कोई पुलिस अधिकारी, जिसका पद उप-निरीक्षक के पद से कम न हो, या कोई भी वन अधिकारी इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुपालन को सुनिश्चित करने या अपना यह समाधान करने के उद्देश्य से कि उक्त उपबन्धों का अनुपालन किया गया है--

(1) किसी ऐसे व्यक्ति, नौका, गाड़ी या पात्र को जिसे तेंदू पत्तों का परिवहन करने में प्रयुक्त किया गया हो या जो प्रयोग करने के लिये अभिप्रेत हो, रोक सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है;

(2) किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है;

(3) ऐसे तेंदू पत्तों को जिनके सम्बन्ध में उसे सन्देह हो कि इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है, ऐसे पात्र सहित, जिसमें ऐसे पत्ते हों, या ऐसी गाड़ी या नौकाओं के साथ जो पत्तों को लाने में प्रयुक्त की गयी हों, अभिगृहीत कर सकता है ।

1898 का अधिनियम 5

(2) तलाशी लेने और अभिग्रहण करने के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 102 तथा 103 के उपबन्ध, यथासंभव, इस धारा के अधीन तलाशी लेने और अभिग्रहण करने के सम्बन्ध में लागू होंगे ।

शास्ति

13--यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है तो उसके सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि

उसने वन अपराध किया है, और तेंदू पत्ता, यदि कोई हो, जिसके सम्बन्ध में उक्त अपराध किया गया है, ऐसा अपराध किये जाने के संबंध में वन उपज समझी जायेगी, और उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, 1927 के अध्याय 9 के उपबन्ध, (धारा 69 को छोड़कर) तदनुसार आवश्यक परिष्कारों के साथ लागू होंगे ।

कम्पनी द्वारा अपराध

14—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो, तो कम्पनी तथा अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिये कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी अपराध का दोषी समझा जायगा और तद्नुसार वह उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दण्डित होन का उत्तरदायी होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में दी गयी किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी दण्ड का उत्तरदायी नहीं होगा, यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध किये जाने को रोकने के लिए सभी सम्यक उपाय किये ।

(2) उपधारा (1) में दी गयी किसी बात के होते हुए भी यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाय और यह सिद्ध हो जाय कि अपराध उस कम्पनी के किसी मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेटरीज तथा ट्रेजरर्स, डाइरेक्टर, मैनेजर या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है अथवा ऐसे अपराध का किया जाना मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेटरीज तथा ट्रेजरर्स, डाइरेक्टर, मैनेजर या अन्य अधिकारी की उपेक्षा के कारण आरोप्य हो, तो कम्पनी के ऐसे मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेटरीज तथा ट्रेजरर्स, डाइरेक्टर, मैनेजर या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दण्डित होने के उत्तरदायी होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है तथा इस के अन्तर्गत कोई भी फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है; और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में "डाइरेक्टर" का तात्पर्य उस फर्म के भागीदारी से है ।

अपराधों का संज्ञान

15—किसी ऐसे वन अधिकारी द्वारा जिसका पद भागीय वन अधिकारी के पद से कम न हो अथवा ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ अधिकृत करे, उन तथ्यों के सम्बन्ध में जिनसे कि अपराध बनता हो, दिये गये लिखित प्रतिवेदन के सिवाय, कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध की संज्ञान नहीं करेगा ।

अधिनियम के उपबन्धों का अभिभावी प्रभाव होगा

16—इस अधिनियम के उपबन्ध, किसी अन्य विधि अथवा किसी संविदा या अन्य संलेख में दी गयी उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

सद्भावना से किये गए कार्य के सम्बन्ध में बचाव

17—(1) किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के सम्बन्ध में कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

(2) राज्य सरकार के विरुद्ध इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों के आधार पर या ऐसी किसी बात से, जो इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावना से की गयी हो या की जाने के लिये अभिप्रेत हो, किसी ऐसी हानि के लिये जो हुई हो या जिसके होने की संभावना हो अथवा किसी ऐसी क्षति के लिये जो हुई हो या जिसके होने की संभावना हो, कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 18

नियम बनाने की शक्ति

18—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(2) विशेषत: और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—

(क) अभिकर्ताओं की नियुक्ति करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ख) तेंदू पत्तों की मूल्य सूची का प्रकाशन ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन जांच करने की रीति;

(घ) प्राधिकारी जिसके द्वारा, रीति जिसके अनुसार तथा शर्तें जिन पर तेंदू पत्तों के परिवहन के लिये धारा 5 के अधीन अनुज्ञा-पत्र जारी किये जा सकते हैं;

(ङ) धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की रीति, अवधि जिसके भीतर ऐसा रजिस्ट्रीकरण किया जायगा, तथा उसकी उपधारा (2) के अधीन देय फीस;

(च) धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन प्रतिकर अवधारित करने के लिये मार्ग-दर्शक सिद्धान्त;

(छ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना हो या किया जाय ।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त, जो एक सत्र में या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में हो सकता है, रखा जायगा और यदि उक्त अवधि में दोनों सदन नियम में कोई परिष्कार करने के लिये सहमत हों या दोनों सदन इस बात से सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिये तो तत्पश्चात् ऐसा नियम केवल, यथास्थिति, ऐसे परिष्कृत रूप में प्रभावी होगा अथवा वह प्रभावी नहीं होगा, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियम के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मेरा प्रस्ताव है कि खंड 18 के उप नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र में या एकाधिक अनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्शारों या अभिशून्यनों क अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधान मंडल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।"

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इसको माननीय रियासत हुसैन साहब समझे भी या नहीं ?

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मेरा निवदन है कि यह बिल मध्य प्रदेश के नमूने पर बनाया गया है। यह जो इबारत है उसी के नमूने पर है। केवल कुछ शब्दों में हेर फेर है।

श्री बंशीधर पांडेय--

यह भी बता दें कि इस परिवर्तन से क्या असर पड़ेगा ?

श्री रियासत हुसैन--

इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है।

श्री बंशीधर पांडेय--

क्या ऐसा तो नहीं कि ला सेकेटरी ने लिख दिया और इन्होंने दस्तखत कर दिये।

श्री उपाध्यक्ष--

इससे तो आपके अधिकार बढ़ते ही हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि : खण्ड 18 के उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र में या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 18 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 19

सक्रमण कालीन उपबन्ध

19--यदि 1 जुलाई, 1971 और 24 फरवरी, 1972 के बीच किसी समय तेंदू पत्तों के किसी उत्पादक ने किसी व्यापारी के साथ ऐसे तेंदू पत्तों की बिक्री के लिए, जो उसके द्वारा वर्ष 1972 में उगाये जाने हों, कोई संविदा की हो और ऐसे संविदा के अन्तर्गत व्यापारी से ऐसे पत्तों के, जो व्यापारी को दिये जाने हों, मूल्य की ओर कोई अग्रिम धनराशि ले ली हो तो इस बात के होते हुए भी कि ऐसी संविदा धारा 5 और 16 के उपबन्धों के कारण नियत दिनांक को शून्य हो गयी हो, उक्त उत्पादक और व्यापारी ऐसी अग्रिम धनराशि का ब्योरा देते हुए प्रभागीय वन अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष संयुक्त आवेदन-पत्र दे सकते हैं, और तदोपरान्त उक्त अधिकारी यथा-विधि यह समाधान हो जाने पर कि आवेदन-पत्र उत्पादक द्वारा स्वेच्छा से दिया गया है धारा 8 में अभिदिष्ट अधिकारी या अभिकर्ता को उत्पादक की ओर से व्यापारी को, धारा 8 के अधीन विक्रीत पत्तों के लिये उत्पादक को देय मूल्य में से, ऐसी धनराशि जो बिना ब्याज या प्रतिकर के कुल अदत्त अग्रिम धनराशि से अधिक न होगी देने का निदेश दे सकता है, और राज्य सरकार या अभिकर्ता उत्पादक के प्रति, और उत्पादक, व्यापारी के प्रति ऐसे भुगतान की सीमा तक दायित्व से उन्मुक्त हो जायेंगे और उत्पादक ऐसी अग्रिम धनराशि के सम्बन्ध में किसी ब्याज या प्रतिकर का देनदार न होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 19 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खण्ड 20 व खण्ड 21

निरसन

21--उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अध्यादेश, 1972 एतद्-द्वारा निरस्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश स० 1, 1972

श्री रियासत हुसैन--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 20 को पुन: संख्यांकित करके खण्ड 21 कर दिया जाय और उससे पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड 20 रख दिया जाय --

"20--राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30 मार्च, 1972 के गजट में प्रकाशित सूचना संख्या 1942/14-2-72, दिनांक 29 मार्च, 1972 जिसके द्वारा इकाइयों के लिये अभिकर्ताओं के रूप में नियुक्ति के लिए प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित किये गये तथा राज्य सरकार द्वारा जारी की गई सूचना संख्या 1861/14-2-72, दिनांक 22 मार्च, 1972 जिसके द्वारा राज्य सरकार या उसके अधिकारियों या अभिकर्ताओं द्वारा संग्रह किये गये अथवा संग्रह किये जाने के लिये सम्भावित तेंदू पत्तों के क्रय करने के इच्छुक व्यक्तियों से निविदाओं को आमन्त्रित किया गया, तथा उपर्युक्त सूचनाओं के अनुसरण में की गयी कोई बात अथवा किया गया कोई कार्य उसी प्रकार वैध समझा जायेगा व सदैव से वैध रहा समझा जायेगा मानो कि राज्य सरकार द्वारा धारा 18 के अधीन बनाये गये तथा गजट दिनांक 17 मार्च, 1972 में प्रकाशित नियम दिनांक 17 मार्च, 1972 को प्रवृत्ति हो गये थे।"

श्रीमन्, यह जो अमेन्डमेंट है तो नोटिफिकेशन जारी हुआ है रूल्स बनाने के लिये, यह पहले क आधार पर 4–4–72 को लागू होना था लेकिन अब उसको, जैसा कि पांडेय जी ने कहा, उसको 13–3–72 को जिस दिन गजट में नोटीफिकेशन हो गया, उन्हीं के आधार पर हुआ है, यह बताना है।

श्री अजीत प्रताप सिंह––

श्रीमन्, यह अमेन्डमेंट मंजूर है।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि खंड 20 को पुनः संख्यांकित करके खंड 21 कर दिया जाय और उससे पूर्व निम्नलिखित नया खंड 20 रख दिया जाय ––

"20––राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30 मार्च, 1972 के गजट में प्रकाशित सूचना संख्या 1942/14–2–72, दिनांक 29 मार्च, 1972 जिसके द्वारा इकाइयों के लिये अभिकर्त्ताओं के रूप में नियुक्ति के लिये प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये गये तथा राज्य सरकार द्वारा जारी की गई सूचना संख्या 1861/14–2–72, दिनांक 22 मार्च, 1972 जिसके द्वारा राज्य सरकार या उसके अधिकारियों या अभिकर्त्ताओं द्वारा संग्रह किये गये अथवा संग्रह किये जाने के लिये सम्भावित तेंदू पत्तों के क्रय करने के इच्छुक व्यक्तियों से निविदाओं को आमंत्रित किया गया, तथा उपर्युक्त सूचनाओं के अनुसरण में की गई कोई बात अथवा किया गया कोई कार्य उसी प्रकार वैध समझा जायेगा व सदैव से वैध रहा समझा जायेगा मानो कि राज्य सरकार द्वारा धारा 18 के अधीन बनाये गये तथा गजट दिनांक 17 मार्च, 1972 में प्रकाशित नियम दिनांक 17 मार्च, 1972 को प्रवृत्त हो गये थे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि नया खंड 20 और खंड 21 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) विधेयक, 1972

तेंदू पत्तों का, लोक हित में, क्रय तथा वितरण करने में राज्य एकाधिकार स्थापित करने और उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने का

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ––

संक्षिप्त नाम प्रसार तथा प्रारम्भ

1––(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे, और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

श्री हिम्मत सिंह––

मान्यवर खंड 1 के उप खंड (3) में से "और उत्तर प्रदेश के विभिन्न.....जा सकते है" निकाल दिया जाय।

मान्यवर, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं।

श्री अजीत प्रताप सिंह--

अस्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 1 के उपखंड (3) में से "और उत्तर प्रदेश के विभिन्न.....जा सकते है" निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अजीत प्रताप सिंह--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) विधेयक, 1972 जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) विधेयक, 1972 जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

सदन का समय बढ़ाने का प्रस्ताव

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

मान्यवर, यह जो वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक है, इस पर विचार कर लिया जाय इसलिये कि कोई विधायन के बारे में दिन मुकर्रर नहीं है। या तो ऐसा हो किसी दिन शाम के पांच बजे के बाद आप इसे ले लें । कार्य-मंत्रणा समिति ने भी यह आग्रह किया था और आप लोग भी कृपा पूर्वक सहयोग दें । मेरा यह आग्रह है कि आज ले लिया जाय और यदि आज नहीं लिया जाता है तो किसी और दिन के लिये मुकर्रर कर दिया जाय, शाम के 5 बजे के बाद ।

श्री उपाध्यक्ष--

आज समय इसलिये भी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि जो दो आदमी पकड़े गये हैं उनके बारे में भी अभी चर्चा होगी, नहीं तो इसके बाद 2 दिन की छुट्टी हो रही है और वह सजा पा जायेंगे । चूंकि इसमें संशोधन भी नहीं है अगर आप इसको करना चाहें तो 15–20 मिनट में हो जायेगा ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

नियम 51 का क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष--

वह भी है । इस विधेयक को पास करके राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये भेजना होगा । अगर 15–20 मिनट में खत्म कर लें तो ठीक है ।

प्रश्न यह है कि आज के कार्योपरान्त सदन का समय बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

मान्यवर, जो कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी उसमें तेंदू पत्ता वाला विधेयक नहीं था, लेकिन आज वह भी ले लिया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

चूंकि यह अध्यादेश वाला मामला है, अतः इस पर स्वीकृति होनी चाहिए क्योंकि उसको तो समय के अंदर ही करना पड़ेगा। जहां तक तेंदू पत्ते वाले विधेयक का संबंध है, अगर पहले कहा जाता तो उसको रोक लेते।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, एक परिपाटी बड़ी गलत है। जब कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हो तो वहां पूरी वकालत करनी चाहिए। परन्तु कार्य-मंत्रणा समिति के बाद कोई हेरफेर नहीं होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष--

वहां के किसी निर्णय के विरुद्ध कार्य नहीं किया जा रहा है।

श्री वंशीधर पांडेय--

आपने कहा कि तेंदू पत्ते वाले विधेयक को रोक सकते थे।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने तो तुलना की दृष्टि से कहा था।

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972†

चिकित्सा राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द्र शर्मा)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय। मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में इस संबंध में यह उल्लेख करना चाहता हूं कि बहुत दिनों से यह बराबर मांग आ रही थी कि इस प्रदेश में शुद्ध आयुर्वेद के संबंध में प्रशिक्षण का प्रबंध किया जाय। अब तक जो आयुर्वेद की शिक्षण संस्था थी उनमें मिश्रित कोर्स चला करते थे। इसलिये यह देखते हुए कि चारों तरफ से जो लोग आयुर्वेद के हितैषी थे, यह मांग हुई कि अपने इस प्रदेश में शुद्ध आयुर्वेद के लिये शिक्षण संस्था होनी चाहिए जहां पर विशुद्ध आयुर्वेद की शिक्षा की व्यवस्था हो सके, अतः इस उद्देश्य को लेकर सन् 1965-66 में वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के अंतर्गत इस कालेज की स्थापना की गयी।

आयुर्वेद महाविद्यालय के संबंध में वाराणसी के बहुत से लोगों ने आकर जिनमें वहां बहुत से गणमान्य व्यक्ति हैं तथा विधायक हैं, कहा कि इसको विश्वविद्यालय से निकाल दिया जाय और इसका संचालन सरकार स्वयं करे। उन्होंने यह शिकायत की थी कि जो अस्पताल हैं उसकी व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है और उसमें और भी बहुत ही प्रकार की शिकायतें थीं। इसकी जांच करवाई गई। उस जांच के फलस्वरूप बहुत सी बातें प्रकाश में आईं। उसमें बड़ी शिकायतें थीं इसलिए सरकार ने एक अध्यादेश के द्वारा इस कालेज को अपने अधिकार में ले लिया है। यह एक साधारण सा विधेयक है और इसमें कोई कन्ट्रोवर्सी नहीं है।

(इस अवसर पर श्री उपाध्यक्ष ने माननीय नित्यानंद स्वामी, श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री सच्चिदानन्द गुप्त, श्री त्रिलोक चन्द, श्री हरिनाथ तिवारी, श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री हिम्मत सिंह, श्री सूबेदार प्रसाद, श्री जयराम यादव, के नाम पुकारे कोई माननीय सदस्य संशोधन प्रस्तुत करने के लिये खड़ा नहीं हुआ)।

---

†5 अप्रैल, 1972 की कार्यवाही में छपा है।

*श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

मैं इस विधेयक के ऊपर जो कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है तथा वह मंत्री जी जो इस पर चिंतित रह कर प्रयास करते रहे हैं कि इसको संस्कृत विश्वविद्यालय से अलग कर दिया जाय और कालेज का नियंत्रण सरकार ले ले अपनी ओर से उनको धन्यवाद देता हूं। इसका हम लोगों ने स्वागत किया है। एक बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हिन्दू विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग था लेकिन उसके प्रशासन में ऐसे लोगों को ले लिया गया था कि शुद्ध आयुर्वेद मिश्रित कर दिया गया और उसका जीवन और आत्मा मर गई। आपने भी जो कमेटी बनाई उस ओर उसका भी ध्यान नहीं गया। आपने भी यह नहीं सोचा कि उस कमेटी में कैसे लोगों को प्रवेश दिया जाना चाहिए था कि जो लोग मिश्रित आयुर्वेद के स्थान पर शुद्ध आयुर्वेद रखते। आप कमेटी के बारे में पुन: विचार करें और शुद्ध आयुर्वेद को पुनरजीवित करने के लिये यह आवश्यक है कि उन्हीं लोगों को रखा जाय जो आयुर्वेद के बारे में पूर्णरूप से निष्ठावान हैं।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

मान्यवर, इस विधेयक की यही मंशा है। सरकार ने इसीलिए इसको अपने हाथ में लिया है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

इस पर श्री रूपनाथ सिंह यादव का एक संशोधन है खंड 2 में।

खण्ड 2 से 5, खन्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयुर्वेद विषय में परीक्षा आयोजित करने तथा उपाधियां प्रदान और सम्प्रदान करने के लिये भूतलक्षी दिनांक 1 जुलाई, 1965 से और राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय से आयुर्वेदिक महाविद्यालय का प्रबन्ध लोकहित में, सीमित अवधि के लिये, तात्कालिक प्रभाव से, अपने पास लेने के लिये, और उससे सम्बद्ध या प्रासंगिक विषयों के लिये उपबन्ध बनाने के उद्देश्य से वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है —

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, 1956 की

2—वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 26 में, उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, और 1 जुलाई, 1965 से बढ़ायी गई समझी जाय, अर्थात् —

"(5) विश्वविद्यालय आयुर्वेद के विषय में शिक्षा देने के लिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शिक्षण विभाग खोल सकता है, वह पाठ्य-क्रम नियत कर सकता है तथा उस विषय में परीक्षायें आयोजित कर सकता है, और ऐसी परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के निमित्त उपाधियां संस्थित कर सकता है तथा ऐसी उपाधियां प्रदान या संप्रदान कर सकता है, चाहे परनियमों और अध्यादेशों में तदर्थ उपबन्ध किया गया हो या नहीं, भले ही पूर्ववत् उपधाराओं या धारा 4, 6, 28 और 30 में कोई बात उपबंधित हो।"

धारा 44 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 44 में, उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् —

"(7) जब तक धारा 47—क के उपबन्धों के कारण आयुर्वेदिक महाविद्यालय का प्रबन्ध और नियंत्रण राज्य सरकार में निहित रहे—

(क) उक्त महाविद्यालय सम्बद्ध महाविद्यालय होगा, और उपधारा (1), उपधारा (3) या उपधारा (6) में दी गई कोई बात उसके संबंध में लागू न होगी ;

(ख) उक्त महाविद्यालय का आचार्य कार्यकारिणी परिषद् का पदेन सदस्य होगा, भले ही धारा 22 में कोई बात दी हो।"

नई धारा 47—क का बढ़ाया जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 47 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

राज्य सरकार द्वारा आयुर्वेदिक महाविद्यालय का प्रबन्ध अस्थायी रूप से अपने पास लेना

"47—क—(1) दिनांक 2 मार्च, 1972 से (जिसे इस धारा में निश्चित दिनांक कहा गया है) और तत्पश्चात् पांच वर्ष की अवधि के लिये—

(क) आयुर्वेदिक महाविद्यालय, जो निश्चित दिनांक के ठीक पूर्व विश्वविद्यालय का भाग था, का प्रत्येक हास्पिटल, औषधालय, प्रयोगशाला, फार्मेसी, व्याख्यान-कक्ष अथवा संग्रहालय और उससे संबंधित किन्हीं सज्जा स्टोर्स, औषधि, धनराशियों तथा अन्य परिसम्पत्तियों के सहित, प्रबन्ध और नियंत्रण राज्य सरकार को संक्रमित हो जायगा और उसमें निहित हो जायगा, और ऐसी सभी सम्पत्तियों तथा परिसम्पत्तियों का प्रयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिये किया जाता रहेगा जिनके लिये उनका उपयोग निश्चित दिनांक के ठीक पूर्व किया जाता था अथवा जिन प्रयोजनों के हेतु उपयोग के लिये वे अभिप्रेत थीं ;

(ख) विश्वविद्यालय की ऐसी समस्त भूमि, भवन, फर्नीचर, फिटिंग्स, फिक्सचर्स और अन्य परिसंपत्तियां जिनका उपयोग उक्त महाविद्यालय के लिये निश्चित दिनांक के ठीक पूर्व पूर्णतः या आंशिक रूप से किया जाता था, उक्त प्रयोजन के लिये उसी रूप में उपयोग में लायी जाती रहेंगी।

(ग) उक्त महाविद्यालय के कार्यकलापों के संबंध में निश्चित दिनांक से ठीक पूर्व सेवायोजित विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के अधीन सभी आनुशासनिक शक्तियां (जिसके अन्तर्गत सेवा की संविदा को समाप्त अथवा निलम्बित करने की शक्ति भी समझी जायगी)

तथा उक्त महाविद्यालय के कार्यकलापों के संबंध में नये कर्मचारियों की नियुक्त करने की शक्ति विश्वविद्यालय अथवा उसके अधिकारियों या प्राधिकारियों के स्थान पर राज्य सरकार अथवा उसक द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट किसी व्यक्ति में निहित होगी ;

(घ) इस धारा के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी परिनियम, अध्यादेश या विनियम में परिवर्धन, संशोधन या लोप कर सकती है जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे, और ऐसा कोई परिवर्धन, संशोधन या लोप भूतलक्षी प्रभाव से ऐसे दिनांक से किया जा सकता है जो निश्चित दिनांक से पूर्व न होगा।

(2) यदि उपधारा (1) के खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिये यह प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति निश्चित दिनांक से ठीक पूर्व उक्त महाविद्यालय के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवायोजित विश्वविद्यालय का कर्मचारी था या नहीं, तो उस पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय दिया जायगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन निष्पादित प्रत्येक आदेश, यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जायगा।"

निरसन

5—वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० 4, 1972

श्री रूपनाथसिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड 2 में "1 जुलाई 1965" हटा दिया जाय और उसके स्थान पर "2 मार्च, सन् 1972" रख दिया जाय।

मान्यवर यह आध्यादेश 2 मार्च को हुआ। 7 वर्ष पहले से इसको लागू कर दिया जाय यह कुछ समझ में आने वाली बात नहीं मालूम होती है। इससे बहुत दिक्कत हो जायेगी और यह अनकान्सटीट्यूशनल भी हो जायेगा। इसमें आपने दिया है कि 1 जुलाई, 1965 से बढ़ाई गई समझी जाय अर्थात् जब आप विश्वविद्यालय को आयुर्वेद के विषय में शिक्षा देने के लिये शिक्षण विभाग खोल सकता है.....।

श्री उपाध्यक्ष—

आपसे मैं सहमत हूं। यह मुझे भी समझ में नहीं आया था।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

श्रीमन्, समय के अभाव में यह नहीं बतलाया गया था कि क्या खराब व्यवस्था थी। उस समय संस्कृत विश्वविद्यालय में कोई 65 में आयुर्वेद की फैकल्टी नहीं बनी थी, इसलिए जो पठन-पाठन हुआ, जो-जो शिक्षण हुआ, उपाधियां मिलीं, उनको विनियमित करने के लिये यह आवश्यक हो गया है। 1965 से इस अधिनियम को लागू किया जाय। जिससे कि उसको विधि की शक्ल दी जा सके इसलिए इसको रखा गया है। अगर इसको मान लिया जाय तो ठीक हो जावेगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मुझे शंका है कि आप आयुर्वेद कालेज को हटा रहे हैं और विश्वविद्यालय को अधिकार दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2 में "1 जुलाई, 1965" हटा दिया जाय और "2 मार्च, 1972" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2, खंड 3, खंड 4 और खंड 5, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जा ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972 पारित किया जायं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कतिपय समितियों के परिवर्तित निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

एक सूचना मैं चुनाव के बारे में दे रहा हूं । इस सचिवालय के पत्र संख्या 1422/82 (सं) : 72 दिनांक 3 अप्रैल, 1972 के क्रम में मुझे आपसे यह निवेदन करना है कि वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिये लोक लेखा समिति के लिए 21 सदस्य, प्राक्कलन समिति के लिये 25 सदस्य तथा 25 स्थायी समितियों में प्रत्येक में 16, 16 सदस्यों के निर्वाचनार्थ विभिन्न दलों के सचेतकों के अनुरोध पर माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित परिवर्तित कार्यक्रम निर्धारित किया है :

(1) नाम : निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तथा समय	.. ..	5 मई, 1972 के अपरान्ह 3 बजे तक ।
(2) नाम : निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय	.. ..	6 मई, 1972 को 4 बजे से (सचिव विधान सभा के कमरे में)
(3) नामों की वापसी की अंतिम तिथि तथा समय	.. ..	11 मई, 1972 के अपरान्ह 3 बजे तक ।

(4) मतदान यदि आवश्यक हुआ तो

(क) प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति के लिए 15 मई, 1972 को दिन के 12 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक विधान मंडल पुस्तकालय में होगा, और

(ख) 25 स्थायी समितियों के लिये उक्त स्थान तथा समय पर 16 मई, 1972 को होगा ।

2--उक्त निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांतानुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जायगा ।

3--इन निर्वाचन अनुपातिक संबंधी नामांकन पत्र आपको विधान सभा के नोटिस आफिस से प्राप्त हो सकेंगे ।

दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे फेंकने के दोषी व्यक्तियों को दण्ड

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं जो सूचना देने जा रहा हूं, वह प्रातः की घटना से सम्बद्ध है। आज सदन की कार्यवाही चलते समय लगभग 11 बजकर 45 मिनट पर विरोधी पक्ष की दर्शक दीर्घा से, एक व्यक्ति ने, जिसका नाम श्री कृष्णानंद गिरि है तथा जिसके पास दर्शक दीर्घा का प्रवेश-पत्र श्री शेर सिंह दानू द्वारा प्राप्त हुआ, ने नीचे सदन में पर्चे फेंके। उस व्यक्ति को विधान सभा रक्षकों द्वारा पकड़ कर वहां से हटा दिया गया तथा वह अभी मार्शल की हिरासत में है। फेंके गये पर्चे की प्रति संलग्न है। माननीय सदस्य इस पर विचार करें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

मान्यवर, उस पर विचार करने के पहले हमें देखना है कि उसका अपराध क्या है तथा किस भावना से प्रेरित होकर उसने पर्चे फेंके।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

मान्यवर, हमें देखना है कि पर्चा फेंकने में उसकी नीयत क्या रही।

श्री उपाध्यक्ष--

नीयत का प्रश्न इसमें नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि अच्छी इच्छा से भी पर्चा फेंका जाय ?

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

वही मैं कहना चाहता हूं। आप कृपा करके सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपा करके सुन लें। मैं इसकी परिधि को बढ़ाना नहीं चाहता इस पर सबेरे बहस में बहुत बातें आ गयी हैं। प्रश्न यह है कि माननीय सदस्यों से सुझाव आये कि हमें इस बात की सुविधा मिलनी चाहिए कि उस पर अपना फैसला करें। ये घटनायें होती रहती हैं। पर्चे फेंके जाना, इस माननीय सदन की गरिमा के अनुरूप है या विपरीत। इसमें दो राय नहीं कि पर्चे नहीं फेंके जाने चाहिए। वह व्यक्ति आपके सामने है। रोक लिया गया है उसे। उसको चाहें छोड़ें या सजा दें। यह कोई अदालत नहीं है। किन्तु माननीय सदस्य अपने अदालत के ज्ञान और जानकारी का संवरण करते हुए और इस सदन की गरिमा का ध्यान रखते हुए इस पर फैसला करें कि, पहली बात, उसने पर्चे फेंके। हम उस पर कार्यवाही नहीं करेंगे। दूसरी बात, यह हो सकती है कि हम उसको सजा देंगे और सजा देंगे तो क्या देंगे। यही आज का विषय है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

मान्यवर, मैं यही कहना चाहता था कि अपराध ज्यादा होगा तो ज्यादा सजा देंगे और कम साबित होगा तो कम।

श्री उपाध्यक्ष--

सबेरे मैंने निवेदन कर दिया था कि यह प्रतीक स्वरूप है। यहां किसी कानून से या कोई ऐक्ट से यह प्राविधान नहीं किया गया है कि यह काम करने वाला यह सजा पायेगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, मेरी पूरी बात तो पहले सुन लें। यह सदन का अपमान है इस पर चर्चा करायें।

श्री उपाध्यक्ष—

सदन का अपमान आप कर रहे हैं। हम चर्चा नहीं करना चाहते....। इस तरह से तो आप सदन पर ही लांछन लगाते हैं, यह ठीक नहीं है। प्रश्न यह है कि यह मामला छोड़ दिया जाय या पकड़ा जाय।

श्री रियायत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, यह जो घटना हुई वह सदन के सामने हुई है। मैं समझता हूं कि ऐसे मामलों में सदन के माननीय सदस्यों को भी सेल्फ डिसिप्लिन्ड इम्पोज करना चाहिए। सोचने की बात यह कि यह घटना फिर न हो। काऊन्सिल हाऊस के गार्ड्स को भी यह आदेश होने चाहिए कि वे सख्ती से दर्शकों की तलाशी लें। आखिर वे चले कैसे आते हैं इतने पर्चे आदि लेकर।

श्री उपाध्यक्ष—

आप जो सुझाव दे रहे हैं वे मेरे कक्ष में दें, यहां नहीं।

श्री रियासत हुसैन—

मेरा सुझाव यह है कि सारे दिन उनको सजा मिल चुकी है, दो दिन छुट्टी पड़ रही है, अब उनको छोड़ दिया जाय।

श्री गोविन्दसिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, इसमें संदेह नहीं कि यह बड़ी गंभीर घटना है और आये दिन यह चीज होती रहती है। इसकी रोकथाम की जानी चाहिए और जैसा रियासत भाई ने सुझाव दिया मैं उससे सहमत हूं। आप ही उनको प्रताड़ना देकर छोड़ दें।

श्री रूपनाथसिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, सदन में पर्चे फेंकना सदन का अवमान है। लेकिन हमें ठंडे दिल से सोचना है और यह देखना है कि हम स्वयं सदन की गरिमा को बढ़ाने में कितना सहायक होते हैं। अभी राज्य सभा के चुनाव में हमने देखा कि ढाई, 3 बजे जब चुनाव हो रहा था तो किस प्रकार लोग भागे जा रहे थे और क्या क्या हो रहा था। असल में दल-बदल के संबंध में जब कानून बन जायेगा तो उसका असर बाहर भी पड़ेगा। वरना जो एग्रीव्ड परसन्स हैं वे सोचते हैं कि किस तरह से अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करें। जहां तक आज का यह मामला है, आप में क्षमा के बहुत से गुण हैं। आप उनको क्षमा कर दीजिये।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, 11.40 से लेकर 5.20 तक वे आपकी कस्टडी में हैं, उनको काफी सजा मिल गयी है। अब उनको छोड़ दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने सदन की भावना समझ ली है.....

श्री रामविलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, 2–3 किलो के पर्चे मेरे सर पर आकर गिरे। मैं तनमय होकर सदन की कार्यवाही में भाग ले रहा था कि यकायक मेरे ऊपर दो-तीन किलो के पर्चे गिरे, मैंने समझा कि कोई पंखा टूट कर मेरे सर पर आ गिरा या क्या बात है।

भविष्य में आप इसकी रोकटोक करें।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने स्वयं कहा—यह हास्य में कहा गया। आपका सर पर्चों द्वारा जो मर्माहत हो गया, उसके बारे में मैंने कहा था। छत गिर जाय तब तो आपको मालूम पड़ेगा कि ऐटम-बम गिरा है।

आप इससे अवश्य सहमत होंगे कि यह बहुत अनुचित काम किया गया है। अब इतनी देर तक उनको रोका गया, अब मैं समझता हूं कि आपकी राय यह है कि उनको चेतावनी के साथ छोड़ दिया जाय।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

अब नियम 51 के अन्तर्गत....

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक ऐसी घटना कर दी जिससे सारे प्रदेश की जनता का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया और एक हाहाकार मच गया।

(व्यवधान)

लोकोशेड में कल हड़ताल हो गई और 11 बजे से 10 बजे रात तक सारी गाड़ियां खड़ी रहीं, एक भी गाड़ी नहीं निकली। आली उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक सिपाही की उपेक्षा पर....

श्री उपाध्यक्ष—

आप ज्यादती कर रहे हैं, जिन्होंने समय पर सूचना दी है और जवाब मांगा है उनके साथ। आप बीच में भाषण दे रहे हैं। आप समझते थे कि इतने महत्व का है तो 10 बजे के पहले आपने क्यों नहीं दिया। आपकी लिखित सूचना होनी चाहिए, आपने लिखित भी नहीं दिया। जिनका सवाल है उन्हें आप रोक रहे हैं और हमें बाधा पहुंचा रहे हैं। जैसे पर्चे फेंकना अनुचित है, ऐसे ही यह भी अनुचित है।

(कुछ रुककर)

श्री रामकुमार दीक्षित और उपेन्द्रनाथ दीक्षित आदि सदस्यों ने कानपुर के अकबरपुर मोहल्ला बाडली में इमाम चबूतरा थानेदार श्यामसिंह तोमर की साजिश से खुदवाया जाना विषय पर दिया था, इसको उचित कार्यवाही के लिये सरकार को भेजा गया है।

श्री इन्द्रमणि तथा श्री हरीसिंह आदि माननीय सदस्यों ने नैनीताल जिला परिषद् के अध्यापकों का अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल, के संबंध में दिया है। यह कार्यवाही के लिये सरकार को भेजा गया है। यह परिषद् का मामला है। सरकार अपने प्रभाव का उपयोग करके इसको रोकवा दे तो अच्छा है। शेष अस्वीकार हुए हैं।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

मैंने जो दिया था आगरा में चमड़े के जूते बनाने वालों का मुनाफाखोरों द्वारा शोषण के संबंध में, इसे तो आपको स्वीकार करना चाहिए। वहां लाखों रुपये के जूते बनाये जाते हैं, विदेशों में भी भेजा जाता है। बहुत बड़ी इण्डस्ट्रीज हैं वह बरबाद हो रही हैं, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह घटना नहीं है, शोषण की प्रवृत्ति है। ऐसी ही प्रवृत्ति जीवन के हर क्षेत्र में अबाधित रूप से चल रही है, इसको स्वीकार करने में हमें कोई हिचक नहीं है और सरकार भी स्वीकार करेगी। यह इतना स्पष्ट और अनिश्चित है कि इस पर वक्तव्य नहीं हो सकता है।

श्री मोहन लाल कपूर—

वहां की स्थिति पर ध्यान तो आकर्षित हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर आप प्रश्न करें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

राज्य के होमगार्ड के पुनर्गठन में बड़ी धांधली और बड़ा भेदभाव लोगों के साथ हो रहा है....।

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी आप बजट विवाद में चर्चा कर दें। यह उसका विषय है। शेष अस्वीकार हो गये हैं।

अब हम उठते हैं और 10 तारीख को 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 28 मिनट पर सोमवार, 10 अप्रैल, 1972 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
7 अप्रैल, 1972।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 255 पर)

पदों की श्रेणी	कुल संख्या	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
प्रथम श्रेणी	3	2	1	..
द्वितीय श्रेणी ..	81	61	20	..
तृतीय श्रेणी	652	479	167	6
चतुर्थ श्रेणी	486	328	143	15
योग	1,222	870	331	21

नोट—"श्रेणी" का आशय वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट में किये गये राज्य-सेवा के अन्तर्गत पदों के विभाजन के अनुसार है ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 47 का उत्तर पीछे पृष्ठ 263 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1972 के दूसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 47 के उत्तर का संलग्न—क—

गोंडा जिले की तहसील तरबगंज के ग्रामों के सरजू नदी की भीषण बाढ़ व वर्षा से पीड़ित लोगों को निम्नांकित सहायता दी गई —

मद का नाम	धनराशि रु० में
1—अहेतुक सहायता	1,11,500
2—गृह निर्माण अनुदान	8,53,000
3—आपदा तकावी	2,00,000
4—गृह निर्माण तकावी	10,39,000
5—बैल तकावी	3,00,000
6—तकावी बीज	10,00,000
7—तकावी चारा	50,000
8—गैर खेतिहरों को मकान हेतु ऋण	10,000

उपरोक्त धनराशि में से ग्राम पंचमपुरवा, भयाका पुरवा, नेपालपुरवा, हीरापुर, शीशामऊ, गुलबीपुरवा तथा कंचनापुर के गरीब एवं असहाय हरिजन व पिछड़े लोगों को, जिनके मकान क्षतिग्रस्त एवं बिलकुल गिर गये निम्नलिखित सहायता दी गई —

ग्राम का नाम	अहेतुक सहायता	आपदा तकावी	चारा तकावी	बीज तकावी	बैल तकावी	गृह निर्माण अनुदान	गृह निर्माण तकावी
1—पंचमपुरवा मसमूले झचनापुर ..	139	..	940	4400	3170	4900	4150
2—हीरापुर ..	272	4055	2150	1500	550	4220	4185
3—भयाकापुरवा मसमूले मछईपुर कुरमी	..	..	..	..	500	..	2300
4—नेपालपुरवा, गूलवी पुरवा मसले अकोहरी ..	1951	500	1494	3420	4700	1235	12720
5—शीशामऊ ..	..	..	2890	2770	1200	..	1700

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 32 एल० ए०—1973—845 ।